लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 24 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXIV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 9, गुरुवार, 27 फरवरी, 1969/8 फाल्गुन, 1890 (शक)
No. 9, Thursday, February 27, 1969/Phalguna 8, 1890 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
211. राष्ट्रीय राजपथ	National Highways ..	1—9
212. उड़ीसा में बाढ़ सहायता व्यवस्था	Flood Relief Machinery in Orissa ...	9—15
214. हुगली नदी पर दूसरा पुल	Second Bridge over the Hooghly ..	16—20
215. अन्तर्राज्यीय परिवहन पर एकल स्तरीय कर व्यवस्था	Single Point Tax on Inter State Transport ..	21
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
213. लूटपाट करने की साम्यवादियों की योजना	Communist Plan for Subversion ..	22
216. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् संबंधीं सरकार समिति	Sarkar Committee on CSIR ..	22
217. केरल में पत्तनों का विकास	Development of Ports in Kerala ..	22—23
218. मध्यावधि चुनाव में उपद्रव	Disturbances During Mid-term Elections ..	23—24
219 शिक्षा मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि	Extension given to Class I Officers in Education Ministry ..	24
220. रांची तथा हतिया के संबंध में दयाल आयोग का प्रतिवेदन	Report of Dayal Commissson on Ranchi and Hatia Riots ..	24—25
221. चण्डीगढ़ में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन	All-India Women's Conference at Chandigarh	25

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
222. निशुल्क प्राथमिक / माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा	Free Primary/Secondary and University Education ..	26
223. भारत द्वारा पाकिस्तान में अन्तर्राष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिता में भाग लेना	Participation by India in Pak. International Hockey Tournament ..	26
224. पर्यटन का विकास	Development of Tourism ..	26—27
225. सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी का पढ़ाया जाना	Teaching of Hindi to Government Employees	27
226. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करने के लिये स्थायी व्यवस्था	Permanent Machinery to Deal with Grievances of Central Government Employees ..	28
227. अशोक और जनपथ होटलों का विलय	Amalgamation of Ashoka and Janpath Hotels	28—29
228. नियमावलियों तथा प्रपत्रों का अनुवाद	Translation of Manuals and Forms ..	29—30
229. विशाखापटनम पत्तन का विकास	Development of Visakhapatnam Port ..	30
230. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार)	Mithila University, Darbhanga (Bihar) ..	30
231. भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists who Visited India During 1968 ..	31
232. अध्यापकों के बारे में कोठारी आयोग की सिफारिशें	Kothari Commission's Recommendations Regarding Teachers ..	31
233. पर्यटकों का आगमन	Tourists Inflow ..	31—32
234. कोयले की ढुलाई	Transportation of Coal ..	32
235. विमान टिकटों की मांग	Demand for Air Tickets ..	32—33
236. दिल्ली में परिवहन सेवा	Transport Service in Delhi ..	33
237. इन्द्रप्रस्थ भवन में अर्जुन सिंह की मृत्यु के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच	C.B.I. Investigation into Arjun Singh's Death at Indraprastha Bhawan ..	33
238. विद्यार्थियों की भागिता के लिये फ्रांस के शिक्षा संबंधी सुधारों के प्रस्ताव	French Educational Reform Proposals Regarding Students Participation ..	33—34

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
239. राज्यों में लाटरियां	Lotteries in States ..	34
240. केरल सरकार द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को वापिस लेने को गैर कानूनी ठहराया जाना	Withdrawal of Cases by Kerala Government Held Illegal ..	35
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1292. चंडीगढ़ के लिये निर्वाचित निगम	Elected Corporation in Chandigarh ..	35
1293. गुजरात में कांडला तथा अन्य पत्तनों का विकास	Development of Kandla and other Ports in Gujarat ..	36
1294. गुजरात में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Gujarat ..	36—37
1295. गुजरात में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Gujarat ..	37
1296. शिक्षा मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद	Posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Education Ministry ..	37
1297. पालम हवाई अड्डे पर दुकानों का आवंटन	Allotment of Shops at Palam Airport ..	38
1298. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया के विमान चालकों के वेतन, भत्ते आदि	Emoluments of IAC and Air India Pilots ..	39—40
1299. महाराष्ट्र में अन्तर्राज्य सड़क निर्माण कार्यक्रम	Inter-State Road Development Programme in Maharashtra ..	40—41
1300. गुजरात राज्य में होम गार्ड	Home Guards in Gujarat State ..	41
1301. हवाई अड्डों का विकास	Development of Aerodromes ..	41—42
1304. वर्मा के शिक्षा मंत्री की भारत यात्रा	Visit of Burmese Education Minister to India	42
1305. शान्ति वन, दिल्ली में पाया गया गोला	Shell Found at 'Santivana' Delhi ..	42
1306. भारत के पूर्वी भाग में पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pak Infiltrators in Eastern Part of India ..	43
1307. पौड़ी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) का विकास	Development of Pauri-Garhwal (U. P.) ..	43

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1308. जिला आयोजन कार्यालय, पौड़ी (उत्तर प्रदेश) के कर्मचारी	Employees of District Planning Office, Pauri, U. P. ..	43—44
1309. चीनियों द्वारा बधाई-पत्रों की बिक्री	Sale of Chinese Greeting Cards ..	44
1310. चतुर्थ श्रेणी सहयोग समितियां	Chaturth Shreni Sahyog Samiti ..	44—45
1311. वर्षा करने की प्रणाली	Rain Making Technique ..	45—46
1312. तेल्लीचेरी पुलपल्ली की घटनायें	Tellicherry Pulpally Incidents ..	46
1313. तेल्लीचेरी पुलपल्ली की घटनाओं के समय पुलिस के गुप्तचर विभाग के एक प्रमुख अधिकारी का कन्नानूर में होना	Presence of Central C.I.D. Official in Kannanur During Tellicherry-Pulpally Incidents ..	47
1315. चंडीगढ़ में रहायशी भूखंड	Residential Plots in Chandigarh ..	47
1316. नक्सलवाड़ी के अभियुक्तों का भाग निकलना	Escape by Naxalbari Undertrials ..	47
1317. आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों की गतिविधियां	Activities of Foreign Missionaries in Adivasi and Backward Areas ..	48
1318. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा पारिभाषित शब्दावली आयोग के अनिर्णीत मामले	Pending Cases of Central Hindi Directorate and C.S.T.T. ..	48
1319. शिक्षा मंत्रालय में काम करने वाले केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग के कर्मचारी	Employees of Central Hindi Directorate and C.S.T.T. Working in Ministry of Education	49
1320. नागाओं को एक प्रशासन के अन्तर्गत लाना	Bringing of Nagas Under One Administration ..	49
1321. मिजो पहाड़ी जिलों का पुनर्गठन	Regrouping of districts in Mizo Hills ..	49—51
1322. भारत में हिप्पी	Hippies in India ..	51

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1323. नक्सलवादियों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike in Naxalites ..	51—52
1324. कोचीन शिपयार्ड	Cochin Shipyard ..	52—53
1325. चौथी योजना में सड़कों का विकास	Development of Roads During the Fourth Plan ..	53
1326. राज्यों में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रम	Pay-Scales of Secondary Sohool Teachers in State ..	53—54
1327. शिक्षा मंत्रालय में कार्य कर रहे कर्मचारी	Officials working in the Education Ministry..	54
1328. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	Central Hindi Directorate	54—55
1329. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी	Chief Scientific Officers in C.S.T.T. ..	55
1330. उर्दू समाचारपत्रों द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti-India Propaganda by Urdu Newspapers	55—56
1331. देश में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में भारतीय जनसंघ का प्रतिवेदन	Bharatiya Jana Sangh Report on Communal Riots in the Country ..	56
1332. केरल में नक्सलवादियों की गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action Against Naxalites Activities in Kerala	56
1333. कन्याकुमारी का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Dovelopment of Kanyakumari as a Tourist Centre ..	57
1334. जमशेदपुर की जनता की शिकायतें	Grievances of People of Jamshedpur ..	57
1335. केन्द्रीय वैज्ञानिक सूचना तथा प्रकाशन संस्था सम्बन्धी समिति	Committee on Central Institute of Scientific Information and Publication ..	58
1336. मोटरगाड़ियों की नम्बर प्लेटों के बारे में मोटर गाड़ी अधिनियम में संशोधन	Amendment to Motor Vehicle Act Regarding number Plates on Vehicles ..	58
1337. शिक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशों में भेजे गये प्रतिनिधिमंडल	Delegations sent abroad by Ministry of Education ..	58—59

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
1339. पौड़ी-गढ़वाल में लड़कियों के स्कूलों की कमी	Inadequacy of Girls' Schools in Pauri-Garhwal ..	59
1340. उच्चतर माध्यमिक स्कूल देलचौनरी, पौड़ी-गढ़वाल (उत्तर प्रदेश)	Higher Secondary School, Delchaunri, Pauri-Garhwal (Uttar Pradesh) ..	59
1341. विश्वविद्यालय में हिन्दी माध्यम	Hindi Medium in Universities ..	60
1342. उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन मान	Pay-Scales of Primary School Teachers in U. P. ..	60—61
1343. हिंसक कार्यवाहियों में भाग लेने वाले छात्रों के माता पिता पर दण्डात्मक कर लगाना	Imposition of Punitive Tax on Parents of Students indulging in violence ..	61
1344. भारत के प्राचीन इतिहास का प्रकाशन	Publication of Ancient History of India ..	62
1345. हिन्दी सहायकों के लिये पृथक संवर्ग	Separate Cadre for Hindi Assistants ..	62
1346. हिन्दी सहायकों के पद समाप्त करना	Abolition of Posts of Hindi Assistants ..	63
1347. हिन्दी सहायक और हिन्दी अनुवादक	Hindi Assistants and Translators ..	63—64
1348. नैनी जेल में लाठी प्रहार	Lathi Charge in Naini Jail ..	64—65
1349. पत्राचार पाठ्यक्रम और शिक्षा जारी रखने वाला निदेशालय	Directorate of Correspondence Courses and Continuing Education ..	65
1350. विशेष प्रकार के बड़े माल-वाही पोत	Special Vessels for Bulk Cargoes ..	65
1351. भारत के समुद्री जहाजों की विदेश सेवा	Foreign sailings of India Owned Liners ..	65—66
1352. बम्बई पत्तन को होने वाली हानि	Losses Occurring at Bombay Port ..	66
1353. विश्वविद्यालय पुलिस दल की स्थापना	Creation of University Police Force ..	67

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1354. मध्यावधि चुनावों के दौरान राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का तैनात किया जाना	Posting of CRP during Mid-term Elections in States ..	67—68
1355. विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों के ढांचे से सम्बन्धित पावते समिति	Pavate Committee on Staffing pattern of Universities ..	68
1356. नौवहन सेवा के लिये नये मार्ग	New routes for shipping Service ..	68
1357. बेरोजगार इंजीनियर	Unemployed Engineers ..	68—69
1358. जम्बो जेट विमान	Jumbo Jets ..	69—70
1359. रात्रि डाक व यात्री विमान सेवा	Night Air Mail and Passenger service ..	70
1360. संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल	Schools in Union Territories ..	70
1361. उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल	Junior High Schools in U. P. ..	70—71
1362. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सड़कें	Roads in Gorakhpur District (U. P.) ..	71
1363. उत्तर प्रदेश रोडवेज, गोरखपुर	U. P. Roadways, Gorakhpur ..	71
1364. तोड़-फोड़ वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कानून	Law Against Subversive Acts ..	72
1365. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों में बच्चों के रियायती टिकटों का दुरुपयोग	Misuse of Children's Concessional Air Tickets on I. A. C. Flights ..	72
1366. नक्सलवादी नारों और इश्तहारों का लगाया जाना	Display of Naxalite Slogans and Posters ..	72—73
1367. नगरकोइल में संसदीय उपचुनाव के सम्बन्ध में हुए फसाद	Clashes in Nagercoil Parliamentary Bye-Election ..	73—74
1368. केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये न्यूनतम योग्यतायें	Minimum Qualifications for Appointment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Central Service ..	74

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1369.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति	Normalcy in B. H. U.	74—75
1370.	जम्मू तथा काश्मीर में तोड़-फोड़ करने वाले पाकिस्तानी	Pak. Saboteurs in Jammu and Kashmir ..	75
1371.	मंत्रियों द्वारा चुनाव के लिये दौरे	Election Tours by Central Ministers ..	76
1372.	दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसें	D. T. U. Buses ..	77
1373.	अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम का निरसन	Repeal of Essential Services Maintenance Act ..	78
1374.	विश्वविद्यालय प्रांगण में हिंसा	Violence in University campus ..	78
1375.	पालघाट जिले में मन्दिर को क्षति	Damage to Temple in Palghat District ..	78—79
1376.	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास की योजनाएं	Development Plans for International Airports ..	79—80
1377.	मद्रास हवाई अड्डे का विकास	Development of Madras Airport ..	80
1378.	भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं	Indian Medical and Health Services ..	80—81
1379.	रांची में कोंका पुलिस थाने पर आक्रमण	Attack on Konka Police Station in Ranchi..	81
1380.	मिनिकाय द्वीप समूह में हिन्दी माध्यम वाले हाई स्कूल	Hindi Medium High Schools in Minicoy Islands ..	82
1381.	लक्कद्वीप के विद्यार्थियों के लिये इंजीनियरी कालेजों में स्थान	Seats for Laccadive Students in Engineering Colleges ..	82
1382.	संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिये साझी पदालि	Common cadre for administration of Union Territories ..	82—83
1383.	शिक्षा मंत्रालय के कार्यालयों को हटाना	Shifting of Offices of Education Ministry ..	83
1384.	पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रस्ताव	Proposal to Boost up Tourism ..	83—84
1385.	पाकिस्तानी कैदियों का श्रीनगर जेल से भागना	Escape of Pak Prisoners from Srinagar Jail ..	84

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1386. आरा (बिहार) में गोली चलाना	Firing in Arrah (Bihar) ..	84—85
1387. गुण्डा अधिनियम के पुन: लागू करने के लिये अधिनियम	Enactment for revival of Goonda Act ..	85
1388. काशी विद्यापीठ के अध्यापकों को वेतन न दिया जाना	Non-payment of salaries to teachers of Kashi Vidyapeeth ..	85—86
1389. पौड़ी जिले (उत्तर प्रदेश) में सड़क का निर्माण	Construction of a Road in Pauri District (U. P.). ..	86
1390. छपरा, बिहार, में संग्रहालय को अपने हाथ में लेना	Taking over of Museum at Chapra (Bihar) ..	86—87
1391. होटलों तथा मोटलों के लिये ऋण	Loan for Hotels, Restaurants and Motels ..	87
1392. शिक्षा प्रयोजनों के हेतु उपग्रह संचार	Satellite Communication System for Educational Purposes ..	87
1393. चीनी अधिकारियों वाले पाकिस्तानी विमान की भारतीय क्षेत्र से उड़ान	Flight by Pakistani Aircraft with Chinese Officials over India ..	88
1394. कलकत्ते में स्वतन्त्रता सेनानियों तथा क्रांतिकारियों की स्मृति में संग्रहालय	Museum dedicated to Freedom Fighters and Revolutionaries in Calcutta ..	88—89
1395. राज्यों द्वारा चलाई गई लाटरियां	Lotteries floated by states ..	89—90
1396. दिल्ली के लिये उप-प्रशासक तथा उप-आयुक्त	Deputy Administrator and Commissioner for Delhi ..	90
1397. छात्रवृत्तियों, पुस्तकों, पुरस्कारों आदि के लिये समितियां	Selection Committees for Scholarships, Books, Prizes etc. ..	90—91
1398. नेफा में रसद गिराने वाले उपकरणों की बिक्री	Disposal of Supply dropping Equipment in NEFA ..	91
1399. नेफा प्रशासन के लिये सप्लाई हेतु वस्तुओं की वसूली सम्बन्धी प्रक्रिया	Procedure for procurement of supplies for NEFA administration ..	91—92
1400. भारत तिब्बत सीमा पुलिस संस्थान के लिये बजट प्राक्कलन	Budget Estimates for Indo-Tibetan Border Police Establishment ..	92—93

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1401. राजधानी में कानून तथा व्यवस्था	Law and Order in Capital ..	93
1402. अयोध्या के निकट राजा दशरथ की समाधि	Samadhi of Raja Dashrath of Ayodhya ..	94
1403. विश्वविद्यालयों के मामलों में विद्यार्थियों का भाग लेना	Participation of students in University Affairs ..	94
1404. एपीजे लाइन (सुरेन्द्र ओवर-सीज लिमिटेड) सम्बन्धी सुखथंकर समिति का प्रतिवेदन	Report of Sukthankar Committee on Apeejay Line (Surrendra overseas Ltd.) ..	94—95
1405. पुलिस में मुसलमानों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation for Muslims in Police Services ..	95
1406. प्रशासनिक कुशलता में सुधार	Improvement in administrative Efficiency ..	95—96
1407. संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में भारतीय अधिकारियों की कार्यकुशलता	Efficiency of Indian Officials in the United Nations Secretariat ..	96—97
1408. मेक्सिको ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा का दिया जाना	Grant of Foreign Exchange to Indian Participants in Mexico Olympics ..	97—98
1409. पर्यटन के लिये लद्दाख का विकास	Development of Ladakh for Tourism ..	98
1410. मेरठ की एक महिला की दिल्ली में मृत्यु	Death of a Meerut Woman in Delhi ..	98
1411. 30 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी	Public Holiday on 30th January ..	98
1412. राष्ट्रीय एकता प्रदर्शनी	National Integration Exhibition ..	99
1413. सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद	Council of social sciences research ..	99
1414. मुरैना में विदेशी पर्यटकों को लूटना	Robbing of Foreigners in Morena ..	99
1416. गांधी हत्या कांड जांच	Gandhi Murder Enquiry ..	100
1417. सीवान में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की जांच	Enquiry into Sivan Police Firing ..	100

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1418. मौलाना फारुक द्वारा भाषण	Speech by Maulana Farouq ..	100—101
1419. उत्तर प्रदेश के अध्यापकों की गिरफ्तारी	Arrest of U. P. Teachers ..	101
1420. पुस्तक तैयार करने के लिये दिया गया अनुदान	Grants allocated for Book Production ..	101—102
1422. चुनाव अभियान के दौरान प्रधान मन्त्री को दी गई सुविधायें	Facilities given to the Prime Minister during her Election compaign ..	102
1423. आजाद हिन्द सरकार का रजत जयन्ती समारोह	Silver Jublee Celebration of Azad Hind Government ..	102—103
1424. बिहार के इंजीनियर	Bihar Engineers ..	103
1425. बिहार में नजरबन्द आदिवासी नेता	Adivasi Leaders under Detention in Bihar..	103—104
1426. विमान उतारने के स्थान के निकट यात्री कार के आने के बारे में तथा विमान में स्थानों के नियतन के बारे में नियम	Rules for entry of passengers car in landing Ground and allotment of seats in Aircraft ..	104—105
1427. इंडियन एयरलाइन्स के कैरेवल विमानों में यात्रियों के लिये शौचालय सुविधायें	Toilet facilities for passengers of I. A. C. Caravelle Aircraft ..	105
1428. इंडियन एयरलाइंस के कैरेवल विमान की सेवा की उड़ानों में रिक्त स्थान	Vacant Seats on I. A. C's Caravelle Routes ..	105—106
1429. इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की देर से उड़ाने	I. A. C. Flights Delayed ..	106—107
1430. एयर इंडिया के विमानों में वृद्धि करने के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता	Foreign Exchange Required to Augment Air India Fleet ..	107—108
1431. गोवा में नामों के परिवर्तन के लिये भारी व्यय	Heavy Expenditure in Goa on proceedings for changing names ..	108
1432. सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	Scindia steam Navigation company Ltd., Bombay ..	108—109
1433. बम्बई-कुमारी अन्तरीप राजमार्ग	Bombay-cape comorin Highway ..	109

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1434.	उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्कूल तथा कालेज	Schools and Colleges in Pauri Garhwal District of U. P. ..	109—110
1435.	सेवा निवृत्त सचिवों द्वारा पुस्तक लिखना	Book writing by Retired Secretaries ..	110
1436.	सांस्कृतिक योजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश को अनुदान	Grant to U. P. for Cultural Schemes ..	110—111
1437.	साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित बधाई पत्र	Greeting Cards published by Sahitya Akademi ..	111
1438.	केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	ARC Recommendations on Centre State Relations ..	111—112
1439.	भारतीय शिक्षा सेवा	Indian Educational Service ..	112—113
1440.	केदार नाथ के निकट साधुओं की गिरफ्तारी	Arrest of Sadhus near Kedarnath ..	113
1441.	पश्चिम बंगाल में मदरसे	Madarshas in West Bengal ..	113
1442.	पश्चिम बंगाल में 'टूरिस्ट लाज'	Tourist Lodges in West Bengal ..	113—114
1443.	जेलरों तथा सहायक जेलरों के वेतनक्रमों में अन्तर	Disparity in Pay Scales of Jailors and Assistant Jailors ..	114—115
1444.	मन्दिरों की मरम्मत के लिये यूनेस्को द्वारा सहायता	Aid by UNESCO for Renovation of Temples ..	115
1445.	पुष्पक विमान	Pushpak Aeroplane ..	115
1446.	कालिजों में प्रवेश पर रोक लगाना	Curbs on Admission to Colleges ..	116
1447.	केन्द्रीय सड़क निधि	Central Road Reserve Fund ..	116
1448.	शोलापुर को विमान सेवाएं	Air Services to Sholapur	117
1449.	विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा साम्प्रदायिक और प्रादेशिक घृणा का प्रसार	Spreading of Communal and Regional Hatred by Universities and Educational Institutions ..	117
1450.	अन्तर्राज्यीय परिवहन प्राधिकार	Inter State Transport Authority ..	118
1451.	भारत में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्रणाली	Higher Secondary System of Education in India ..	118

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1452.	डाकुओं के पास हथियार	Arms with Dacoits ..	118
1453.	नागाओं द्वारा अतिक्रमण	Encroachment by Nagas ..	118—119
1454.	मैसूर सरकार के पदाधिकारियों की अन्तर्राज्यीय वरिष्ठता सूची	Inter State seniority List of Mysore Government Officials ..	119
1455.	मैसूर में कृष्णा नदी पर पुल	Bridge over River Krishna in Mysore ..	119—120
1456.	कांस्टेबलों और हैडकांस्टेबलों के लिये वस्त्र भत्ता	Clothing allowance to constables and Head constables ..	120
1457.	राज्यों में अनुवाद विभाग	Translation Bureaus in States	121
1458.	कोणार्क मन्दिर का विकास	Development of Konarak Temple ..	122
1459.	भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी का पर्यटकों के लिये विकास	Development of Bhubaneshwar, Konarak and Puri for Tourism ..	122
1460.	आगरा से प्रकाशित होने वाली अश्लील पत्रिकाएं	Obscene Journals published from Agra ..	122—123
1461.	आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के एजेंसी क्षेत्रों में गिरिजन	Girijans in Agency Areas of Srikakulam District of Andhra Pradesh ..	123—124
1462.	विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य सामाजिक अथवा रचनात्मक कार्यकलाप योजना	Scheme for Compulsory Social or Constructive activity for University Students ..	124
1463.	आर्थिक विकास के लिये विज्ञान का उपयोग	Use of Science for Economic Development	124
1464.	महात्मा गांधी की मृत्यु का वास्तविक स्थान	Actual place of death of Mahatma Gandhi..	125
1465.	अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली	Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	126
1466.	गांधी जयन्ती दिवस की छुट्टी मनाना	Observance of Holiday on Gandhi Jayanti..	126
1467.	पटना सिटी का केन्द्रीय स्कूल	Central School, Patna Town ..	126—127
1468.	पटना हवाई अड्डे से रात को विमान की उड़ान	Night Flights at Patna Airport ..	127

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1469.	छात्रों पर भाषा सीखने का भार	Language load on Students ..	127—128
1470.	सलाहकार बोर्डों के लिये कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों के नाम निर्देशन	Nomination of Members belonging to Parties other than Congress to Advisory Boards ..	128—129
1471.	गंगा सागर मेला में वाष्प-चालित नौका दुर्घटना	Steam Lunch Tragedy at Gangasagar Mela ..	129
1472.	कोरिया क्यूबा और उत्तर वियतनाम से सांस्कृतिक मण्डलियों का आदान प्रदान	Mutual Exchange of Cultural Troupes with Korea, Cuba and North Vietnam ..	129
1473.	सांस्कृतिक दल के कार्यक्रम के लिये आमन्त्रित व्यक्ति	Invitees to Cultural Troupes' Programmes..	130.
1474.	विदेशों से सांस्कृतिक मण्डलियां	Cultural Troupes from Foreign Countries ..	130—132
1475.	गांव का चौकीदार	Village chowkidar ..	132—133
1476.	मनीपुर स्कूलों में चौकीदार	Chowkidar in Manipur Schools ..	133
1477.	नई दिल्ली पहाड़गंज में एक विद्यार्थी का अपहरण	Kidnapping of a student from Paharganj, New Delhi ..	133—134
1478.	अमरीकी पर्यटक	American Tourists ..	134—135
1479.	दरभंगा जिले में सड़कों का विकास	Development of Roads in Darbhanga District	135
1480.	नेफा में सीमा सुरक्षा बल	Border Security force in NEFA	135
1481.	मनीपुर में संगीत नाटक अकादमी	Sangeet Natak Akademi in Manipur ..	135—136
1482.	मनीपुर प्राथमिक स्कूलों के गैर मैट्रिक अप्रशिक्षित अध्यापक	Untrained Non-Matriculate Teachers of Manipur Elementary Schools ..	136
1483.	मनीपुर में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पड़ताल	C.B.I. Investigations in Manipur	136
1484.	विद्रोही मिजो	Mizo Rebels ..	137
1485.	हरसांग गांव में आग लगने की घटना (नेफा)	Fire in Harsang (NEFA) ..	137

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1486. गणतन्त्र दिवस पर दिल्ली/नई दिल्ली में यातायात व्यवस्था	Traffic Arrangements in Delhi/New Delhi on Republic Day ..	138
1487. काश्मीर में जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Spy in Kashmir ..	138
1388. इम्फाल में गणतन्त्र दिवस विरोधी प्रदर्शन	Anti Republic Demonstration in Imphal ..	138—139
1489. पर्यटन के विकास के लिये पश्चिम जर्मनी द्वारा सहायता	Assistance by West Germany for promoting Tourism ..	139
1490. भारत में तीसरे साम्यवादी दल का गठन	Formation of Third Communist Party in India ..	139
1491. अवमान सम्बन्धी कानून	Law of Contempt ..	140
इस्राइल के प्रधान मंत्री का निधन	Demise of the Prime Minister of Israel ..	140
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
कच्चातीबू का मामला	Kachchativu Issue ..	140—144
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	144—146
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha ..	146
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee— ..	
49 वां प्रतिवेदन	Forty-ninth Report ..	147
सभा का कार्य	Business of the House ..	147—148
समिति के लिए निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव—	Motion for Election to Committee— ..	
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	Central Advisory Board of Education	148
राष्ट्रपति से सन्देश	Message from the President ..	148
रेलवे आय-व्ययक 1969-70 सामान्य चर्चा	Railway Budget 1969-70 General Discussion ..	149—162
श्री ना० नि० पटेल	Shri N. N. Patel ..	149—150
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम	Shri S. D. Somasundaram ..	150—151

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
डा० सूर्य प्रकाश पुरी	Dr. Surya Prakash Puri	.. 151—153
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary	.. 153—155
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	.. 155—159
श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	.. 159—162
श्री नरदेव स्नातक	Shri Nardeo Shatak	.. 162
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	..
44 वां प्रतिवेदन	Forty Fourth Report	162
केन्द्रीय सेवाओं के कार्य संचालन के बारे में प्रस्ताव अस्वीकृत	Resolution Re : Functioning of Central Services—Negatived	.. 162—180
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	.. 162—165
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	.. 165—166
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	.. 166—168
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	.. 168—169
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	.. 169
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	.. 169—170
श्री एस० कंडप्पन	Shri S. Kandappan	.. 170—171
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	171
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	.. 172—173
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	.. 173—174
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	174
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	.. 175
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	.. 175—176
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok	.. 176
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	.. 176—180
राज्यों के ऋणों के परिशोधन के बारे में संकल्प—	Resolution Re : Amortisation of Debts of States—	..
श्री पी० पी० एसथोस	Shri P. P. Esthose	.. 180—181

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 27 फरवरी, 1969/8 फाल्गुन, 1890 (शक)
Thursday, February 27, 1969/Phalguna 8, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय राजपथ

+

*211. **श्री रा० वे० नायक :** **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री नन्दकुमार सोमानी : **श्री द० रा० परमार :**
श्री कृ० मा० कौशिक : **श्री चं० चु० देसाई :**
श्री रा० की० अमीन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को राष्ट्रीय राजपथों की मरम्मत आदि के निमित्त राजकोषीय वर्ष के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की गई राशि का और अगले राजकोषीय वर्ष के लिये प्रस्तावित राशि का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या नियत की गई राशि सम्बन्धित राज्य सरकारों की मांगों के अनुरूप है ; और

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने यह शिकायत की है कि केन्द्र द्वारा कम राशि नियत की गई है और इसके परिणामस्वरूप वे कुछ राष्ट्रीय राजपथों की देखभाल ठीक प्रकार से नहीं कर सके हैं ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 1968-69 के दर्मियान में राष्ट्रीय-राज-मार्गों की मरम्मत करने के लिये राज्यों को दिये

गये नियतन का ब्योरा बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 156/69] 1969-70 के वर्ष के लिये नियतन अभी विचाराधीन है।

(ख) और (ग). पिछले कुछ वर्षों के दर्मियान जिसमें 1968-69 का साल भी शामिल है, कुछ राज्य सरकारों से अपर्याप्त रखरखाव अनुदान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं इस सम्बन्ध में राज्यों में अधिक वितरण का सवाल सक्रिय विचाराधीन है।

श्री रा० वें० नायक : जहां तक सड़कों के रखरखाव के लिये दिये जाने वाले अनुदानों और सड़कों के विकास के परिव्यय का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों के असंतुष्ट होने और शिकायत करने के दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि राष्ट्रीय राजपथों के रखरखाव के लिये केन्द्र की ओर से जो 3,000 से 3,500 रुपयों की दर से जो अनुदान दिये जाते हैं वह दर 10 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी। ये दरें सड़कों का उचित रूप से रखरखाव करने के लिये अब अपर्याप्त है क्योंकि उन्हें हर एक जगह बढ़े हुए विकास-कार्यों के कारण अधिक भार वहन करना पड़ता है। दूसरा कारण यह है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़क विकास के सम्बन्ध में राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र दोनों ने 618 करोड़ 94 लाख रुपये मांगे थे जबकि उन्हें केवल 559 करोड़ रुपये अर्थात् 60 करोड़ रुपये कम देने की सिफारिश की गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री सरकार और योजना आयोग को अनुदानों और परिव्यय की राशि बढ़ाने का सुझाव देंगे :

श्री इकबाल सिंह : यह बात सही है कि ये दरें राष्ट्रीय राजपथों के रखरखाव और मरम्मत सम्बन्धी उन सिद्धान्तों पर आधारित हैं जो 8 अथवा 9 वर्ष पहले प्रचलित थी। गत वर्ष हमने सड़क महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी तथा उन्होंने सारी स्थिति का पता लगाया है। उस समिति के प्रतिवेदन के आधार हैं रख-रखाव और मरम्मत सम्बन्धी अनुदान बढ़ाये जा रहे हैं तथा अगले वर्ष से नये सिद्धान्त लागू किये जायेंगे।

श्री रा० वें० नायक : राजपथों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के मामले में राज्यों के लोक निर्माण विभाग भ्रष्टाचार, घूस, पक्षपात, विलम्ब, अदक्षता, ह्रास तथा कभी-कभी तो धन का दुरुपयोग करने के सिलसिले में कुख्यात केन्द्रों के नाम से मशहूर हो गये हैं। क्या माननीय मंत्री इन त्रुटियों को रोकने के लिये कुछ कार्यवाही करेंगे ?

श्री इकबाल सिंह : राज्य सरकारें हमारे लिये कार्य कर रही हैं। प्राक्कलन उन द्वारा तैयार किये जाते हैं तथा केन्द्र द्वारा उचित रूप से जांच-पड़ताल किये जाने के बाद अनुदानों की मंजूरी दे दी जाती है। जहां तक राज्यों के लोक निर्माण विभागों के कार्य का सम्बन्ध है उनके बारे में यदि राज्य सरकारों द्वारा प्रश्न पूछा जाये तो मैं समझता हूं कि अधिक अच्छा रहेगा।

श्री नन्दकुमार सोमानी : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान लोक लेखा समिति के 42वें प्रतिवेदन की ओर, जो हाल में प्रकाशित हुआ है दिला सकता हूं जिसमें आसाम में अमीनगांव और उत्तर प्रदेश में बरेली तक 110 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई पार्श्ववर्ती सड़क के निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में की गई अनियमितताओं की पूर्णरूप से व्याख्या की गई है। यह भी बताया गया है कि गम्भीर रूप से जांच करने पर यह पता लगा है कि सड़क बनाने के काम आने वाले एयर-कम्प्रैसर, जेनरेटर, पत्थर कूटने के इंजन आदि 69 उपकरण, जिनकी लागत लगभग 19 लाख 42 हजार रुपये है, पहले ही फालतू पाये गये हैं। इस अनियमितता तथा पहले बताई गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए अक्तूबर, 1968 में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि अनियमितताओं, स्टाक अधिक रखने तथा उपकरणों का अच्छी तरह से रख-रखाव न किये जाने की बात पर विचार करने से बाद इस समिति का अन्तिम प्रतिवेदन कल तक मिल जायेगा ? इन मामलों को ठीक करने के लिये प्रतिवेदन मिलने तक क्या कार्यवाही करने का मंत्रालय का विचार है ?

श्री इकबाल सिंह : यदि यह पार्श्ववर्ती सड़क है तो यह इस क्षेत्राधिकार में नहीं आती है।

श्री नन्दकुमार सोमानी : यह राष्ट्रीय राजपथ का एक भाग है।

श्री रंगा : यह मामला पहले ही सरकार के समक्ष है। लोक लेखा समिति ने एक बार नहीं बल्कि दो बार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

श्री नन्दकुमार सोमानी : सरकार अपना उत्तरदायित्व नहीं छोड़ सकती। एक समिति भी बनाई गई थी। राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण-कार्य में बहुत अनियमिततायें की गई हैं। इसलिये वह इस बात से कैसे इंकार कर सकते हैं।

श्री इकबाल सिंह : एक समिति बनाई गई थी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उसने कहां तक कार्यवाही की तथा उन्होंने मामले को कैसे निपटाया है यह मुझे मालूम नहीं है। यदि माननीय सदस्य नया नोटिस दे दें तो मैं जानकारी दे सकता हूं।

श्री नन्दकुमार सोमानी : वह यह कैसे कह सकते हैं कि उन्हें इस बात का पता नहीं है ? वह तो मंत्री हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है।

श्री नन्दकुमार सोमानी : यह हमारे प्रति अन्याय है यदि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। यह बड़े दुख की बात है यदि माननीय मंत्री को इतनी गम्भीर अनियमितताओं के मामले का ज्ञान नहीं है।

एक माननीय सदस्य : भूतपूर्व परिवहन मंत्री डा० वी० के० आर० वी० राव यहां उपस्थित हैं। वह इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री नन्दकुमार सोमानी : उच्चस्तरीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने से पहले मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है। लाखों रुपयों के उपकरण बाहर पड़े हैं और उनका प्रयोग नहीं हो रहा है।

श्री इकबाल सिंह : समिति नियुक्त की जा चुकी है तथा उस द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर हम आगे कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री रा० की० अमीन : मुझे आशा है कि माननीय मंत्री को इस बात का पता है कि नागपुर योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार केवल गुजरात राज्य में ही लक्ष्य 42 प्रतिशत कम हुए थे । आज भी जब अन्य राज्यों को नागपुर योजना में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक सफलता प्राप्त हुई है, केवल गुजरात में ही निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं हुए हैं । गुजरात में सड़क और परिवहन की अदक्षता को देखते हुए राज्य ने राष्ट्रीय तटीय राजपथ बनाये जाने की मांग की है जिससे समूचे प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये बहुत महत्व है । क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि गुजरात राज्य में एक-तिहाई गाड़ियां हैं ? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार वहां राष्ट्रीय तटीय राजपथ शीघ्र बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

श्री इकबाल सिंह : राष्ट्रीय राजपथों में और सड़कें संसद् द्वारा बनाये गये राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम के अन्तर्गत ही की जा सकती हैं । लगभग 15,000 मील लम्बी सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित किया गया है तथा हमें उनके रखरखाव, उनमें सुधार करने तथा उनका स्तर ऊंचा करने का प्रयत्न करना चाहिये । हम अन्य सड़कों को राष्ट्रीय राजपथों में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं तथा इस बारे में चौथी योजना का अनुमोदन किये जाने के पश्चात् धन का व्यय करते समय विचार किया जायेगा ।

श्री द० रा० परमार : अहमदाबाद नगर से राष्ट्रीय राजपथ संख्या 8 पर यातायात बढ़ जाने के कारण क्या कोई ऐसा सुझाव दिया गया था कि उस सड़क को अहमदाबाद नगर के बाहर ले जाया जाये और यदि हां, तो क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या यह काम धन के अभाव के कारण नहीं दिया जा रहा है ?

श्री इकबाल सिंह : अहमदाबाद की उप-सड़क के बारे में इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । जहां तक उनके रखरखाव का सम्बन्ध है, हमने यातायत के अनुसार सड़कों का वर्गीकरण कर दिया है । जहां-जहां अधिक यातायात होगा वहां रखरखाव के लिये अधिक अनुदान दिये जायेंगे ताकि सड़कों का कुछ स्तर के अनुसार रखरखाव किया जा सके ।

श्री द० रा० परमार : गुजरात सरकार ने अहमदाबाद नगर से राजपथ पर भारी यातायात हो जाने की बात को ध्यान में रखते हुए उसे नगर के बाहर ले जाने का पहले ही सुझाव दिया था ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिला सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रीय राजपथ तथा विशेषकर राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 जो रायगंज और दालकोला में है, इतनी जीर्णवस्था में है कि वहां पर गाड़ियां नहीं चलाई जा सकतीं और इसके अलावा वहां पर अभी भी लकड़ी के हिलते हुए पुल हैं जिनके कारण खूब लदे हुए ट्रकों को उनसे गुजरने नहीं दिया जाता ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री प्रत्येक सड़क अथवा प्रत्येक राष्ट्रीय राजपथ के बारे में पृथक-पृथक उत्तर दे सकते हैं ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे राजपथों की उचित रूप से मरम्मत करने और लकड़ी के हिलते हुए पुलों के स्थान पर इस्पात और बजरी आदि के पुल बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव है । राष्ट्रीय राजपथों पर उनके मध्य में लकड़ी के पुल होना, जिनके कारण ट्रकों को गुजरने नहीं दिया जाता, अच्छी बात नहीं है ।

श्री इकबाल सिंह : माननीय सदस्य ने कुछ क्षेत्रों में सड़कों के बारे में पूछा है । मैं उनका तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि यह एक विस्तृत मामला है । जहां तक सड़कों की मरम्मत का सम्बन्ध है, हम उन्हें वरीयता देते हैं । यदि कोई राष्ट्रीय राजपथ खराब न हो तो हम उसे वरीयता देकर ठीक कर देंगे और उनके लिये पूर्ववरीयता के आधार पर मरम्मत के लिये अनुदान देंगे ।

श्री बलराज मधोक : इस समय हमारे देश में 30 से अधिक राष्ट्रीय राजपथ हैं । परन्तु जब हम उन पर जाते हैं और देखते हैं कि वे इतनी बुरी हालत में है तो हमें उन्हें राष्ट्रीय राजपथ कहे जाने पर शर्म आती है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस बात की ओर भी ध्यान देती है अथवा नहीं कि इन राष्ट्रीय राजपथों की कम से कम इतनी चौड़ाई होनी चाहिए तथा पुलों आदि का रखरखाव होना चाहिए या केवल 'राष्ट्रीय राजपथ' के बोर्ड लगा देना ही काफी होता है ?

श्री इकबाल सिंह : जहां तक राष्ट्रीय राजपथों का सम्बन्ध है, मैं यह अवश्य मानता हूं कि मितव्ययिता की दृष्टि से सड़कों के लिये धन दिया गया है इसलिये हम उन्हें उचित स्तर से नहीं बनाये रख सके हैं । परन्तु चौथी योजना में हम अधिक धन का नियतन करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि राष्ट्रीय राजपथों को उचित रूप से बनाये रखा जा सके और उनका विकास किया जा सके । राष्ट्रीय राजपथ के लिये काफी धन की आवश्यकता होती है । पुलों को भी हम एक-एक करके ले रहे हैं । परन्तु हमें बहुत से पुलों के लिए धन चाहिए । मैं नहीं समझता कि चौथी पचवर्षीय योजना में भी हम सभी पुल बना सकेंगे ।

श्री बलराज मधोक : मेरा सम्बन्ध केवल सड़कों की चौड़ाई से ही है । कुछ राष्ट्रीय राजपथों पर कहीं-कहीं 50 फुट अथवा 30 फुट है । परन्तु अधिकांश स्थानों पर चौड़ाई केवल 15 फुट है । क्या मैं जान सकता हूं कि राष्ट्रीय राजपथ के सभी स्थानों के लिये कोई निम्नतम चौड़ाई निर्धारित की जायेगी ?

श्री इकबाल सिंह : हम दोहरे राष्ट्रीय राजपथ बनाना चाहते हैं और उनकी चौड़ाई 23 फुट हो सकती है । परन्तु लगभग 10,000 मील लम्बी ऐसी सड़कें हैं जहां केवल इकहरी सड़कें हैं । यदि हम उन्हें दोहरी सड़कें बना दें तब उन पर अधिक यातायात हो सकता है ।

परन्तु यह लम्बी योजना है। हम नहीं कह सकते कि हम इसे थोड़े ही समय में कर सकेंगे या पांच वर्षों में भी कर सकेंगे। लगभग 10,000 मील लम्बी सड़क के लिये 300 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी।

श्री मनुभाई पटेल : क्या राष्ट्रीय राजपथों पर बोर्ड लगाने की समान नीति है। मैं एक राष्ट्रीय राजपथ पर पंजाब से गुजर रहा था परन्तु मैं नहीं पढ़ सका कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है क्योंकि वह केवल पंजाबी में लिखा हुआ था अंग्रेजी अथवा हिन्दी में नहीं। अतः क्या केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलायेगी कि उन्हें नामों को अंग्रेजी अथवा हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषा में लिखे जाने चाहिये। क्या सरकार सम्बन्धित राज्यों को भी ऐसी हिदायतें देगी कि उन्हें वे सड़कों की मरम्मत आदि ठीक तरह से कराते रहा करें ? उदाहरण के तौर पर वापी से बम्बई राष्ट्रीय राजपथ संख्या 8 की उचित रूप से मरम्मत नहीं कराई जाती है।

श्री इकबाल सिंह : जहां तक राष्ट्रीय राजपथों के बोर्डों पर नाम लिखे जाने का सम्बन्ध है, हम राज्य सरकारों को हमेशा कहते रहे हैं कि उन्हें नाम राज भाषा प्रादेशिक भाषा तथा अंग्रेजी में देने चाहिए।

Shri S. M. Joshi : May I know whether Government have made any arrangement to see that the amount earmarked to States for maintenance of national highways is actually spent on them ?

श्री इकबाल सिंह : जैसे वे सरकारें धन खर्च करती हैं, हम उनके लेखों की परीक्षा करते हैं। हम पहले राज्यों को अनुदान देते हैं और वे तब उस धन को खर्च करती हैं।

Shri S. M. Joshi : I wanted to know what arrangements have been made to see that highways have actually been maintained after the money has been spent by the State Government ?

श्री इकबाल सिंह : सभी लेखों की महालेखापाल द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है।

Shri Madhu Limaye : The question asked was whether the grants that are given are spent properly. May I know what is the condition of three roads, namely Grand Trunk road, Bombay Bangalore road and Bombay-Delhi road. May I know whether Government have any machinery to check those roads ? In case he does not know this thing then what for he has become a Minister ?

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि देखने के लिये क्या व्यवस्था की गई है कि धन का उचित रूप से उपयोग किया गया है अथवा नहीं।

Shri Iqbal Singh : As far as the question to see whether the amount is spent properly or not is concerned, first of all the State Governments prepare estimates and then ask the State Governments to grant the same which is then granted. Thereafter the accounts are checked by the Accountant General.

Shri Madhu Limaye : Not accounts but physical verification.

Shri Iqbal Singh : Keeping in view the mileage of roads with them, first of all, we give them Rs. 3,000 for pen lane which has now been raised to Rs. 4 1/2 thousands. For any special road then the estimates are submitted before hand which are then scrutinised by the Director General, Roads. After that it is decided how much amount should we give for that. If an Hon. Member wants to make any changes he gives his suggestions which can be considered by us.

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : प्रश्न तीन भागों अर्थात् (क) से (ग) में पूछा गया है। सभा पर रखे गये विवरण के भाग (क) के आधे भाग का यानी कि चालू वर्ष के लिये कितना धन नियत किया गया, उल्लेख है। इसमें इतना भी उल्लेख नहीं किया गया है कि आगामी वर्ष में कितना धन नियत किया जायेगा। इसमें यह नहीं बताया गया है कि राष्ट्रीय राजपथों के लिये कितना धन नियत किये जाने के लिये राज सरकारों की मांग है। भाग (ग) में यह पूछा गया है कि क्या केन्द्र द्वारा पर्याप्त मात्रा में अनुदान न दिये जाने के कारण राष्ट्रीय राजपथ बुरी हालत में हैं। इस भाग का उत्तर भी न तो सभा-पटल पर रखे गये विवरण और न ही बाद में दिये गये उत्तरों में दिया गया है। क्या आप सरकार को कहेंगे कि इन प्रश्नों का पूरा और उचित रूप से उत्तर दिया जाये जैसेकि उनसे आशा की जाती है।

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : क्या मैं उनका ध्यान भाग (ख) और (ग) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के पृष्ठ 2 की ओर दिला सकता हूं। भाग (क) में चालू वर्ष के लिये दिये गये धन का ब्यौरा मांगा गया है। वह दे दिया गया है। जहां तक 1969-70 के लिये धन के नियतन का सम्बन्ध है उस पर अभी विचार किया जा रहा है। यह मामला आगामी बजट के लिये है।

Shri Madhu Limaye : There is nothing in the statement which has been given to us. It relates to Question No. 212.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय से पूंछे गये प्रश्नों को आज की कार्य सूची से बदलकर किसी अन्य दिन की कार्य सूची में सम्मिलित कर देना चाहिये, जिससे उनके मंत्री महोदय पत्रों का अध्ययन करके तथ्यों के साथ उपस्थित हो सकें।

अध्यक्ष महोदय : उससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का समय नष्ट होगा। यदि वे चाहें तो दो या तीन और अनुपूरक प्रश्न पूंछ सकते हैं किन्तु उन्हें अच्छे उत्तर प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि इस संविभाग में मंत्री नये हैं और उन्हें फिर से सभी पत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा।

श्री बलराज मधोक : हमें बड़ी असंगतियों का सामना करना पड़ता है। क्या संसद् इसी व्यवहार के लिये समवेत होती है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति; यह उचित नहीं है कि आपमें से इतने अधिक सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलना आरम्भ कर दें। श्री वी० कृष्णामूर्ति।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : प्रश्न पूंछने से पहले मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूं । बजट सत्र के अवसर पर प्रधान मंत्रीजी ने संविभाग बदले हैं । हमने अच्छे उत्तर प्राप्त करने की आशा से प्रश्न रखे थे । मैं समझता हूं कि सम्भवतः आप भी इन उत्तरों से सन्तुष्ट नहीं होंगे । आप प्रधान मंत्री से कहिये—(**व्यवधान**) ।

भारत सरकार के सड़क परिवहन विभाग ने कभी भी अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया और मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूं । 1956 में भारत सरकार ने मद्रास सरकार से पूर्वी घाट पर सड़क बनाने का अनुरोध किया था । भारत सरकार की सलाह पर मद्रास सरकार ने उसको बनाना आरम्भ भी कर दिया तथा उसका कुछ अंश बन भी गया । किन्तु फिर भारत सरकार ने वित्तीय सहायता की हमारी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जिससे वह सड़क अब भी अपूर्ण पड़ी है तथा मद्रास सरकार ने जो उस पर व्यय किया है, उसका भुगतान नहीं किया गया । सत्तारूढ़ मंत्रियों की कल्पना के आधार पर निधि-नियतन किया जाता है जो अनुचित है । क्या परिवहन मंत्री इस मामले की जांच करेंगे तथा क्या वह निधियों के पुनर्नियतन से सम्बन्धित पूरी समस्या पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री रघुरामैया : मैं प्रश्न का अपेक्षित उत्तर दे रहा हूं । जो प्रश्न 1968-69 की अलाटमेंट से सम्बन्धित था, मैंने उसका उत्तर दे दिया है । यह भी पूछा गया था कि अधिक अलाटमेंट से सम्बन्धित किसी भी अलाटमेंट का निवेदन प्राप्त हुआ था या नहीं । उसके सम्बन्ध में हमने स्वीकारात्मक उत्तर दिया है और कहा है कि वह विचाराधीन है । फिर उन्होंने 1969-70 की अलाटमेंट के सम्बन्ध में पूछा । यह मामला बजट से सम्बन्धित है जिसे इस समय व्यक्त नहीं किया जा सकता । यह कहना असत्य है कि मंत्री अपनी कल्पना और इच्छा के अनुसार अलाटमेंट करते हैं । उन्होंने मंत्रियों पर आरोप लगाया है । मेरी हार्दिक इच्छा है कि मंत्री इतने सशक्त होते । किन्तु हम प्रजातंत्रीय प्रणाली में इस सदन की सतर्कता के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं और इसलिये हम जैसा चाहें वैसा कर नहीं सकते । इस सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय समिति विद्यमान है, जिसके सभापति महानिदेशक हैं और जिसमें पांच सदस्य हैं जो स्टेट चीफ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर (सड़क विभाग) हैं । इसको राजपथों के लिये निधि अलाट करने और उनकी देख-भाल के लिये उपयुक्त कसौटी ज्ञात करने के लिये स्थापित किया गया था तथा हम निर्णीत नीतियों के अनुसार ही कार्य करते हैं । यह विषय कल्पना का नहीं है ।

श्री चेंगलराया नायडू : कुछ बड़े राज्यों में राष्ट्रीय राजपथ लम्बे हैं तथा कुछ राज्यों में छोटे हैं । सरकार ने अभी तक प्रत्येक राज्य की राशि अलाट करते समय मीलों के अनुपात को ध्यान में नहीं रखा है । क्या सरकार अब ऐसा करते समय राज्यों का आकार न देखकर उनमें राष्ट्रीय राजपथों की लम्बाई को ध्यान में रखने पर विचार करेगी ? आन्ध्र सरकार ने मीलों के आधार पर राशि अलाट करने का अभिवेदन पहले ही दे दिया है ।

श्री रघुरामैया : मीलों के अतिरिक्त यातायात आदि अन्य बातें भी विचारणीय होती हैं । उन्होंने कुछ कसौटियों के आधार पर राष्ट्रीय राजपथों को वर्गीकृत कर दिया है । उन्होंने देश को

4 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है और यह उस भाग में प्रचलित श्रम लागत के आधार पर किया गया है । केवल मील ही नहीं अन्य विविध कसौटियां भी निर्धारित की गई हैं ।

Shri Sheo Narain : When you were Transport Minister, Sir, you and Prime Minister went to Faizabad. I can show you that great road—Ramjanaki Road .... (**Interruption**)

All the roads of the country were got repaired within 5 years by Sher Shah Suri. It is very essential for the progress of the country to have better means of communication. You have stopped the construction of National Highways. Do you think that this work should not be undertaken ? How long you will keep it stopped ? The construction of highway has been postponed in our district. I would like to know what action is being taken by your Department and what is being done by your engineers. You should do at least what Sher Shah Suri had done.

Shri Iqbal Singh : The suggestion made by Shri Sheo Narain is worth appreciating. The Government must think over it.

Shri Sarjoo Pandey : It is learnt from the statement that the U. P. Government have been provided with Rs. 65 lakhs. I would like to know what was the demand of the State Government and whether the provision of Rs. 65 lakhs would not be inadequate for such a large State ?

Secondly, I want to know whether the Government have any scheme under their consideration for constructing a national highway which will link up Bihar and Uttar Pradesh ?

Shri Iqbal Singh : What has been given to the Uttar Pradesh State is given according to the criteria laid down. If the amount given to them would not be sufficient they would be provided with more money.

So far as the linking up of Uttar Pradesh and Bihar is concerned, the Hon. Member might be knowing that the road which passes through Calcutta, links up these two States. There is another road, Lateral road, and it too links up these States.

उड़ीसा में बाढ़ सहायता व्यवस्था

*212. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात सहायता संगठन योजना के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था की स्थापना के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति की जानकारी उड़ीसा सरकार ने दे दी है और अक्तूबर तथा नवम्बर, 1968 में उड़ीसा में आई बाढ़ तथा तूफान के समय इस व्यवस्था का कितना उपयोग किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पीड़ित जनता की सहायता के लिये किये गये कार्य अपर्याप्त थे; और

(घ) यदि हां, तो पर्याप्त व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख). राज्य सरकार से सूचना मिली है कि उन्होंने आपात सहायता संगठन योजना के अन्तर्गत निर्धारित राज्य संक्रिया योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है। तथापि 1965-66 से विभिन्न स्तरों पर अचानक प्राकृतिक संकटों का सामना करने के लिये प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया गया है। राजस्व बोर्ड राजस्व डिविजनल के आयुक्तों, विभागों के प्रधानों, जिला प्रशासन तथा ब्लाक प्रशासन को सहायता के उपाय करने के विशेष काम सुपुर्द किये गये हैं।

राज्य स्तर पर सहायता संक्रियों की आवश्यक मदों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिये राज्य सहायता एवं सिविल पूर्ति सलाहकार समिति नियुक्त की गई है। इस समिति की अध्यक्षता मुख्य मंत्री द्वारा की जाती है। इसके सदस्य उप-मुख्यमंत्री, राजस्व एवं अन्य मंत्री विभिन्न राजनीतिक दलों के कुछ प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर सहायता समितियां कार्य कर रही हैं। संसद् के सदस्य तथा विधान सभा के सदस्य एवं सब डिविजनल अधिकारी इसके सदस्य हैं, वे जिलाधीश को सहायता व्यवस्थाओं के परिपालन के लिये सलाह देते हैं।

(ग) 26 से 28 अक्तूबर, 1968 के दौरान गंजम, पुरी तथा कटक जिलों के तटीय क्षेत्रों में भारी तूफान आया था इस तूफान के साथ लगातार भारी वर्षा हुई, बहुत बड़े क्षेत्रों में बाढ़ आई तथा सड़क एवं रेल संचार व्यवस्था भंग हो गई। पीड़ित व्यक्तियों के साथ सम्पर्क बनाने के लिये राज्य सरकार ने नावें तथा बेड़े किराये पर लिये और मोटर लांच भी सेवा में लगाये जो हेड-क्वार्टर से प्रभावित क्षेत्रों में ट्रकों द्वारा ले जाये गये थे। जहां कहीं सम्भव था, व्यक्तियों ने सहायता सामग्री को सिर पर लाद कर पानी को पैदल पार भी किया। बाजारा कोट और मालूद ग्राम पंचायतों को छोड़कर पुरी के प्रभावित क्षेत्रों में 29 अक्तूबर तक तथा बाजाराकोट और मालूद ग्राम पंचायतों से 31 अक्तूबर तक सम्पर्क स्थापित किया गया। गंजम जिले के सभी प्रभावित क्षेत्रों से 1 नवम्बर, 1968 तक सम्पर्क स्थापित किया गया था। ऐरियल सर्वेक्षण एवं हवाई जहाज द्वारा भोजन गिराने की व्यवस्था अव्यावहारिक थी क्योंकि अधिकांश क्षेत्र पानी में डूबे हुये थे और भोजन गिराना व्यर्थ एवं हानिकारक होता।

(घ) राज्य सरकार ने बतलाया है कि उक्त व्यवस्था होने के पश्चात्, प्राकृतिक संकटों का कारगर ढंग से मुकाबला कर सकेंगे और शीघ्र सहायता दे सकेंगे। संकट में सहायता देना, राज्य अधिकार क्षेत्र का विषय है अतः राज्य में हालातों को ध्यान में रखते हुये प्राकृतिक संकटों से पैदा हुई समस्याओं से निपटने के लिये अपनी आपात सहायता योजना, जिसमें उपयुक्त व्यवस्था भी शामिल है बनाना राज्य सरकार तक ही सीमित है। आपात सहायता संगठन में यह भी व्यवस्था है कि इस व्यवस्था में दिये गये साधारण उद्देश्यों के आधार पर राज्य सरकारें अपनी आपात सहायता योजना बनायेंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : पिछले वर्ष के दौरान उड़ीसा में असम्भावित बाढ़ और तूफान आए और 5000 से अधिक गांवों को क्षति पहुंची । अनेक गांवों में लोगों का कितने ही दिनों तक दूसरे स्थानों से सम्पर्क टूटा रहा । चिलका और दूसरे स्थानों के निकट सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूबे रहे। लोगों ने बचाव तथा सहायता कार्यों को लिए नावों आदि की मांग की परन्तु आपात सहायता कार्य के अन्तर्गत निर्धारित होने के कारण कई दिनों तक यह सहायता उपलब्ध न हो सकी । राष्ट्रीय राजपथ नं० 5 बिल्कुल विच्छिन्न ही हो गया था और अभी तक भी इसको पूर्व स्थिति पर नहीं लाया गया है । रेल यातायात तीन महीने तक विच्छिन्न रहा । यातायात का केवल एकमात्र साधन नावें और मोटर लांच ही रह गई थीं । माननीय मंत्री जी के द्वारा सदन में पेश किए गए विवरण को पढ़कर मैं चकित रह गया, इन्होंने तो वही विवरण यहां पेश किया है जो राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है । मैं अच्छी तरह जानता हूं मेरे राज्य के लोग इस विवरण पर कभी विश्वास नहीं करेंगे । विवरण के अनुसार सम्पूर्ण सहायता कार्य कुछ घण्टों के भीतर आरम्भ हो गये थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने अपनी किसी एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच कराई थी कि इन सहायता कार्यों की सुविधा ग्रामीणों को संकट के घण्टों के भीतर ही पहुंचाई जा सकती थी और यदि यह सच है तो सरकार की ज़ानकारी क्या है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जैसाकि सदन को विदित है कि आपात सहायता देना तो मुख्यतः राज्य सरकार का ही दायित्व है । केन्द्रीय सरकार ने 1957 में यह देखते हुए कि प्राकृतिक आपत्तियां जैसे अकाल, बाढ़, भूकम्प, आग आदि का आकार-प्रकार प्रायः समान होता है, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के पथप्रदर्शन हेतु तथा राहत कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिये तथा वायुयानों द्वारा सहायता सामग्री फैंकने के ऐसे उपाय करने के लिए, जिनके लिए राज्य सरकारों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं एक योजना बनाने का प्रयास किया था । जब हमारे पास यह प्रश्न आया तो हमने सम्बद्ध राज्य सरकार से यह जानने का प्रयास किया कि उड़ीसा में जब तूफान आया तो उन्होंने क्या किया । अतः यह स्वाभाविक है कि हमने राज्य सरकार के द्वारा दी गई जानकारी को सही माना और उसी को सदन में प्रस्तुत कर दिया । यह जानने के लिये कि वहां क्या वास्तविक काम किया गया है और क्या करना चाहिए था, हमारी अपनी कोई एजेंसी नहीं है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : विवरण का प्रथम वाक्य इस प्रकार है :

> "राज्य सरकार से सूचना मिली है कि उन्होंने आपात सहायता संगठन योजना के अन्तर्गत निर्धारित राज्य संक्रिया योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है ।"

मैं आदरणीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार द्वारा दिया गया विवरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित आपात सहायता योजना संक्रिया के अनुरूप है । क्या सरकार ने इसकी पुष्टि करने का प्रयत्न किया है । मैं आदरणीय मंत्री जी का ध्यान, राज्य सरकार के

विवरण के भाग (घ) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि :

> "राज्य सरकार ने बताया है कि उपर्युक्त व्यवस्था होने के पश्चात् प्राकृतिक संकटों का ठीक ढंग से सामना कर सकेंगे और शीघ्र सहायता दे सकेंगे।"

हम विवरण के इन दोनों भागों का किस प्रकार समन्वय करें ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ये दोनों अलग-अलग हैं हमारी बताई हुई योजना के अनुसार ही वे संगठन की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने हमें बताया है कि हमारी निर्धारित योजना के अनुरूप उन्होंने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। जहां तक प्राकृतिक संकट के समय राहत कार्यों का सम्बन्ध है उन्होंने तदनुसार कारगर कार्य किए हैं। उन्होंने ब्योरे दिये हैं जिन्हें हम सदन के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां प्रभावित लोगों के पास सहायता दल और सहायता सामग्री में पांच दिन लगे। लोगों ने अपने बचाव के लिए अधिक संख्या में नावें मांगी और उन्हें न मिल सकीं। हम यहां किस लिए बैठे हैं। मैं उस प्रभावित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं आदरणीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे आपात सहायता संगठन की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करें। मैं जानना चाहता हूं कि संकटकाल में लोगों को समय रहते राहत और सहायता पहुंचाने के लिए ऐसे संगठनों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को भारत सरकार क्या वित्तीय सहायता देने का विचार करती है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब भी हमारे पास राज्य सरकारों से ऐसी प्रार्थना मिलती है, हम अपने आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार के राहत कार्यों के लिए वित्तीय सहायता अवश्य देते हैं। जहां तक इधर-उधर अयोग्यता के प्रश्न का सम्बन्ध है, और जैसे मैंने कहा है कि इसका विचार करना तो राज्य सरकार का ही उत्तरदायित्व है इस सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि अपेक्षित आपात सहायता कार्य चलाने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि दी गई थी ? राज्य सरकार ने कितना धन मांगा था और उसे कितना दिया गया ? धन देते समय सरकार के पास क्या ऐसी व्यवस्था है जिससे यह आश्वासन मिले कि धन उसी कार्य पर व्यय हुआ जिसके लिए वह दिया गया था ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक धन के वितरण का प्रश्न है यह वित्त मंत्रालय का काम है। हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसा मैंने अभी बताया कि अनुवर्ती कार्यवाही के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। राज्यों के पथ-प्रदर्शन के लिए हम योजना बनाते हैं, और उनका कर्त्तव्य है कि उनको लागू करना। हमारा इसमें कोई हस्ताक्षेप नहीं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि यह राज्य का काम है तो यहां कैसे उठाया गया है ? इसे वित्त मंत्रालय में भेजना था जब धन का वितरण वित्त मंत्रालय द्वारा होता है, तो गृह-कार्य मंत्रालय क्यों बीच में आ गया ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वर्ष 1957 में हमने देखा कि समय-समय पर देश में पड़ने वाली प्राकृतिक आपत्तियों का आकार प्रकार प्राय: समान होता है तो आपात सहायता सेवा योजना बनाने का निश्चय किया गया था । इस योजना के बनाने का कार्य गृह-कार्य मंत्रालय को सौंपा गया था । ऐसे राहत कार्यों में प्रशिक्षण देने के लिए गृह-कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की । योजना के निर्धारण के उपरान्त जिस प्रकार वे इसे उचित समझें, इसके उपयोग और लागू करने के लिए राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया था। इस सन्दर्भ में आने का यही एक कारण है अन्यथा हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Rabi Ray : The information received from the State Government is not correct. This was discussed in the House and the Kusth Prasad police station under the Chilka Lake falls in my constituency. No body went there for 7 consecutive days. May I know whether the Advisor of the Planning Commission Shri Menon went to Orissa some 15-20 days back and had discussion with the State Government and whether it is a fact that the State Government had asked for more money from the Centre for completing the relief operations ? If it is a fact how much money has been asked for ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे पता नहीं है कि योजना आयोग के सदस्य वहां गये थे या नहीं और राज्य सरकार ने कितना रुपया मांगा है । यदि माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पूछें, तो हम जानकारी प्राप्त करके सभा-पटल पर रख देंगे ।

श्री गु० च० नायक : केन्द्रीय सरकार ने बिहार और उड़ीसा के बाढग्रस्त क्षेत्रों को सहमती दी है । परन्तु रूरकेला के लोगों को कोई सहायता नहीं दी गई है जिनके परिश्रम के बल पर अति आधुनिक इस्पात कारखाना लगाया गया है हालांकि उन्होंने केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है । इस बारे में सरकार क्या कर रही है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जो सहायता दी जाती है उसका वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । इस मामले में हम उन्हें किसी प्रकार का परामर्श नहीं देते । वह स्वयं ही सब बातों का निर्णय करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री देवराव पाटिल उपस्थित नहीं हैं । अगला प्रश्न

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री देवराव पाटिल के नाम में जो प्रश्न है उसकी ग्राह्यता के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

एक माननीय सदस्य : वे हाजिर ही नहीं हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । प्रश्न का लिखित उत्तर हमें उपलब्ध किया गया है । प्रक्रिया नियमों के नियम 41 के अन्तर्गत इस प्रश्न पर गम्भीर आपत्ति की जा सकती है । किसी भी प्रश्न में बदनाम करने वाले कथन या आक्षेप नहीं होने चाहिये । मुझे नहीं पता इस प्रश्न में किस साम्यवादी दल की ओर निर्देश है, इस सभा तथा विभिन्न विधानमण्डलों में दोनों दल का, प्रतिनिधित्व है । इस देश में दो राज्यों में उनकी सरकारें हैं । यदि कल को ऐसे प्रश्न की सूचना दी जाये कि कांग्रेस दल की तोड़फोड़ की कोई योजना है तो क्या उसे गृहीत किया जायेगा ? इसलिये कि ये नियमों के अन्तर्गत गृहीत किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । मैं इसकी जांच करूंगा ।

चूंकि श्री पाटिल यहां पर नहीं हैं, अतः मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं । फिर भी चूंकि आपत्ति उठाई गई है, इसलिए मैं इस पर विचार करने के लिये तैयार हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : जब तक आप यह निर्णय नहीं कर लेते कि लिखित उत्तर को भी समाचारपत्रों को प्रकाशित नहीं करने दिया जायेगा.....

अध्यक्ष महोदय : यह एक जटिल प्रश्न है । मैं सब सदस्यों से सहमत हूं । हम बाद में बैठकर..... ..

श्री रंगा : चूंकि माननीय सदस्य की आपत्ति कार्यवाही का अंग बन गई है अतः हमें भी इस आपत्ति को निराधार सिद्ध करने का अवसर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं, मैं दलों के नेताओं को बुलाऊंगा ।

श्री रंगा : माननीय सदस्य की आपत्ति भी कार्यवाही से निकाल दी जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मैं इसे नहीं निकाल सकता ।

श्री रंगा : यदि इसे निकाला नहीं जा सकता तो हमें भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वे भी कार्यवाही का अंग बन सकें ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य प्रश्न काल में यह सब बहस करना चाहते हैं ?

श्री रंगा : मेरा सुझाव यह है कि दलों के जो नेता अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं उन्हें अब ऐसा करने दिया जाये और बाद में आप अपना निर्णय ले सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह प्रश्न बिल्कुल अस्पष्ट है । हमारे नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं ; उनके अन्तर्गत ऐसे अस्पष्ट प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

Shri Madhu Limaye : I would suggest that the written reply should not be released to the press. After discussing it you can take your decision. Then alone, it should be allowed to appear in the press.

Shri Kanwar Lal Gupta : I do not agree with this suggestion. The written reply should be given. When the Jana Sangh and the RSS is involved, then our Hon. Friends support it.....

श्री रंगा : मेरा ख्याल था कि श्री द्विवेदी मेरी बात का समर्थन करने जा रहे हैं। परन्तु उन्होंने दूसरा ही पक्ष लिया है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं। यदि स्वतंत्र पार्टी ऐसे कार्य करती है तो मुझे ऐसे मामले को उठाये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यह प्रश्न पूर्णतया नियमानुसार है। कुछ दल ऐसे कार्य कर रहे हैं यह प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। तंजोर जिले में तथा केरल के कुछ क्षेत्रों में फसल की कटाई में बाधा उपस्थित करने के लिये साम्यवादी दल को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसलिये इस प्रश्न को ग्राह्यता प्रदान करके आपने सही कदम उठाया है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : यह पता लगाना कि यह प्रश्न नियमानुसार है अथवा नहीं अध्यक्ष के सचिवालय का काम है और उस प्रश्न पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होना चाहिये। उसको यहां पर चुनौती नहीं दी जानी चाहिये।

इस प्रश्न में जिस घटना का उल्लेख है वह समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुकी है। यह एक राज्य में नहीं अपितु कई राज्यों में हुआ है। भारत में कृषि को तथाकथित शरारती तत्वों से आज भारी खतरा है.....

श्री क० लकप्पा : इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये। उन्हें अपने ये शब्द वापिस लेने चाहिये.....

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं था। चूंकि इससे साम्यवादी दल का सीधा सबंध था, इसलिये मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त को अपनी बात कहने का अवसर दिया था।

श्री क० लकप्पा : माननीय सदस्य गलत बात कहकर भाग निकल रहे हैं....

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार जोश में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस बात पर हमें विचार करना है वह यह है कि क्या एक पार्टी दूसरी पार्टी पर छीटाकशी कर सकती है या नहीं। यह पहला अवसर ही नहीं है। जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवकों के बारे में प्रश्न उठाये जाते रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि हमें शांति से विचार करना चाहिए। प्रश्न काल में इसपर विचार नहीं किया जा सकता। हम सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी समिति में इस पर विचार करेंगे....

श्री स० मो० बनर्जी : लिखित उत्तर वापस लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सूची में है, इसलिए सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। हम सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी समिति में इस मामले पर विचार करेंगे। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि कोई उन पर छीटाकशी न करे तो उन्हें भी किसी पर छीटाकशी नहीं करनी चाहिए।

हुगली नदी पर दूसरा पुल

*214. **श्री हेम बरुआ :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ओंकार सिंह :
श्री समर गुह :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री ज० अहमद :
श्री दिनकर देसाई :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कलकत्ता में हुगली नदी पर एक दूसरा पुल बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस परियोजना के लिये धन देगी और यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(घ) यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा तथा इसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां । पश्चिम बंगाल सरकार जो इससे संबद्ध है ने हुगली नदी पर प्रस्तावित पुल बनाने के लिए निश्चय कर लिया है ।

(ख) कुछ समय पहले राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्य पुल और इसके पहुंच मार्गों की मोटी लागत 16.52 करोड़ रुपये है और पुल को राष्ट्रीय मुख्य मार्ग तथा क्षेत्र की अन्य सड़कों से जोड़ने वाली सड़क बनाने के लिये 6 करोड़ रुपये की आवश्यकता है ।

(ग) भारत सरकार इस मामले पर सक्रिय विचार कर रही है ।

(घ) इस समय सूचना देना असामयिक होगा ।

श्री हेम बरुआ : विश्व बैंक से इस पुल के निर्माण के लिये कुछ वित्तीय सहायता की आशा की जाती थी । क्या यह सच है कि विश्व बैंक इस पुल के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता नहीं दे रहा है और यही इसके निर्माण में देरी का कारण है ?

श्री इकबाल सिंह : विश्व बैंक सहायता दे रहा है या नहीं अच्छा हो यदि यह प्रश्न वित्त मंत्रालय से पूछा जाये क्योंकि हमारा तो केवल पुल के तकनीकी पहलू से ही सम्बन्ध है । और इसका निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट था । विश्व बैंक से हुगली पर दूसरे पुल के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता मिलनी थी परन्तु वह नहीं मिल रही है और इसी कारण

निर्माण में देरी हो रही है। यदि इस कारण देरी नहीं हो रही है तो देरी का कारण क्या है ?

श्री इकबाल सिंह : हमें उसकी जानकारी नहीं है।

श्री हेम बरुआ : यह उत्तर दिया जा रहा है।

संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मेरे सहयोगी के इस उत्तर का अर्थ यह है कि हमारी वर्तमान जानकारी के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री हेम बरुआ : यह सत्र की शुरूआत के समय मंत्रिमंडल में हेरफेर का परिणाम है। प्रधान मंत्री ने ऐसा करके गलती की है। मुझे मंत्री महोदय के साथ सहानुभूति है कि वे इस मामले को अब तक नहीं समझ पाये हैं .....

अध्यक्ष महोदय : वे कृपया अपने प्रश्न पर आयें।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह है कि मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के लोगों का एक वर्ग, जिसका नेतृत्व इस सदन के एक सदस्य कर रहे हैं, ने पुल के निर्माण का विरोध किया है, और यदि हां, तो क्या इस पुल के निर्माण का प्रस्ताव पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति के शासनकाल के दौरान में किया गया था अथवा श्री अजय मुखर्जी के बंगाल के मुख्य मंत्री होने से पूर्व किया गया था ?

श्री इकबाल सिंह : यह मामला उस सरकार के सत्तारूढ़ होने से पूर्व ही बहुत समय से विचाराधीन था।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। वे इसको टाल रहे हैं। मैं जानना चाहता था कि क्या इस प्रस्ताव पर विचार तब हुआ जबकि श्री अजय मुखर्जी पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री थे अथवा उनके बाद हुआ जब कि पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया था।

श्री इकबाल सिंह : यह प्रस्ताव विचाराधीन था और कई वर्षों से इसके बारे में जनता से राय ली जाती रही है। मेरे विचार में 1964-65 में यह प्रस्ताव बनाया गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : कुछ महीने पूर्व श्री धर्मवीर ने कलकत्ता में दिल्ली दौरे के बाद प्रेस को सूचित किया था कि इन्होंने इस पुल के बारे में बातचीत की थी और उन्हें बंगाल के लोगों को यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि केन्द्र ने वित्तीय भार का एक बड़ा भाग वहन करना स्वीकार कर लिया है। अभी दिए हुए उत्तर के सन्दर्भ में मैं जान सकता हूं कि क्या यह मामला अभी तक अनिर्णित है और क्या श्री धर्मवीर चुनाव के पूर्व का छलपूर्ण प्रचार कर रहे हैं अथवा क्या सरकार ने वस्तुतः व्यय का एक भाग वहन करना स्वीकार कर लिया है ? मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि रेलवे अधिकारियों ने, जिन्होंने यह दावा किया है कि उन्हें पुल के

निर्माण में काफी अनुभव है, यह प्रस्ताव किया है कि अगर पुल का निर्माण करना है तो यह कार्य उन्हें सौंपा जाये और यदि हां, तो क्या उस प्रस्ताव पर विचार किया गया है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री इकबाल सिंह : जहां तक पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल द्वारा इस मामले को हाथ में लेने का प्रश्न है, यह सच है कि उन्होंने योजना आयोग के साथ इस मामले को उठाया है और उनको लिखा भी है। इस पर विचार किया जायेगा कि क्या यह रेलवे पुल या अन्य पुल होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि यह रेलवे पुल है लेकिन यह केवल सड़क पुल है जिसको पश्चिमी बंगाल की सरकार निर्माण करना चाहती है। उस स्थान पर रेलवे पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं उत्तर के सम्बन्ध में कुछ और कहना चाहता हूं। यह निर्णय किया गया है कि भारत सरकार राज्य सरकार को पुल के निर्माण पर व्यय करने के लिए गैर-योजना ऋण देगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग रेलवे पुल के बारे में नहीं था। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न को नहीं समझा है। मेरा प्रश्न हुगली पर पुल के बारे में था। रेलवे ने कहा है कि वे इसका निर्माण कम व्यय पर कर सकते हैं। मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि नहीं और क्या इसकी जांच की जा रही है ?

श्री इकबाल सिंह : हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री समर गुह : हुगली नदी पर प्रस्तावित दूसरा पुल व्यापार, उद्योग, व्यवसाय को बनाए रखने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण धमनी है। ये व्यापार आदि कलकत्ता के कार्यकलाप-केन्द्र द्वारा चलाए जा रहे हैं जो कि समूचे पूर्वी भारत के 15 करोड़ लोगों के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम को पूरा कर रहा है। यह याद रखना होगा कि व्यापार और उद्योग का 42 प्रतिशत और हमारी राष्ट्रीय आय के 15 प्रतिशत में कलकत्ता का योगदान है, साथ में कल्याणी से बज-बज तक हुगली नदी के 53 मील किनारों से दो भागों में औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैं परन्तु हुगली को पार करने के लिए केवल दो पुल हैं। लंदन, न्यूयार्क, रोम और पिट्सवर्ग जैसे शहरों की नदियों पर 16 पुल हैं, यहां तक कि फ्रांकफर्ट के समीपवर्ती नदी पर 11 पुल हैं, कलकत्ता जाने वाले लोग जानते हैं कि हावड़ा के पुल को प्रतिदिन 540,000 लोग और 42,000 वाहनों का भार वहन करना पड़ता है। हावड़ा पुल पर मार्ग का अवरोध हो जाना एक सामान्य बात है। इस पृष्ठभूमि में मैं यह कहना चाहूंगा कि पश्चिमी बंगाल के लोग और विशेषकर व्यापार, व्यवसाय से सम्बन्धित लोगों को इसकी बड़ी आवश्यकता है। मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार यह निश्चित वचन देगी कि पुल का निर्माण करने के लिए वे इतने परिमाण में सहायता देगी ? क्या मैं जान सकता हूं कि इस पुल का निर्माण कब आरम्भ होगा और सरकार यह देखेगी कि इसका निर्माण शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा ? यह देखने के लिए कि इसका निर्माण

शीघ्र हो, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत के पूर्वी भाग के संसद् सदस्यों की समिति की स्थापना की जायेगी ताकि वह यह देखे कि पुल का निर्माण कार्य शीघ्र हो ?

श्री रघुरामैया : मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने पुल के महत्व के बारे में जो कुछ कहा है उससे सरकार पूर्णतया सहमत है। परन्तु यह राष्ट्रीय राजपथ का पुल नहीं है। फिर भी इसके महत्व को देखते हुए हमने पुल के निर्माण के व्यय के लिए ऋण देना स्वीकार कर लिया है और मैं समझता हूं कि इसको चतुर्थ योजना काल के दौरान पूर्ण करने का प्रस्ताव है। हमने जो ऋण का आश्वासन दिया है उसको देखते हुए यह राज्य सरकार पर है कि वह इस मामले में आगे बढ़े।

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मैं जान सकता हूं कि उनका उत्तर क्या है ? क्या वे पूर्वी प्रदेश के संसद् सदस्यों की समिति गठित करेंगे जो यह देखे कि इसका निर्माण शीघ्रता से किया जा रहा है ?

श्री रघुरामैया : यह राज्य के क्षेत्र में है। मैं उनको संसद् सदस्यों को शामिल करने के लिए नहीं कह सकता।

श्री समर गुह : केन्द्रीय सरकार धन दे रही है। अतएव संसद् को भी अधिकार है .....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है। माननीय सदस्य को यह उत्तर संतोषप्रद नहीं लग सकता है। परन्तु यह राज्य सरकार का काम है। प्रत्येक अनुदान के लिये संसद् समिति नियुक्त नहीं कर सकती है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जब विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने कलकत्ता का दौरा किया और इस पुल सम्बन्धी योजना के ब्योरे का अध्ययन किया तो वे इससे संतुष्ट नहीं हुए और इसलिए वे पुल के निर्माण के लिये धन देने का प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं ? मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है या नहीं ?

श्री रघुरामैया : मेरे माननीय मित्र को यह सूचना मिली है परन्तु मेरी सूचना के अनुसार विश्व बैंक के हुगली पुल को वित्तीय सहायता देने के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हो सकता है कि वे न जानते हों। उनके अन्तिम वाक्य का आखिरी भाग क्या था ? हम इसको सुन नहीं सके हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनकी सूचना यह है कि विश्व बैंक ने कलकत्ता में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है।

श्री दिनकर देसाई : इस पुल की महत्ता को प्रत्येक स्वीकार करता है। इस तथ्य को देखते हुए कि कलकत्ता क्षेत्र में परिवहन समस्या बहुत जटिल हो गई है तो मेरे विचार में नदी पर ऊपरी पुल बनाने के बजाये नीचे से सुरंग निकालना ठीक रहेगा क्योंकि इससे समस्या ठीक से

सुलझेगी । इससे दो लाभ होंगे, प्रथम मुझे मालूम हुआ है कि फरक्का योजना के कारण नदी में अधिक जल होगा और पुल के दूसरी ओर बड़े जहाज जा सकते हैं । अगर वहां सुरंग होगी तो इसमें आसानी रहेगी क्योंकि नदी पर पुल होने से बड़े जहाज नहीं जा सकते हैं । इससे देशीय जल यातायात की समस्या भी सुलभ हो जायेगी । अगर आप विश्व के बड़े शहरों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां आधुनिक तरीके काम में लाये जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हमने कई बड़े शहर देखें हैं, वे हमारे शहर की बात करें ।

श्री दिनकर देसाई : आजकल प्रत्येक सुरंग पुल चाहता है क्योंकि इससे समस्याओं के समाधान में बहुत मदद मिलेगी । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे मेरे सुझाव पर विचार करेंगे और यदि हां तो क्या वे पता लगायेंगे कि इस पर कितना व्यय आयेगा और इसका अतिरिक्त लाभ क्या है ?

श्री रघुरामैया : क्योंकि यह पुल राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है अतएव यह निर्णय लेना राज्य सरकार का काम है कि इसको कहां स्थापित किया जाये और यह पुल किस प्रकार का होना चाहिए । मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता । मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार स्थान-निर्धारण की कठिनाइयों को जानती होगी ।

डा० रानेन सेन : मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या उनका विचार है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पुल के निर्माण में कोई संभावना भी है अथवा क्या यह ऐसी ही लटकती रहेगी, क्योंकि केन्द्रीय सरकार न ऋण और न वित्तीय सहायता ही देगी ? वास्तविक स्थिति क्या होगी ? इस सम्बन्ध में उनकी क्या राय है ?

श्री रघुरामैया : इस बारे में माननीय सदस्य को भी उतना ही पता है जितना कि मुझे है क्योंकि उन्होंने पूछा है कि इसकी कोई आशा है । मैंने पहले ही यह बताया है कि हमने चौथी योजना के अन्तर्गत इसके लिए ऋण देना स्वीकार कर लिया है ताकि यह काम पूरा हो सके ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में कोई रहस्य की बात नहीं है ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : कलकत्ता के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस पुल के लिए चतुर्थ योजना काल में एक निश्चित धन नियत करेगी और क्या सरकार राज्य सरकार को इसके निर्माण के लिए उचित योजना के बनाने के लिये कहेगी ?

श्री रघुरामैया : मैं इस बात को दोहराने की स्थिति में हूं कि हमने चतुर्थ योजना काल में गैर-योजना ऋण देने के बारे में आश्वासन दिया है ।

अन्तर्राज्यीय परिवहन पर एकल स्तरीय कर व्यवस्था

+

*215. **श्री के० रमानी :** **श्री के० एम० अब्राहम :**

श्री नम्बियार : **श्री उमानाथ :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ष 1968 के अन्त में अखिल भारतीय परिवहन संचालक सम्मेलन द्वारा किये गये इस अनुरोध की ओर दिलाया गया है, कि अन्तर्राज्यीय परिवहन पर दुहरे तथा विविध कराधान के स्थान पर एकल स्तरीय कर व्यवस्था होनी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अनुरोध पर विचार किया है; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मोटरगाड़ियों पर कराधान राज्य क्षेत्र में होने के कारण अन्तर्राज्यीय परिवहन पर एकल स्तरीय कर व्यवस्था का प्रश्न, समय-समय पर भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ उठाया गया । राजस्व में हानि होने की आशंका के कारण राज्य सरकारें दो से अधिक राज्यों के रास्तों पर चलने वाले परिवहन गाड़ियों पर एकल स्तरीय कर व्यवस्था के पक्ष में सामान्य रूप से नहीं हैं ।

अन्तर्राज्यीय रास्तों पर परिवहन गाड़ियों के परिचालन को विकसित, समन्वित तथा विनियमित करने के आशय से मोटर वेहेकिल अधिनियम 1939 की धारा 63 (ए) के अन्तर्गत एक अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग का गठन किया गया है । अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग नियमावली, 1960 के अधीन आयोग मोटरगाड़ियों पर कराधान के मामले में राज्य सरकारों को सलाह दे सकता है और अन्तर्राज्यीय मोटर परिवहन सेवाओं के निर्विघ्न और कुशल परिचालन के निमित्त राज्य सरकारों में पारस्परिक प्रबन्ध के निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद कर सकती है । तदनुसार आयोग एकल स्तरीय कर व्यवस्था के सिद्धान्त पर समीपवर्ती राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय रास्तों पर परिवहन गाड़ियों के परिचालन के लिये राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक समझौता को प्रतिपादन करने के लिये समाधान कराने वाले तरीकों को प्रयोग करता रहा है ।

दक्षिणी जोन के राज्यों में एक समझौता हो गया है जिसके अधीन प्रत्येक राज्य के 200 माल वाहक गाड़ियां अपने राज्य में देय करों के अलावा अपने राज्य में 500 रु० प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य को कर देने के बाद जोन में प्रत्येक राज्य में मुक्त रूप से चल सकते हैं । दूसरे जोनों के राज्य भी ऐसे समझौते करने का विचार कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Communist Plan for Subversion

*213. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Communist Party has prepared a subversive plan for looting the crops during the coming **rabi** harvest ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken by Government to counteract this Plan ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) to (c). According to information received from State Governments, Union Territory Administrations, no such plan has come to notice. Information is still awaited from the State Governments of Jammu and Kashmir, Kerala and Rajasthan.

Sarkar Committee on C. S. I. R.

*216. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of complaints subject-wise received up to January, 1969 alongwith the names of complainants in response to Shri S. K. Sarkar's D. O. No. 7/6/68-CI (CSIR), dated the 25th September, 1968, regarding Committee of Inquiry on the Council of Scientific and Industrial Research ;

(b) whether any interim or final report has been submitted to Government by the Committee about these complaints;

(c) if so, the broad details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) About 700 complaints have been received. It is not in public interest to disclose the contents of the complaints or the names of the complainants.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) The terms of reference given to the Committee are very wide and a large number of witnesses have to be called for and documents collected and examined. Besides the Members of the Committee having a number of other commitments find it difficult to meet for more than a few days in a month. The Committtee is trying its best to complete its work as early as possible.

केरल में पत्तनों का विकास

*217. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री पी० पी० एस्थोस :**

श्री प० गोपालन : **श्री क० अनिरुद्धन :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य में छोटे और बड़े पत्तनों के विकास के लिये

कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (ग). केरल सरकार से उस राज्य के बड़े पत्तनों के विकास के लिये कोई अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ है। जहां तक लघु पत्तनों का सम्बन्ध है राज्य सरकार ने केन्द्रीय आयोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत वेपोर पत्तन के विकास का प्रस्ताव रखा है। इस पत्तन से सम्बद्ध योजनाओं के ब्योरों की जांच की जा रही है।

लघु पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

Disturbances During Mid-Term Elections

*218. **Shri Kanwar Lal Gupta:** **Shri S. K. Tapuriah:**
Shri Bansh Narain Singh: **Shri Bharat Singh Chauhan:**
Shri Sharda Nand: **Shri Valmiki Choudhury:**
Shri Prakash Vir Shastri: **Shri Shiv Kumar Shastri:**
Shri P. C. Adichan: **Shri Nihal Singh:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of places where clashes and riots occured during the recent mid-term elections and the number of persons injured and killed as a result thereof;

(b) whether any political parties had a hand in these disturbances and if so, the names thereof;

(c) whether Government propose to take some fresh decisions in the light of these events; and

(d) if so, the time by which a final decision will be taken in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

(c) and (d). The problems connected with the holding of free and fair elections are receiving attention.

Statement

The following information has been furnished by the State Governments:

Bihar: There were 50 violent incidents in connection with the mid-term elections in which 60 persons were injured and 4 persons were killed.

West Bengal: There were 26 incidents of a minor nature. In these incidents, 34 persons were injured. The police have registered cases under appropriate sections of law.

Uttar Pradesh: There were four incidents of a serious nature, in which 62 persons were injured and 3 persons were killed. The police have registered cases and have made several arrests. Detailed information regarding the incidents during the mid-term elections is awaited.

Punjab: There were in all 45 incidents, out of which 15 involved the use of violence. Two persons were killed and 56, including 2 police officers, were injured in these incidents. The police took immediate cognizance of these incidents and registered cases under appropriate sections of law. Supporters of almost all political parties like BJS, the Congress, Akalis, CPI, SSP, PSP, Janata party and Independents were concerned in these cases.

Nagaland: No riot or clashes took place during second General Elections in Nagaland.

Facts regarding the involvement of political parties in these incidents are being ascertained from the State Governments of U. P., Bihar and West Bengal.

शिक्षा मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के सेवा-काल में वृद्धि

*219. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के ऐसे कितने अधिकारियों के सेवा-काल में वृद्धि की गई है, जिन्हें वर्ष 1968 में 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होना था;

(ख) उनके मंत्रालय में वर्ष 1968 में 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होने के बाद प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारियों को पुनः नियुक्त किया गया;

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(घ) उनके सेवा-काल में वृद्धि करने अथवा उन्हें पुनः नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) एक ।

(ख) एक ।

(ग) उप सचिव, श्री एम० एम० एन० मल्होत्रा का 18 दिन का सेवा-काल बढ़ाया गया था । स्वतंत्रता आन्दोलन इतिहास के वरिष्ठ विद्वान डा० आर० के० परमू को एक वर्ष के लिये पुनः नियुक्त किया गया था ।

(घ) अधिकारियों की सेवा-काल में वृद्धि और पुनः नियुक्ति जन-सेवा हित में की गई थी ।

रांची तथा हतिया में हुये साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में दयाल आयोग का प्रतिवेदन

*220. **श्री सत्य नारायण सिंह** **श्री ब्रज भूषण लाल :**
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री सूरज भान : **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 22 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1777 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची और हतिया में हुये साम्प्रदायिक दंगों की जांच करने के लिये नियुक्त दयाल

जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इस पर कब तक विचार पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 111/69]**

(ख) से (ङ). प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि बिहार सरकार को, उससे सम्बन्धित सिफारिशों पर उचित कार्यवाही के लिये भेज दी गई थी । प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां अन्य राज्य सरकारों को भी उनकी सूचना के लिये तथा उन सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जा रही हैं जिनमें जिला तथा राज्य स्तरों पर कार्यवाही करना आवश्यक है ।

चण्डीगढ़ में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन

*221. **श्री श्रीचन्द गोयल** :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने चण्डीगढ़ में हुये अपने सैंतीसवें वार्षिक सम्मेलन में राष्ट्रीय एकता के लिये कार्य करने का संकल्प सर्व-सम्मति से पारित किया है; और

(ख) क्या सरकार ने इस राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिये इनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिये कोई नीति बनाई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जबकि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने राष्ट्रीय एकता हेतु कार्य करने के लिये ऐसा कोई संकल्प पारित नहीं किया है, उनके द्वारा स्वीकृत कई संकल्प राष्ट्रीय एकता के लिये प्रयत्न करने को प्रेरित करते हैं। सम्मेलन ने देश भर में फैली अपनी-अपनी शाखाओं को राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने तथा संकीर्णता को हतोत्साहित करने के लिये गोष्ठी तथा सभाएं करने का अनुरोध किया है । स्वयंसेवी संस्थाओं को ऐसे विशिष्ट कार्य करने के लिये जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है अनुदान देने के लिये राष्ट्रीय एकता परिषद् को स्थायी समिति की स्वीकृति के लिए एक प्रयोजना तैयार की जा रही है ।

Free Primary/Secondary and University Education

*222. **Shri Yashwant Singh Kushwah:**
Shri R. K. Sinha:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the names of the States where free education up to the Primary stage/Secondary stage and University stage is being imparted; and

(b) whether steps are being taken to make science and technical education free throughout the country?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-157/69.]**

(b) No, Sir.

भारत द्वारा पाकिस्तान में अन्तर्राष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिता में भाग लेना

*223. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पाकिस्तान में पहली अन्तर्राष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिये, भारतीय खेल टीमों को बाहर भेजने से पहले, उनको ठीक-ठीक प्रशिक्षित किया जाना चाहिये । मंत्रालय के पास उपलब्ध तथ्यों से, यह प्रकट होता है कि समय की कमी के कारण, भारतीय हाकी संघ एकत्र नहीं हो सका और 8 मार्च, 1969 से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में भाग लेने के लिये पाकिस्तान भेजने हेतु एक अच्छी हाकी टीम को प्रशिक्षित न कर सका ।

पर्यटन का विकास

*224. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पर्यटन के विकास हेतु कोई व्यापक योजना बनाई गई है क्योंकि भारत की विदेशी मुद्रा की आय में पर्यटन उद्योग का अंशदान (1100 करोड़ रुपये में से 29 करोड़ रुपये) उसकी क्षमता से कम है;

(ख) यदि हां, तो होटलों में ठहरने के स्थानों तथा पर्यटन के अन्य पहलुओं के बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में पर्यटन स्थानों के विकास हेतु कितनी राशि नियत की गई है तथा विकास किये जाने वाले मुख्य स्थानों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1967 में भारत की कुल 1192.80 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय में पर्यटन का भाग 25.23 करोड़ रुपये है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पर्यटन के आधारभूत उपादानों के विकास और विदेशों में पर्यटन की अभिवृद्धि एवं प्रचार को बढ़ावा देने के लिये व्यापक स्कीमें तैयार की गई हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन अन्तिम नियतन एवं साधनों पर निर्भर रहेगा ।

(ख) और (ग). ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं और इन्हें, केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों की योजनाओं में पर्यटन पर होने वाले परिव्यय का अनुमोदन किये जाने के बाद अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

Teaching of Hindi to Government Employees

*225. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made so far to teach Hindi to the Central Government employees under the auspices of the Home Ministry ;

(b) the percentage of employees who have qualified themselves in Hindi examinations and the programme chalked out to impart Hindi education to the rest and to expand Hindi work ; and

(c) the steps taken to maintain the practical knowledge of Hindi of those employees who have learnt the same ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). So far about 2,19,000 employees have passed one or more prescribed Hindi examinations under the Hindi Teaching Scheme of the Home Ministry.

According to the information so far available about 3 lakh employees have yet to be trained in Hindi. Bulk of them are operational staff or are posted at places where there are no facilities for training in Hindi under the Hindi Teaching Scheme. Correspondence Course for Hindi Prabodh has been started from January, 1969 to enable such employees to study Hindi on their own. For them the rates of lump-sum awards admissible for passing the Hindi examinations by their own efforts have recently been liberalised.

(c) Both Hindi and English languages can be used for the official purposes of the Union. The Central Government employees are therefore free to use either of these languages for purposes of noting and drafting. With increasing use of Hindi in Central Government offices, these employees would have greater opportunities to maintain their knowledge of Hindi.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करने के लिये स्थायी व्यवस्था

*226. **श्री जि० मो० बिस्वास :** **डा० रानेन सेन :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करने के लिये स्थायी व्यवस्था स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त व्यवस्था के कब तक स्थापित किये जाने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत रूप रेखा के बारे में एक निर्णय लिया गया है। ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

(ख) प्रस्तावित व्यवस्था की रूप रेखा, गृह मंत्रालय में मंत्री द्वारा 16-12-1968 को सभा में अनिवार्य सेवा संरक्षण अध्यादेश पर चर्चा के दौरान बताई गई थी।

(ग) ज्यों ही प्रस्तावित विधान संसद द्वारा पारित किया जायेगा स्थाई व्यवस्था स्थापित की जायेगी।

अशोक और जनपथ होटलों का विलय

*227. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अशोक होटल लिमिटेड और जनपथ होटल लिमिटेड के विलय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो विलय से होटलों को क्या लाभ होगा ; और

(ग) क्या मंत्रालय का विचार उक्त होटलों के प्रबन्ध पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बारे में अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे उद्यमों को जिनके कि कार्यकलापों का क्षेत्र एक ही हो, एक साथ मिलाकर, सेक्टर कारपोरेशन बनाने का सुझाव दिया था और यह भी सुझाव दिया था कि अशोक होटल्स लिमिटेड एवं जनपथ

होटल्स लिमिटेड को लाभ की दृष्टि से भारत पर्यटन विकास निगम के साथ मिलाया जा सकता है। सरकार ने इन सिफारिशों को, जहां तक ये इन होटलों से संबंध रखती हैं, स्वीकार कर लेने का निर्णय कर लिया है। प्रस्तावित विलयन के ब्योरे अब तैयार किये जा रहे हैं।

Translation of Manuals and Forms

*228. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Kumari Kamala Kumari :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it has now been decided to get those Manuals, Forms, etc., translated from outside translators on payment which are sent to the Central Hindi Directorate by various Ministries for translation :

(b) if so, the number of such outside translators to whom translation work has been awarded and the rate at which this job has been entrusted to them ;

(c) the educational qualifications of those translators to whom this job has so far been entrusted ;

(b) the number of applications received so far for the assignment of this job ; and

(e) whether this job would be entrusted to those who are doing translation work in various Ministries and offices and possess sufficient experience of translation ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) In order to expedite translation work it has been decided to entrust the translation of manuals and forms which are not of a secret and restricted nature as far as possible to outside Translators, on payment.

(b) So far, translation work has been entrusted to 49 outside translators. The translation work will be paid at the following rates :—

(i) (a) Codes and Manuals of highly technical nature Rs. 6/ per standard page of not less than 300 words.

(b) Other Codes and Manuals of general nature Rs. 5/- per standard page of not less than 300 words.

(ii) (a) Technical forms—Rs. 4/- per form of not less than 300 words.

(b) Technical forms containing 200 words or less—Rs. 2/- per form.

(iii) (a) Ordinary forms—Rs. 3/- per form of not less than 300 words.

(b) Ordinary forms—Rs. 2/- per form of not less than 200 words.

(c) The following qualifications have been laid down for private Translators :—

(i) High proficiency in English and Hindi ;

(ii) Knowledge of the functional aspects of one or more of the following subjects :— Medicine, Sciences, Engineering, Agriculture, Economics and Finance, Public Administration and Humanities;

(iii) Fair acquaintance with office rules and regulations.

For those who are already employed in Government Offices, the following qualifications have been laid down :—

(i) Proficiency in English and Hindi of a high degree.

(ii) Experience of translation from English to Hindi and **vice versa**.

(iii) Experience of drafting and/or interpreting rules, regulations and procedural matters of Government Offices.

(d) 1,000.

(e) Yes, Sir ; provided the employing Ministries and Offices concerned permit them to undertake translation work outside office hours and receive remuneration therefor.

विशाखापत्तनम पत्तन का विकास

*229. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन के विकास के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इन प्रस्तावों पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं । चौथी पंचवर्षीय योजना में पत्तनों के विकास का प्रस्ताव योजना आयोग के परामर्श से विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार)

*230. **श्री क० लकप्पा :**

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **शिक्षा** मंत्री मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा (बिहार) सम्बन्धी 6 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 595 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस विषय में बिहार सरकार के विचार प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Foreign Tourists who Visited India During 1968

*231. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of fereign tourists who visited India during the year 1968 :

(b) their break-up, country-wise ;

(c) the amount of foreign exchange earned by India as a result thereof ; and

(d) the foreign exchange earned by India from the tourists during the last five years and its proportion to the total foreign exchange earnings of the country during the same period, year-wise ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) 188,820.

(b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-158/69.]**

(c) The figures are being worked out.

(d) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-158/69.]**

अध्यापकों के बारे में कोठारी आयोग की सिफारिशें

*232. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार इस बात पर सहमत हो गयी है कि वह अध्यापकों के बारे में कोठारी आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये अपेक्षित राशि का 50 प्रतिशत भाग राज्यों को देगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकारों से कहा गया है कि आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति पर होने वाले पूरे खर्च को वे स्वयं वहन करें ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) कोठारी आयोग की सिफारिशों को, जिनमें अध्यापकों से संबंधित सिफारिशें भी शामिल हैं, राज्य सरकारों द्वारा उन पर विचार और कार्यान्वयन के लिए भेज दिया गया है।

पर्यटकों का आगमन

*233. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या उत्तरोत्तर कम होती जा रही है जैसा कि होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट्स एसोसिएशन के प्रधान ने दिल्ली में कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या विदेशों से अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अन्य देशों द्वारा अपनाये जाने वाले तरीकों का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्यटन विभाग पर्यटकों के आयात को बढ़ाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हो रही घटनाचक्र की प्रगति से संपर्क बनाये हुए हैं। परन्तु एक सफल अभिवृद्धि विषयक कार्यक्रम के लिए देश के अंदर पर्यटन के आधारभूत उपादानों को परिपुष्टि करने के लिये एक बड़े परिमाण में धन विनियोजन की आवश्यकता है जिसके कि चौथी पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

कोयले की ढुलाई

234. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले को एक स्थान से दूर के स्थानों तक रेल मार्ग तथा जल मार्ग से ले जाने पर कितना-कितना खर्च आता है ; और

(ख) कोयले के नियमित सम्भरण का तटीय नौवहन व्यवस्था के विकास से कहां तक संबंध है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 159/69]**

विमान टिकटों की मांग

*235. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमान यात्रियों की संख्या में 17 प्रतिशत वृद्धि होने के साथ-साथ विमान टिकटों की मांग प्रतिवर्ष बढ़ती जायेगी ;

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न मार्गों पर विमानों की उड़ानों की संख्या बढ़ाने की वांछनीयता पर विचार किया है, ताकि प्रमुख मार्गों के लिए टिकटों की अनुपलब्धता के कारण होने वाली हानि बहुत कुछ पूरी की जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). विभिन्न मार्गों पर विमान सेवाओं की आवृत्ति संख्या निर्धारित करते समय इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रत्येक मार्ग पर उपलब्ध होने वाले यातायात के परिणाम (लोड फैक्टर्स) को निरन्तर दृष्टि में रखा जाता है ।

Transport Service in Delhi

*236. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state the broad details of the project formulated for the development of transport service in the area under the Delhi Master Plan during the Fourth Plan period ?

The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah) : The Fourth Plan proposals relating to the Delhi Transport Undertaking are still under consideration.

इन्द्र प्रस्थ भवन में अर्जुन सिंह की मृत्यु के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच

*237. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने उन परिस्थितियों की जांच पूरी कर ली है, जिनमें 19 सितम्बर, 1968 को नई दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक चपरासी श्री अर्जुन सिंह की इन्द्रप्रस्त भवन से गिरने के बाद मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). जांच, जो अभी प्रगति पर है, के एक महीने में पूरे हो जाने की सम्भावना है ।

विद्यार्थियों की भागिता के लिए फ्रांस के शिक्षा संबंधी सुधारों के प्रस्ताव

*238. **श्री मधु लिमये** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों की भागिता आदि के लिये फ्रांस के शिक्षा सम्बन्धी सुधारों के प्रस्तावों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या ब्रिटेन में राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ तथा उप-कुलपतियों की संयुक्त समिति ने इसी प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो भाग (क) और (ख) में उल्लिखित प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या विश्वविद्यालय क्षेत्रों में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिये उक्त प्रस्तावों के

आधार पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में संशोधन करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). फ्रांस के शिक्षा संबंधी सुधारों तथा ब्रिटेन के राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ और कुलपतियों तथा प्रिंसपलों की समिति के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के बारे में समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबरों से सरकार को जानकारी है ।

(ग) प्राधिकृत विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(घ) सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है ।

राज्यों में लाटरियां

*239. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री सीताराम केसरी :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी राज्य सरकारों ने राज्य लाटरियां चालू कर रखी हैं;

(ख) ये लाटरियां किन शर्तों पर चल रही हैं;

(ग) क्या राज्यों के संसाधनों में वृद्धि करने में इन लाटरियों की सफलता के बारे में उनको कोई जानकारी है;

(घ) क्या सरकार का विचार संसाधन जुटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक लाटरी आरम्भ करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सात राज्यों ने, नामत: हरियाणा, केरल, मद्रास, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ।

(ख) ये लाटरियां, विषय पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाये नियमों में निर्धारित शर्तों से नियन्त्रित की जाती हैं, तथा उनके अनुसार चलाई जाती हैं ।

(ग) प्राप्त समाचारों से प्रतीत होता है कि संसाधनों में वृद्धि करने में ये लाटरियां सफल सिद्ध हुई हैं ।

(घ) और (ङ). राष्ट्रीय स्तर पर लाटरी आरम्भ करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

केरल सरकार द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को वापिस लेने को गैर-कानूनी ठहराया जाना

*240. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार के विधिवेत्ताओं ने केरल मंत्रिमंडल के इस निर्णय को गैर-कानूनी तथा असंवैधानिक ठहराया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल संबंधी मामलों को वापस लिया जाये;

(ख) क्या इस मामले में केरल सरकार को सूचना दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस पर केरल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). केरल सरकार को बता दिया गया था कि यह एक राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह अपने कार्यकारी अधिकार का प्रयोग इस प्रकार करे कि संसद् द्वारा बनाये गये कानूनों का पालन सुनिश्चित हो तथा मामले वापस न लिये जायं ताकि संसद् द्वारा बनाये गये कानूनों के वैधिक प्रभाव निरर्थक न हों। फिर भी, केरल सरकार ने अनिवार्य सेवाएं (अनुरक्षण) अधिनियम, 1968 से उत्पन्न मामलों को वापिस लेने के कदम उठाये हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित विभाग तथा कार्यालय कानून के अनुसार लोक अभियोजक द्वारा मामले वापस लेने का, उपयुक्त न्यायालयों में विरोध करेंगे।

चण्डीगढ़ के लिये निर्वाचित निगम

1292. **श्री हेमराज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष जब प्रधान मंत्री चंडीगढ़ गई थीं तो वहां की जनता ने उनसे यह अनुरोध किया था कि चंडीगढ़ में एक निर्वाचित निगम की स्थापना की जाये, ताकि चंडीगढ़ के लोग वहां के प्रशासन में सहयोग दे सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रधान मंत्री से ऐसा कोई निवेदन नहीं किया गया प्रतीत होता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में कांडला तथा अन्य पत्तनों का विकास

1293. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के क्षेत्रीय परिवहन सर्वेक्षण यूनिट ने गुजरात, कांडला और मध्यम तथा छोटी बन्दरगाहों के विकास के लिये एक योजना की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह योजना स्वीकार कर ली गई है; और

(ग) इसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). गुजरात राज्य के पत्तनों के विकास के लिए योजना आयोग के क्षेत्रीय परिवहन सर्वेक्षण एकिक की सिफारिशें 1966 से शुरू होने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में की गई थीं। ये प्रस्ताव पत्तन में धराउठाई सुविधाओं की अतिरिक्त क्षमता, पत्तन विकास परियोजनाओं के डिजाइन तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए जरूरी जलीय सर्वेक्षण, और निकर्षण परियोजनाएं बनाने के लिए व्यवस्था करने से संबद्ध थे। पत्तनों के विकास के लिए चतुर्थ योजना काल, 1966—71 के लिए तब 7.83 करोड़ रुपये की राशि का विचार था। चौथी योजना का प्रारम्भ आगे बढ़ाकर 1 अप्रैल, 1969 से रखा गया है और चौथी योजना (1969—74) को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है। तथापि गुजरात के पत्तनों के विकास पर 1966-67 और 1667-68 के दो वर्षों में 154.34 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। चालू वर्ष का नियतन 99 लाख रुपया है।

गुजरात में राष्ट्रीय राजपथ

1294. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने 1968-69 में राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिये एक योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा राज्य सरकार ने 1968-69 के लिये कितने व्यय का प्रस्ताव रखा है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना की स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). गुजरात सरकार ने 1968-69 में राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के विकासार्थ कोई विशिष्ट योजना प्रस्तुत नहीं की है। उक्त वर्ष के बजट प्रस्तावों में राज्य सरकार ने 88.14 लाख रुपये

की व्यवस्था का प्रस्ताव किया है इसमें जारी निर्माण-कार्यों के लिये 20.91 लाख रुपये और नये निर्माण-कार्यों के लिये 67.23 लाख रुपये है । इन प्रस्तावों के विरुद्ध उक्त वर्ष के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधित अनुमान की राशि 51.49 लाख रुपया है जो जारी निर्माण-कार्यों के लिये 31.51 लाख रुपये और नये निर्माण-कार्यों के लिये 19.98 लाख रुपये की राशियों से मिलकर बनी हुई है । प्रस्तावों की जांच करने और वित्त मंत्रालय द्वारा धन स्वीकृत किये जाने के बाद 1968-69 वर्ष के संशोधित अनुमान में 45.00 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है ।

गुजरात में राष्ट्रीय राजपथ

1295. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1967-68 के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजपथों की स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की थी; और

(ख) उक्त वर्ष में इस प्रयोजन के लिये कितना धन दिया गया था ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 1967-68 में 5.30 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत के छप्पन निर्माण-कार्य प्रगति पर थे । इसके अतिरिक्त बंबई, अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 पर जदेश्वर के पास नर्मदा नदी पर पुल तथा उसके पहुंच मार्गों के निर्माण-कार्य को 346.22 लाख रुपये के अनुमानित लागत पर मंजूरी दी गई ।

(ख) 1967-68 में गुजरात सरकार को 52.70 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी ।

Posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Education Ministry

1296. **Shri Balraj Madhok** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no post of Hindi Stenographer, Hindi Assistant, Hindi Translator in his Ministry is reserved for the scheduled castes and scheduled tribes ;

(b) if so, the reasons for not reserving any post in the above grades ; and

(c) whether one post in each of the above grades is likely to be reserved in the near future ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). A statement is laid on the Table. **[Placed in Library. See No. LT-160/69.]**

पालम हवाई अड्डे पर दुकानों का आवंटन

1297. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम के नये हवाई अड्डे पर बनाई जाने वाली दुकानों, रेस्टाराओं की संख्या कितनी है तथा वे किस प्रकार की होंगी तथा उन्हें किस प्रकार से आवंटित करने का निर्णय किया गया है और आवंटन की शर्तें क्या हैं तथा प्रति वर्ग फुट किराया कितना है;

(ख) जिन लोगों को ये दुकानें दी जा चुकी हैं, उनके नाम क्या हैं तथा दुकानें किन शर्तों पर तथा किस तरीके से दी गई हैं;

(ग) क्या दुकानें आवंटित करने में एक प्रकार की एक ही दुकान देने के एकाधिकार के सिद्धान्त का पालन किया गया है तथा दुकानें लेने वालों को यात्रियों का शोषण का अवसर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक प्रकार की दो-दो दुकानें दो भिन्न व्यक्तियों को देकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित क्यों नहीं किया गया;

(ङ) क्या चाय बोर्ड, काफी बोर्ड, नारियल जटा बोर्ड, दस्तकारी निर्यात तथा हथकरघा निगम को दुकानें दी गई हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). मौजूदा टर्मिनल बिल्डिग में जिसका हाल ही में नवीकरण और विस्तार किया गया है, एक अतिरिक्त रेस्टोरेंट और दो काफी बारों की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

जिन दुकानों और रेस्टोरेंटों के लिये पहले ही स्थान नियतन किया जा चुका है, उनका तथा नियतन की शर्तों का ब्योरा विवरण में दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 161/69] निर्धारित की गई नीति के अनुसार सरकार/अर्ध-सरकारी निकायों अथवा भारत पर्यटन विकास निगम, केन्द्रीय कुटीर उद्योग विक्रयालय इत्यादि जैसे सरकारी क्षेत्रीय उद्यमों को छोड़कर अन्य हालतों में स्थान का नियतन टेण्डर मंगाकर किया गया है । दिल्ली हवाई हड्डे के लिये निर्धारित वर्तमान बाजार दर 45 रुपये प्रति 100 वर्ग फुट प्रति मास है ।

(ग) और (घ). उपलब्ध स्थान के सीमित होने के कारण एक ही प्रकार की कई दुकानें नहीं खोलने दी जा सकतीं । परन्तु शुल्क दरें नियत की जाती हैं तथा भावों की दरों को पास के शहर में उसी प्रकार की दुकानों में प्रचलित दरों के तुल्य रखना पड़ता है ।

(ङ) और (च). भारत पर्यटन विकास निगम तथा केन्द्रीय कुटीर उद्योग विक्रयालय के लिये स्थान का नियतन किया जा चुका है । जब कभी आवश्यक होता है अन्य संगठनों के लिए भी स्थान नियतन के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है ।

इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन तथा एयर इंडिया के विमान-चालकों के वेतन, भत्ते आदि

1298. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस में से प्रत्येक के दस सर्वोच्च विमान-चालकों के नाम क्या थे तथा उनके समयोपरि तथा अन्य सब भत्तों सहित कुल वार्षिक वेतन कितना-कितना था ।

(ख) उपरोक्त वेतनों में से ऐसी वार्षिक राशि कितनी है, जिस पर आयकर प्राप्ति स्थान पर ही काट लिया जाता है तथा गत वर्ष प्रत्येक मामले में कितना-कितना कर वसूल किया गया;

(ग) इन विमान चालकों में से प्रत्येक को नकद वेतन के अतिरिक्त क्या-क्या विशेषाधिकार तथा सुविधायें प्रदान की गईं और ऐसी सुविधाओं तथा विशेषाधिकारों पर कितना-कितना धन खर्च किया जाता है; और

(घ) विमान-चालकों द्वारा प्रत्येक निगम के साथ की गई सामान्य संविदा की मुख्य बातें क्या हैं तथा विशेष रूप से उनकी सेवा निवृत्ति की आयु, भविष्य निधि, उपदान, दुर्घटना बीमा, मृत्यु के पश्चात् की सुविधाएं तथा चिकित्सा व्यय संबंधी शर्तें क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना विवरण में दी गयी है । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०** 162/69]

(ग) विमान चालक भी अन्य सब कर्मचारियों को मिलने वाली इस प्रकार की सब सहूलियतों एवं सुविधाओं के पात्र हैं; जैसे—

(i) अवकाश लाभ,

(ii) कारपोरेशन की सेवाओं पर निःशुल्क तथा रियायती विमान यात्रायें; तथा

(iii) स्वयं के लिये चैकित्सिक रियायतें ।

इनके अतिरिक्त, ये विमान-चालक विशेष यात्रा भत्ते, होटल आवास, ड्यूटी पर जाने के लिये मुफ्त परिवहन, स्टे-ओवर/ले-ओवर भत्ते तथा भोजन भत्ते के भी अधिकारी हैं । इन मदों पर होने वाला व्यय तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(घ) इन विमान-चालकों की नियुक्ति की शर्तों की मुख्य-मुख्य विशेषताएं निम्न-लिखित हैं :—

(i) **सेवा-निवृत्त की आयु**

58 वर्ष बशर्ते कि वे डाक्टरी तौर पर फिट हों तथा उनके पास चालू लाइसेंस हों ।

(ii) **प्राविडेंट फण्ड** (निर्वाह निधि)

एक अंशदायी निर्वाह निधि, जिसमें नियोजक का भाग उनकी उपलब्धियों के उस अंश के $8\frac{1}{3}\%$ के बराबर होता है जोकि इस उद्देश्य के लिये 'वेतन' समझा जाता है ।

(iii) **ग्रेचुइटी**

सेवा के हर वर्ष के लिये एक मास का मूल वेतन, बशत कि वह अधिक से अधिक 30,000 रुपये अथवा 15 मास का मूल वेतन, जो भी कम हो, हो सकेगी ।

(iv) **लाइसेंस हानि बीमे का प्रीमियम**

कारपोरेशन विमान-चालकों के लाइसेंस हानि बीमे के प्रीमियम के लिये सालाना 800/-रुपये तक व्यय करती है ।

(v) **दुर्घटना बीमा**

विमान-चालकों का विश्व में कहीं भी और किसी भी समय विमान-चालकों की दुर्घटना से मृत्यु के खतरे के बारे में उनके दर्जों के अनुसार राशि का बीमा हुआ रहता है ।

(vi) **मृत्यु लाभ**

यदि विमान-चालकों की किन्हीं निर्धारित परिस्थितियों में ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उन्हें बीमे की राशि के अलावा अपने मूल वेतन के 36 गुने के बराबर मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार होता है ।

(vii) **चैकित्सिक लाभ**

विमान-चालक कारपोरेशन में, अन्य सब वर्गों को मिलने वाले चैकित्सिक लाभों के अधिकारी हैं ।

(viii) **वर्दियां**

वर्दियों का मुफ्त दिया जाना ।

Inter-State Road Development Programme in Maharashtra

1299. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether the Government of Maharashtra have sent a scheme for constructing roads and bridges to link Mysore, Andhra Pradesh, Gujarat and Madhya Pradesh with one another for inclusion in the Fourth Five Year Plan ; and

(b) if so, the details of the inter-State Road Development programme and the amount of expenditure proposed to be incurred thereon by the Central Government and the State Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b). No single scheme for inclusion in the Fourth Five-Year Plan for the construction of roads and bridges to link the States of Mysore, Andhra Pradesh, Gujarat and Madhya Pradesh has been received from the Government of Maharashtra. They have, however, made some time back a request for Central financial assistance for the development of a road from Pimpalgaon to Nirmal and the construction of a bridge over the river Pranhita near Sironcha. Both these projects, however, would only connect Maharashtra with Andhra Pradesh and a decision in the matter can be taken only after the Fourth Plan allocations have been finalised.

गुजरात राज्य में होम गार्ड

1300. **श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में होम गार्ड में कितने व्यक्ति हैं तथा क्या गुजरात सरकार का विचार राज्य में होम गार्ड दल की शक्ति में वृद्धि करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) और (ख). 14 फरवरी, 1969 को शहरी होम गार्ड 19,796 थे। ग्राम रक्षक दल की संख्या, जो ग्रामीण होम गार्ड के स्थान पर माना जाता है, 25,000 थी। गुजरात सरकार ने अब निम्नलिखित संख्या का प्रस्ताव किया है :

शहरी होम गार्ड	ग्रामीण होम गार्ड (ग्राम रक्षक दल)	तारीख जिस तक बढ़ाई जानी है
1. 24,000	30,000	31-3-1970
2. 25,000	35,000	31-3-1971

हवाई अड्डों का विकास

1301. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** :
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा स्थापित किये गये हवाई अड्डे आयोजन दल ने 9 करोड़ रुपये की लागत से हवाई अड्डों में विकास की एक समेकित योजना की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है तथा इस योजना के अनुसार कब से कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वास्तविक कार्यान्वयन चौथी योजना के दौरान उपलब्ध की गयी वित्तीय व्यवस्थाओं पर निर्भर करेगा।

बर्मा के शिक्षा मंत्री की भारत यात्रा

1304. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा के शिक्षा मंत्री ने अपनी हाल ही की भारत यात्रा में उनके साथ विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो किस-किस विषय पर विचार-विमर्श किया गया तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख). जनवरी 1969 के दौरान बर्मा के शिक्षा मंत्री परमश्रेष्ठ कर्नल हलाहल की यात्रा मुख्य रूप से एक पड़ोसी मित्र देश के मंत्री द्वारा सद्भावना यात्रा थी। दिल्ली में उनके ठहरने के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने उनके साथ प्राथमिक, तकनीकी और विश्वविद्यालय शिक्षा, तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण जैसे समान रुचि के विषयों के बारे में पारस्परिक विचारों का सामान्य आदान-प्रदान किया था।

"शान्ति वन" में पाया गया गोला

1305. **श्री क० लकप्पा :** **डा० सुशीला नैयर :**
श्री ए० श्रीधरन : **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 24 दिसम्बर, 1968 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुए इस आशय का समाचार देखा है कि पाइपलाइन बिछाने के लिये जमीन खोदते हुए एक मजदूर को "शान्ति वन" दिल्ली में 25 पौंड का एक गोला मिला था ;

(ख) क्या गोला बनाने वाले व्यक्ति का पता लगा लिया गया है ; और

(ग) इसका विवरण क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 22 दिसम्बर, 1968 को शान्ति वन के निकट लाल किले के पीछे जल लाइन बिछाने के लिए जमीन खोदते समय 25 पौंड का एक भरा हुआ गोला मिला था। गोले की जांच पड़ताल करने से पता चला कि वह 15 वर्ष से भी अधिक पुराना था।

Pak Infiltrators in Eastern Part of India

1306. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that of late there has been increasing incidents of intrusions of Pakistani infiltrators in Eastern parts of India ;

(b) if so, whether Government have drawn the attention of the Pakistan Government towards this matter ;

(c) if so, the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Development of Pauri-Garhwal (U. P.)

1307. **Shri Kashi Nath Pandey :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that although the hill district of Pauri-Garhwal is of strategic importance yet facilities to that extent are not available there as are available to the border districts of Assam and Kashmir ;

(b) if so, the steps Government propose to take in this regard and the nature of facilities likely to be provided there ;

(c) whether Government propose to start some special scheme for the development of this District ; and

(d) if so, when it is likely to be started ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). Pauri-Garhwal is one of the hill districts of Uttar Pradesh. While there is no separate development plan for these hill districts, the State Government keep the special needs of these areas in view while formulating their plans. Road construction, provision of drinking water, irrigation, electric power, education and public health facilities, development of horticulture, animal husbandry, forestry and small and cottage industries. have been given special emphasis for the development of these districts.

A Hill Development Board, which was constituted in August, 1967, advises the State Government on the development needs of the hill districts.

Special problems of hill districts of Uttar Pradesh are being given due consideration by the Planning Commission, while finalising the Fourth Plan.

Employees of District Planning Office, Pauri, U. P.

1308. **Shri Kashi Nath Pandey :**
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Jamna Lal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of employees proposed to be declared surplus or already declared

surplus in the District Planning Office, Pauri (Uttar Pradesh) ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken to provide them alternative employment ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). As a measure of economy the State Government are considering a proposal for the combination of the Plant Protection Service of Horticulture and Agriculture Departments which would result in one post of senior clerk and three posts of junior clerks being rendered surplus. No final decision has yet been taken by the State Government.

चीनियों द्वारा बधाई-पत्रों की बिक्री

1309. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 जनवरी, 1969 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर चीनियों द्वारा एटम बम के धुएं के बादलों वाले बधाई-पत्रों की बिक्री सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इन बधाई-पत्रों पर "माओत्से तुंग के विचारों की महान विजय" लिखा हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के ध्यान में कोई ऐसे बधाई-पत्र नहीं आये हैं । जम्मू व कश्मीर, केरल तथा नेफा से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Chaturth Shreni Sahyog Samiti

1310. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Kashi Nath Pandey :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of colonies in Delhi where Chaturth Shreni Sahyog Samiti have been granted recognition ; and

(b) whether it is a fact that the behaviour of workers of the Samiti in Kasturba Nagar, New Delhi-3 is not satisfactory towards the residents of the Colony ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Residential Welfare Associations of Class IV Employees of the Central Government known

by various names, such as, Kalyan Samitis, Sudhar Samitis, Sahyog Samitis, etc. are functioning in the following colonies :—

1. Raja Bazar
2. Panchkuin Road
3. Rouse Avenue
4. Srinivasapuri
5. Andrews Ganj
6. Kidwai Nagar
7. Aliganj
8. Prem Nagar
9. Kasturba Nagar
10. Netaji Nagar
11. Moti Bagh I
12. R. K. Puram Sector I
13. R. K. Puram Sector II
14. R. K. Puram Sector III
15. R. K. Puram Sector V
16. R. K. Puram Sector VII
17. Akbar Road

No formal recognition is granted to such associations but if their work is satisfactory they are given grant-in-aid by Government.

(b) Yes, Sir.

There are two Welfare Associations in Kasturba Nagar. One of them is the Bharat Sarkar Chaturth Shreni Parasparik Sahyog Samiti formed in 1966-67 and has been functioning as the rival body to the older Welfare Association viz. Bharat Sarkar Chaturth Shreni Kalyan Kari Sabha. Recently, a complaint has been reveived from some residents, presumably members of the Sabha alleging unsatisfactory behaviour of the workers of the Samiti. Such complaints are not uncommon when there are more than one Welfare Organisation functioning in a particular area. The Samiti does not receive any grant-in-aid from the Government.

वर्षा करने की प्रणाली

1311. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्राध्यापक डा० एस० के० घोष ने वर्षा कराने की एक ऐसी प्रणाली का विकास किया है जिससे किसान केवल 20 रुपये की लागत से लाभ उठा सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार ने समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई ये रिपोर्टें देखी हैं कि डा० घोष ने एक ऐसा कृत्रिस वर्षा कराने का तरीका (टकनीक) निकालने का दावा किया है जो किसानों की पहुंच के अन्दर है।

(ख) कोई भी प्रकाशित ब्योरा उपलब्ध नहीं है। समाचारपत्रों की रिपोर्टों के अनुसार वह तरीका यह प्रतीत होता है कि महीन पिसे हुए समुद्री नमक वाले रबड़ के स्वयं स्फोटी गुब्बारों को वर्षा भरे बादलों के संपर्क में लाकर उन बादलों का वर्षण कराना है।

(ग) भारत सरकार भारत और विदेशों में किये जा रहे कृषिम वर्षण सम्बन्धी प्रयोगों के सम्पर्क में है तथा उनके परिणामों में उसकी बड़ी अभिरुचि है। परन्तु क्योंकि कृत्रिम वर्षण में सत्यापन प्रक्रिया अत्यधिक कठिन एवं जटिल होती है, डा० घोष के दावे के विषय में किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचना सम्भव नहीं है।

तेल्लीचेरी-पुलपल्ली की घटनायें

1312. **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालन :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल विधान सभा में केरल के मुख्य मंत्री के इस आशय के वक्तव्य की ओर गया है कि तेल्लीचेरी-पुलपल्ली की घटनाओं में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग तथा केन्द्रीय जांच विभाग की गतिविधियों के बारे में जांच-पड़ताल करना केन्द्रीय सरकार का कार्य है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख) . राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

तेल्लीचेरी-पुलपल्ली की घटनाओं के समय पुलिस के गुप्तचर विभाग के एक प्रमुख अधिकारी का कन्नानूर में होना

1313. **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री प० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत नवम्बर में हुई तेल्लीचेरी-पुलपल्ली की घटनाओं के समय केन्द्रीय सरकार के गुप्तचर विभाग का एक प्रमुख अधिकारी कन्नानूर में था ; और

(ख) यदि हां, तो उसे किस विशेष कार्य के लिये वहां भेजा गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चंडीगढ़ में रिहायशी भूखंड

1315. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सहकारी संस्थाओं को दिये जाने वाले रिहायशी भूखंडों के मूल्य बहुत अधिक निर्धारित किये जाने के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सहकारी संस्थाओं को रिहायशी प्लाट देने के लिये चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्यों के बारे में सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है ।

Escape by Naxalbari Undertrials

1316. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Onkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the undertrial prisoners arrested in connection with Naxalbari disturbances have escaped from Siliguri jail and the police has not been able to arrest them so far ; and

(b) if so, the reaction of Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : **(a) and (b).** Facts are being ascertained from the State Government.

Activities of Foreign Missionaries in Adivasi and Backward Areas

1317. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some voluntary and political organisations of India have requested Government to curb the activities of foreign missionaries working in Adivasi and backward areas of India ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Suggestions have been received from certain individuals and voluntary organisations, but not from or on behalf of any political organisation, that the activities of foreign missionaries in Adivasi and backward areas of India should be curbed as they are promoting conversions to Christianity by offering allurements and encouraging tendencies which are prejudicial to the security and integrity of India.

(c) Suitable action is taken, where necessary, having regard to the circumstances of each case that comes to notice.

Pending Cases of Central Hindi Directorate and C.S.T.T.

1318. **Shri J. B. Singh :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) wheter it is a fact that many cases of the Central Hindi Directorate and the Commissioner for Scientific and Technical Terminology are pending in his Ministry ;

(b) if so, the number of cases at present that were sent to his Ministry and on which no decision has been taken so far ;

(c) the reasons for not taking quick decision by his Ministry on cases sent by these two offices ;

(d) whether Government propose to take measures for quick disposal of cases ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (e). A few proposals received from the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology could not be finally disposed of for the following reasons :

(i) In two cases, the justification furnished by these Organisations was inadequate and further clarifications had to be sought for from them which they have not yet furnished.

(ii) Two cases are under discussion with Financial authorities.

(iii) Five cases have been received only recently which in the very nature of those proposals require detailed examination.

Every effort is made to expedite decisions on the proposals received from them.

Employees of Central Hindi Directorate and C.S.T.T. Working in Ministry of Education

1319. **Shri J. B. Singh :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the services of many employees of the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology are utilised in the Ministry of Education whereas they draw their salaries from the Directorate and the Commission ;

(b) if so, the names of employees whose services are being utilised in the Ministry and the time since when it is being done ;

(c) whether Government will consider the question of sending back those employees to the concerned offices ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The services of a research Assistant, Shri P. R. Handa, originally belonging to the Central Hindi Directorate (later assigned to the Commission for Scientific and Technical Terminology) have been informally obtained to assist the Languages Division of this Ministry in connection with the work relating to various Hindi advisory bodies which are either direct concern of the Ministry of Education or with which this Ministry is associated.

(c) Yes, Sir. As soon as possible.

(d) Does not arise.

नागाओं को एक प्रशासन के अन्तर्गत लाना

1320. **श्री रा० वें० नायक :** **श्री नंजा गौडर :**
श्री महेन्द्र माझी : **श्री दे० अमात :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी नागाओं को एक ही प्रशासन के अन्तर्गत लाने के प्रस्ताव के बारे में मनीपुर सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). इस सम्बन्ध में हाल में मनीपुर सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, जैसा सदन में 23 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5196 के उत्तर में बताया गया था, सरकार मनीपुर के वर्तमान संघ राज्य क्षेत्र के विभाजन के पक्ष में नहीं है।

मिजो पहाड़ी जिलों का पुनर्गठन

1321. **श्री रा० वें० नायक :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री महेन्द्र माझी : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री नंजा गौडर :	**श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री दे० अमात :	**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री सीताराम केसरी :	**श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :	**श्री क० लकप्पा :**
श्री चेंगलराय नायडू :	**श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री नि० रं० लास्कर :	**श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो पहाड़ी जिले के गांवों के पुनर्गठन की योजना क्रियान्विति के दूसरे चरण में आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो पहले चरण की अब तक की प्रगति क्या है तथा इसके उद्देश्य कहां तक पूरे हुए हैं ;

(ग) क्रियान्विति के दूसरे चरण की मुख्य बातें क्या हैं । तथा उससे क्या लाभ होने की संभावना है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि विद्रोही मिजों लोगों के खतरे से समुचित सुरक्षा की व्यवस्था न होने के कारण अधिकारी लोग भीतरी क्षेत्रों में जाने से झिझकते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनके हितों की रक्षा करने, उन क्षेत्रों में कार्य करने तथा उनमें विश्वास पैदा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). विद्रोहियों की गतिविधियों की तुलना में ग्रामवासियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये मिजो पहाड़ी जिले में ग्रामों का समूहीकरण किया गया है । इस प्रकार का समूहीकरण उन विद्रोही तत्वों को भी रोकता है जो शरण तथा रसद आदि को प्राप्त करने की दृष्टि से सफलतापूर्वक पृथक-पृथक गावों को डराया करते थे । इस योजना में कृषि संबंधी रीतियों में सुधार लाने, काश्तकारी के लिये भूमि का आवंटन-पर्याप्त जल प्रदाय की व्यवस्था, चिकित्सा-तथा शिक्षा संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ।

सिलचर से एजल तथा लुंगलैह तक की सड़क के साथ-साथ समूहीकरण के पहले चरण पर 1967 के आरम्भ में काम किया गया । 100 ग्रामों में रहने वाले लगभग 45,000 व्यक्तियों का समूहीकरण 18 केन्द्रों में ही किया गया था । समूहीकरण के परिणाम से ग्रामवासियों को संरक्षण मिला है तथा अन्य विकासशील उद्देश्य भी पूरे हो रहे हैं ।

समूहीकरण के लाभ को समझते हुए 28,000 से अधिक व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपने पृथक तथा दूर के ग्रामों से हटकर स्वयं को विभिन्न प्रशासनिक केन्द्रों तथा सुरक्षा चौकियों के निकट स्थानान्तरित कर लिया है । लुंगलैह से देमागिरी, लुंगलैह से लांगतलाई, सेलिग से चम्फाई तथा मिजो पहाड़ी त्रिपुरा सीमा के साथ-साथ सड़क पर समूहीकरण का द्वितीय चरण प्रगति

पर है। 90 ग्रामों की जन-संख्या का स्थानान्तरण जिसमें लगभग 28,000 व्यक्ति शामिल हैं, अब पूरा कर लिया गया है।

(घ) और (ङ). असम की राज्य सरकार ने सूचना दी है मिजो जिले के आन्तरिक भाग में कार्य करने में जिला तथा अन्य अधिकारियों में व्याप्त झिझक की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। राज्य सरकार ने अधिकारियों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण के प्रबंध करते समय जिले में व्याप्त कठिन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा है।

भारत में हिप्पी

1322. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में देश में कितने हिप्पी पहुंचे हैं ;

(ख) क्या गत कुछ महीनों में उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या वे देश के किसी भी और प्रत्येक भाग में जा सकते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या हिप्पी लोगों के द्वारा स्वच्छंदता-पूर्ण भ्रमण किये जाने के परिणामस्वरूप सम्भाविक किसी भी खतरे से बचने के लिए कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सम्भवतः प्रश्न में घुमक्कड़ विदेशी राष्ट्रिकों की ओर संकेत किया गया है जो सामान्यतः पोशाक इत्यादि के मान्य स्तरों के अनुकूल नहीं रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के भारत में प्रवेश के सम्बन्ध में कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे गये हैं। अतः सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) इस बात की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि भारत में उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ग) सुरक्षित, निषिद्ध तथा प्रतिबन्धित क्षेत्रों में विदेशियों के प्रवेश से सम्बन्धित प्रतिबन्धों के अधीन, हिप्पियों को अन्य विदेशियों की तरह देश में किसी भी ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता है।

(घ) जब कभी उनकी ओर से की जाने वाली अवांछनीय गतिविधियों के संकेत मिलते हैं तो सतर्कता कड़ी कर दी जाती है तथा उपयुक्त कानूनों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाती है।

नक्सलवादियों द्वारा भूख-हड़ताल

1323. **श्री हिम्मतसिंहका** : **श्री अदिचन** :
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री हुकम चन्द कछवाय** :

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दिसम्बर में पश्चिम बंगाल में निरुद्ध नक्सलवादियों ने भूख-हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो भूख-हड़ताल करने वालों के नाम तथा संख्या कितनी थी ;

(ग) ऐसा उपवास करने के उन्होंने क्या कारण बताये थे ; और

(घ) उनकी इस भूख-हड़ताल को समाप्त कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर के आरम्भ में 9 परीक्षणाधीन बन्दी तथा 13 अन्य जो सजा काट रहे थे, भूख-हड़ताल पर थे। इनके नाम राज्य सरकार से मालूम किये जा रहे हैं।

(ग) भूख-हड़तालियों द्वारा यह मांग की गई थी कि नक्सलवाड़ी उपद्रवों से उत्पन्न मामलों के परीक्षणाधीन व दोष सिद्ध व्यक्तियों को 'राजनैतिक प्रतिष्ठा' और जेल में उच्च श्रेणी प्रदान की जाय।

(घ) राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल जेल संहिता के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए सभी दोष सिद्ध तथा परीक्षणाधीन व्यक्तियों के मामलों का पुनरीक्षण किया और उन व्यक्तियों को उच्च श्रेणी प्रदान की गई जिन्होंने नियमों में निर्धारित शर्तें पूरी की थीं।

कोचीन शिपयार्ड

1324. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री ए० श्रीधरन : **श्री अदिचन :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में कोचीन शिपयार्ड योजना के लिये क्या परिव्यय निर्धारित किया गया है ;

(ख) उक्त योजनावधि में शिपयार्ड पर कितना कार्य पूरा हो जायेगा और वहां उत्पाद क्षमता कितनी पहुंच जायेगी ; और

(ग) इस परियोजना के लिये जापानी सहयोगकर्ताओं से कितनी सहायता मिलने की आशा है और वह किस रूप में प्राप्त होगी ?

संसद् कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना काल में कोचीन शिपयार्ड के लिए परिव्यय की योजना आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने अगस्त, 1967 में कोचीन शिपयार्ड परियोजना स्वीकृत की थी जिसमें 36 करोड़ रुपये की अनुमानित परिव्यय जिसमें 5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल है पर 66,000 डी डब्लू टी के खुले मालवाहकों को बनाने के लिए निर्माण गोदी

और 85,000 डी डब्लू टी तक के जहाजों की मरम्मत के लिए मरम्मत गोदी बनाना शामिल है। गत वर्ष जुलाई में भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त वार्ता दल और मेसर्स मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड टोकियो के बीच हुए विचार-विमर्श के फलस्वरूप दोनो पक्षों के बीच दो कागजों पर हस्ताक्षर किये गये अर्थात (1) परियोजना रिपोर्ट के पुनरीक्षण का ठेका और (2) शिपयार्ड निर्माण की प्रावस्था तक तकनीकी सहयोग के समझौते के शीर्षकों का ज्ञापन। पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट के शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है। इस समय निर्माण की समय-सारणी को बताना संभव नहीं है क्योंकि उसे पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट के आधार पर अंतिमरूप दिया जाएगा।

चौथी योजना में सड़कों का विकास

1325. **श्री जि० मो० बिस्वास :**
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री भोगन्द्र झा :
श्री लताफत अली खां :
श्री इसहाक साम्भली :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़कों के विकास के लिये चौथी योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना व्यय करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) प्रस्तावों की मुख्य-मुख्य बाते क्या हैं ?

संसद् कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं, चौथी योजना को जिसमें सड़कों का कार्यक्रम शामिल है, अभी अंतिमरूप दिया जाना है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते हैं।

Pay Scales of Secondary School Teachers in States

1326. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Ranjit Singh :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Kumari Kamala Kumari :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether a statement showing the pay-scales of the Secondary School Teachers in various States would be placed on the Table of the House ;

(b) whether it is a fact that the pay-scales of such teachers in several States are very low in comparison to those in other States; and

(c) if so, the necessary steps being taken by Government to improve the situation?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) Statements showing the pay-scales admissible to Trained Graduates and Post-Graduate teachers in Secondary Schools in various States as available in this Ministry are laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-163/69.]**

(b) The pay-scales of such teachers vary from State to State.

(c) It is the responsibility of the State Governments to take necessary steps in this direction.

Officers Working in the Education Ministry

1327. **Shri Narain Swarup Sharma:** **Shri Om Prakash Tyagi:**
Shri Ram Swarup Vidyarthi: **Kumari Kamla Kumari:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of Under Secretaries, Section Officers and other officers of their rank in his Ministry who are working in the same Division or Bureau for the last more than three years;

(b) whether these officers who have completed more than three years in a Division are proposed to be transferred to other Divisions or Bureaus for the sake of healthy convention and efficient administration; and

(c) if so, by when this would be done?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao):

(a)	(i) Section Officers	..	25
	(ii) Under Secretaries	..	15
	(iii) Assistant Educational Advisers (G)	..	3
	(iv) Education Officers	..	4

(b) Necessity for making transfers has not yet arisen in the interest of efficiency.

(c) This will be done as soon as it is necessary to make the transfers in the interest of efficient administration.

Central Hindi Directorate

1328. **Sri Narain Swarup Sharma:** **Shri Bal Raj Madhok:**
Shri Om Prakash Tyagi: **Kumari Kamla Kumari:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that officers and employees of the Central Hindi Directorate do not reach office in time;

(b) Whether it is also a fact that the work assigned to this Directorate is done very slowly;

(c) whether it is further a fact that no planned scheme has been adopted by the officers in this regard; and

(d) if the replies to the above parts be in affirmative, the action Government propose to take in regard to these irregularities?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) to (c). No, Sir.

(d) Does not arise.

Chief Scientific Officers in C. S. T. T.

1329. **Shri Narain Swarup Sharma:** **Shri Om Prakash Tyagi:**
Shri Ram Swarup Vidyarthi: **Kumari Kamla Kumari:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the present number of posts of the Chief Scientific Officers in the Commission for Scientific and Technical Terminology and the number of posts out of them which have been filled up through the Union Public Service Commission in accordance with rules and regulations; and

(b) the reasons for not filling up those posts through the Union Public Service Commission which have been filled up directly and not through the U. P. S. C.?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b). There is no post of Chief Scientific Officer in the Commission for Scientific and Technical Terminology. There are five posts of Principal Scientific Officers, four such posts have been filled by direct recruitment through the Union Public Service Commission. The fifth post has been filled by transfer according to recruitment rules, but on a temporary basis and a reference to this effect has been made to the U. P. S. C.

Anti-India Propaganda by Urdu Newspapers

1330. **Shri Ranjit Singh:** **Shri Atal Bihari Vajpayee:**
Shri Brij Bhushan Lal: **Shri Jeagannath Rao Joshi:**
Shri Suraj Bhan:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 774 on the 15th November, 1968 and state:

(a) the names of those Urdu Newspapers, published from Andhra Pradesh, Mysore, Uttar Pradesh and Delhi wherein anti-Indian feelings were fanned;

(b) whether Government have so far taken any action against them;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (d). Information in respect of Mysore had been furnished in answer to the Lok Sabha Unstarred Question No. 774, which was answered on 15th November, 1968. According to information furnished by the Government of Andhra Pradesh and Uttar Pradesh

no instance of any writing in Urdu papers instigating anti-India feelings has come to notice in their respective States. The Delhi Administration has informed that some Urdu papers and magazines of Delhi have occasionally published articles which are highly critical of our national policies, but these articles have not been found actionable under the law.

Bhartiya Jana Sangh Report on Communal Riots in the Country

1331. **Shri Ranjit Singh:** **Shri Atal Bihari Vajpayee:**
Shri Brij Bhushan Lal: **Shri Jagannath Rao Joshi:**
Shri Suraj Bhan:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have seen the report of the Bhartiya Jana Sangh Party regarding communal riots in the country; and

(b) if so, their reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Government have seen press reports in this regard.

(b) The Government are already taking steps to curb communalism in accordance with the recommendations of the National Integration Council.

Action Against Naxalites' Activities in Kerala

1332. **Shri Ranjit Singh:** **Shri Atal Bihari Vajpayee:**
Shri Brij Bhushan Lal: **Shri Jagannath Rao Joshi:**
Shri Suraj Bhan:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the President of a political party of India had supported the Naxalite violent activities in Kerala in a public meeting at Sangli (Maharashtra) in December, last;

(b) if so, his name and the action taken in this regard;

(c) whether it is proposed to make any legal measure against indulging in Naxalite activities and instigating and supporting such activities; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). According to information received from the State Government Shri S. A. Dange, Chairman of the Communist Party of India, had delivered a speech at a public meeting at Sangli on 7th December, 1968. However, he had not supported the Naxalite activities in Kerala.

(c) and (d). It is proposed to discuss with the leaders of political parties in Parliament the question of any legislation to be enacted to deal with the activities of the extremists.

Development of Kanya Kumari as a Tourist Centre

1333. **Shri Ranjit Singh :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that the number of tourists visiting Kanya Kumari has recently increased on account of the construction of Vivekanand Rock Memorial ;

(b) whether Government propose to develop Kanya Kumari as a tourist centre ;

(c) if so, when and the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Statistics of tourist arrivals in respect of individual tourist centres are not maintained.

(b) to (d). With the development of Kovalam as a tourist resort, Kanya Kumari's importance as a tourist attraction is likely to increase. The question of construction of a Tourist Bungalow (Class II) there has already been taken up with the State Government. The extent and scope of providing additional tourist facilities will depend on the availability of resources.

जमशेदपुर की जनता की शिकायतें

1334. **श्री शिव चंडिका प्रसाद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन की घोषणा होते ही, जमशेदपुर से निर्वाचित संसद् सदस्य ने बिहार के राज्यपाल को एक लम्बा पत्र भेजा था जिसमें उन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण शिकायतों को दूर किये जाने का उल्लेख था ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). माननीय सदस्य ने, जिन्होंने प्रश्न किया है, 5-10-1968 को बिहार के राज्यपाल को एक पत्र भेजा था जिसमें राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के कार्यान्वयन के लिये कई योजनाओं तथा प्रस्तावों का सुझाव दिया था । इन प्रस्तावों में बिजली का विस्तार, सड़कों का निर्माण तथा सिंचाई कार्यों में सुधार, अनेक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करना व नये विद्यालयों की स्थापना, जल प्रदाय योजनाओं का निर्माण, उचित दर की तथा राशन की दुकानें खोलना, कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास आदि शामिल हैं । पत्र की एक प्रतिलिपि गृह मंत्री को भी भेजी गई थी । राज्य सरकार से प्रस्तावों की जांच तथा उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था ।

Committee on Central Institute of Scientific Information and Publication

1335. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Ranjit Singh : **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Suraj Bhan : **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the recommendations of the Committee appointed in connection with the Central Institute of Scientific Information and Publication and the date on which these were received; and

(b) the reaction of Government thereto, the steps taken thereon and the results thereto ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) A Statement giving salient features of the Report of the Committee has already been given in reply to part (b) of the Lok Sabha Starred Question No. 282 answered on 22nd November, 1968. The Committee finalised its report on the 8th November, 1968.

(b) The recommendations have been accepted in principle and they are being implemented to the extent resources are available.

मोटर गाड़ियों की नम्बर प्लेटों के बारे में मोटर गाड़ी अधिनियम में संशोधन

1336. **श्री क० लकप्पा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 6 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 576 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्तमान मोटर गाड़ी अधिनियम में मोटर गाड़ियों के नम्बर प्लेटों के बारे में आवश्यक संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने भी इस बारे में अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्योरा क्या है ; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण और इस सम्बन्ध में अधिनियम में कब तक संशोधन किये जाने की सम्भावना है ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (घ). राज्य सरकारों के परामर्श से मामला अभी भी विचाराधीन है ।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशों में भेजे गये प्रतिनिधिमण्डल

1337. **श्री क० लकप्पा :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में उनके मंत्रालय ने विदेशों में कितने प्रतिनिधिमण्डल भेजे ;

(ख) ये प्रतिनिधिमण्डल किन-किन देशों में गये ;

(ग) प्रत्येक प्रतिनिधिमण्डल ने कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की ; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 164/69]**

Inadequacy of Girls' Schools in Pauri-Garhwal

1339. **Shri Kashi Nath Pandey**: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of schools for girls is much less as compared to the number of schools for boys in Pauri Garhwal ;

(b) whether it is also a fact that the girls unable to get education as a result thereof ;

(c) the number of girls in different types of schools in Garhwal ;

(d) whether there are proper arrangements for imparting education to both boys and girls according to their number ; and

(e) if not, whether Government propose to chalk out a plan in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Higher Secondary School, Delchaunri, Pauri-Garhwal (Uttar Pradesh)

1340. **Shri Kashi Nath Pandey**: **Shri Onkar Lal Berwa**:
Shri Arjun Singh Bhadoria: **Shri Jamna Lal**:

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert the Higher Secondary School, Delchaunri, Pauri-Garhwal (Uttar Pradesh), into an Intermediate College and take under their control ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether it is also a fact that the grant given by Government to the said institution is much less as compared to its requirements ; and

(d) if so, whether Government propose to enhance the same ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) to (d). The required information is being collected from the Government of Uttar Pradesh, and will be laid on the table of the Sabha in due course.

Hindi Medium in Universities

1341. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
Shri Narain Swarup Sharma:
Shri Om Prakash Tyagi:

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5363 on the 20th December, 1968 and state :

(a) the steps so far taken to achieve the target of making Hindi the medium of instruction up to Bachelor Degree stage by 1973 ;

(b) the amount given or proposed to be given to the States in the financial year 1968-69, state-wise, out of the amount of Rupees eighteen crores earmarked for bringing out books in the Indian languages ; and

(c) the names of books in Indian languages the publication of which has so far been undertaken under this scheme ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) The Government of India in cooperation with the five Hindi speaking States have introduced a scheme for production of university level text-books and literature from the year 1968-69. A standing committee of Vice-Chancellors and Education Secretaries of the Hindi speaking States has been set up to coordinate this programme. Such a scheme has also been introduced in cooperation with other State Governments for production of university level text-books in regional languages.

(b) The grants so far paid to the State Governments on this acccount during the current financial year on the basis of proposals received from them are:

S. No.	Name of the State Government	Amount
1.	Rajasthan	Rs. 5,00,000.00
2.	Bihar	Rs. 5,00,000.00
3.	Uttar Pradesh	Rs. 2,00,000.00
4.	Haryana	Rs. 2,00,000.00
5.	Andnra Pradesh	Rs. 10,00,000.00
6.	Madhya Pradesh	Rs. 1,00,000.00
7.	Tamil Nadu	Rs. 1,72,000.00
8.	Mysore	Rs. 5,00,000.00
9.	West Bengal	Rs. 32,778.00
10.	Kerala	Rs. 43,050.00

(c) The information will be collected from the State Governments.

Pay-scales of Primary School Teachers in U. P.

1342. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:** **Shri Om Prakash Tyagi:**
Shri Narain Swarup Sharma: **Kumari Kamla Kumari:**

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5271 on the 20th December, 1968 and state :

(a) the time by which necessary funds are likely to be made available for the purpose

of giving increased pay-scales to the Primary School teachers of Uttar Pradesh ;

(b) whether the necessary funds would be made available in the next budget of Uttar Pradesh ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) whether a statement containing the comparative study of the pay-scales of the Primary School teachers of various States in the country would be laid on the Table of the House ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). In Uttar Pradesh, an increase ranging between Rs. 10 to Rs. 18 per month has been accorded to trained teachers as a result of upgrading of scales of primary school teachers with effect from July 1, 1968. In addition an **ad hoc** increase of Rs. 15 per month to trained teachers and of Rs. 10 per month to untrained teachers has been given from January 1, 1969.

(d) A statement showing the pay-scales of the primary school teachers (trained Matrics) of various States in the country prepared on the basis of the available data is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-165/69.]**

हिंसक कार्यवाहियों में भाग लेने वाले छात्रों के माता-पिता पर दण्डात्मक कर लगाना

1343. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन छात्रों के अभिभावकों पर दण्डात्मक कर लगाने का है, जो प्रदर्शन करते समय, हिंसक कार्यवाही करते हैं या ऐसी सम्पत्ति को नष्ट करते हैं जिसका प्रदर्शन की मांग से कोई भी सम्बन्ध नहीं होता ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) छात्रों की हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) सरकार समझती है कि कानून के वर्तमान उपबन्ध ऐसी हिंसक तथा गैर-कानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं ।

(ग) पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन, 1965 ने एक छात्रों की हिंसक गतिविधियों से उत्पन्न विधि तथा व्यवस्था की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये एक उप-समिति नियुक्त की थी । समिति ने अपना प्रतिवेदन 1967 में प्रस्तुत किया था जिसमें कई सिफारिशें की थीं । प्रतिवेदन की प्रतियां राज्य सरकारों को सूचनार्थ तथा उचित कार्यवाही करने हेतु भेजी गई थीं ।

Publication of Ancient History of India

1344. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to publish a detailed history of India pertaining to ancient period when the country had made much progress in every field of education and science, in order to infuse confidence and self-respect in the young men and women of the country ; and

(b) if so, the time likely to be taken to publish the same ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) As a number of books on the history of ancient India are available, the Government does not propose to undertake any such project.

(b) Does not arise.

Separate Cadre for Hindi Assistants

1345. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ramji Ram :
Shri Balraj Madhok :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindi Assistants were deprived of the opportunities which were open to English Assistants by not forming any separate cadre for the former and they have been given the same pay-scales as that of English Assistants, inspite of more responsibilities and qualifications prescribed for them and getting more work from them ;

(b) whether it is due to anti-Hindi attitude of officers and anti-Hindi atmosphere in the Ministry of Home Affairs that no further examination was held for recruitment of Hindi Assistants after 1959 whereas **ad hoc** appointments are made on the posts of Hindi Assistants; and

(c) the number of Hindi Assistants who have been appointed as Hindi Officers in the various Ministries of the Government of India and in other offices ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The posts of Hindi Assistants are isolated ex-cadre posts and therefore there could be no regular cadre for them. The minimum educational qualification for them is B. A. with Hindi as one of the subjects for the degree examination. The minimum qualification for a C. S. S. Assistant is a University degree. Both carry the same scale of pay. The duties, work and responsibilities of Hindi Assistants are not more than those of C. S. S. Assistants.

(b) No, Sir. No separate examination for Hindi Assistants has been held after 1959 because vacancies of Hindi Assistants were only a few. Besides, the existing staff is being taught Hindi under the "Hindi Teaching Scheme" so that they may be able to work in Hindi as well and on account of this orders have also been issued in November, 1968 that no new post of Hindi Assistant should be created in future in any Ministry.

(c) The appointments of Hindi Assistants to the posts of Hindi Officers are made by the various Ministries themselves, being ex-cadre posts. The required information is, therefore, being collected from the Ministries concerned and will be laid on the Table of the House.

Abolition of Posts of Hindi Assistants

1346. **Shri Om Prakash Tyagi:**
Shri Ramji Ram:
Shri Balraj Madhok:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to abolish the posts of Hindi Assistants gradually;

(b) whether it is also a fact that in a meeting of the Informal Consultative Committee of his Ministry, an assurance was given to place the Hindi Assistants in the grade of Senior Translators;

(c) if so, the details of the pay-scale in which they are proposed to be placed; and

(d) if no decision has so far been taken in this regard, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) An extract from the minutes of the meeting of the Informal Consultative Committee of the Ministry of Home Affairs held on 1st August, 1968, is laid on the Table. **[Placed in Library. See No. LT-166/69].** While a uniform grade (Rs. 210-530) has been introduced in the case of Hindi Assistants, no assurance was given to place the Hindi Assistants, in the grade of Senior Translators. (Rs. 325-575).

(c) and (d). Do not arise.

हिन्दी सहायक और हिन्दी अनुवादक

1347. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री रामजीराम :
श्री बलराज मधोक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 जनवरी, 1965 के पश्चात् केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी अनुवाद कार्य में भारी वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप हिन्दी सहायकों और हिन्दी अनुवादकों को पांच गुना अधिक कार्य करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि न तो हिन्दी सहायकों की संख्या में वृद्धि की गई है और न ही उनके वेतनमानों में वृद्धि की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग में अनुवाद करने वाले अनुसंधान सहायकों का वेतनमान 325-575 रुपये है जबकि उनका कार्य केन्द्रीय सचिवालय के हिन्दी सहायकों के कार्य की तुलना में कम है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि हिन्दी सहायकों की पदोन्नति के लिये कोई नियमित अवसर नहीं है ;

(ङ) क्या हिन्दी सहायकों के पदों को 325 से 575 रुपये तक के वेतनमान में हिन्दी अनुवादकों के पदों में परिवर्तित करने का विचार है ; और

(च) यदि हां, तो कब तक ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). निस्सन्देह राजभाषा अधिनियम, 1963 (जैसा 1967 में संशोधित) के उपबन्धों के पालन से हिन्दी अनुवाद कार्य में (पर्याप्त) वृद्धि हुई है। इस बढ़े हुए कार्य को करने के लिये मंत्रालय जहां आवश्यक है, उपयुक्त वेतनमानों में हिन्दी अनुवादकों के अतिरिक्त पद बना रहे हैं।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) विभिन्न मंत्रालयों में हिन्दी सहायकों के पद पृथक निःसंवर्ग पद हैं, अतः उनके लिये पदोन्नति की श्रृंखला में कोई उच्चतर पद नहीं है। अतः हिन्दी सहायकों के लिए नियमित पदोन्नति का कोई अवसर नहीं है। तथापि उन्हें उच्च पदों, जैसे हिन्दी अधिकारी/सुपरवाइजर के लिए आवेदन-पत्र देने की अनुमति प्राप्त है यदि वे अपेक्षित अर्हताएं रखते हों।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

नैनी जेल में लाठी प्रहार

1348. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री द० रा० परमार :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री देवेन सेन :
श्री किकर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रा० की० अमीन :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनी जेल, इलाहाबाद में अध्यापकों/सत्याग्रहियों पर लाठी प्रहार के मामले की जांच करने के लिये केन्द्रीय सरकार के आदेश से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने न्यायिक जांच का आदेश दिया था ;

(ख) उस घटना में कितने व्यक्तियों को चोटें आईं थीं ;

(ग) क्या जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ग) और (घ). राज्य सरकार ने अपना एक जांच आयोग नियुक्त किया है, इसकी नियुक्तियों को 21 जनवरी, 1969 को

अधिसूचित किया गया तथा जांच पूरी करने के लिये 2 माह का समय दिया गया। जांच प्रगति पर है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा जिला प्राधिकारियों से प्राप्त प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार 20 अध्यापक, 8 दोषी वार्डर और ओवरसियर तथा जेल स्टाफ के 4 सदस्यों को कुछ चोटें आईं।

पत्राचार पाठ्यक्रम और शिक्षा जारी रखने वाला निदेशालय

1349. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्राचार पाठ्यक्रम और शिक्षा जारी रखने वाले निदेशालय को एक अलग डिग्री देने वाले निकाय की मान्यता देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विशेष प्रकार के बड़े मालवाही पोत

1350. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट और उर्वरक तथा प्रशीतक वाला माल तथा मछली तथा फल आदि के बड़ी मात्रा में वहन के लिये विशेष प्रकार के पोतों को निर्मित करने और चलाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). इस समय अधिकतर माल जहाज जो परिचालन में हैं सीमेंट और उर्वरक जैसे थोक माल को ले जाने की क्षमता रखते हैं और इसलिए इस प्रयोजन के लिये विशिष्ट जहाजों का विकास करने का प्रस्ताव नहीं है। हमारे बहुत से जहाजों में प्रशीतित माल को ले जाने के लिये प्रशीतित स्थान उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्रशीतित आधानों को भी प्राप्त कर लिया गया है अधिक प्रशीतित स्थान को चाहने वाले व्यापार की सेवा के लिये उन्हें जहाजों पर रख दिया गया है। केले का निर्यात जो मौसमी है उसके व्यापार के लिये उपयुक्त जहाजों को चार्टर करना कम खर्चीला पाया गया है। अतः इस समय प्रशीतित माल के लिये ही विशेष जहाजों का विकास करने का प्रस्ताव नहीं है।

भारत के समुद्री जहाजों की विदेश सेवा

1351. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के कितने समुद्री जहाज हमारे विदेशी व्यापार में लगे हुए हैं ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : 31-1-1969 को भारत के समुद्र पारीय लाइनर व्यापारों में 115 भारत-स्वामित्व जहाज चल रहे थे ।

बम्बई पत्तन को होने वाली हानि

1352. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्था ने बम्बई पत्तन पर जहाजों के वापिस लौटने में विलम्ब के कारण जहाजों को होने वाली हानि का अनुमान लगाया है;

(ख) विलम्ब शुल्क के रूप में आयातकों को कितनी हानि हुई;

(ग) माल को हटाने में कौन सी बाधायें हैं जिनके कारण उपरोक्त हानि हुई; और

(घ) उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

संसद् कार्य विभाग तथा परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) 1962-63 से 1966-67 में बम्बई पत्तन पर जहाजों के रुकने के कारण जहाज दिनों की हानि का अनुमान विदेशी व्यापार के भारतीय संस्थान ने लगाया है ।

(ख) चार्टर पार्टी की शर्तों के अनुसार भाटकित जहाजों के लिए विलम्ब शुल्क या तो आयातकर्त्ता को या चार्टरकर्त्ता को देना होता है । इसलिए आयातकर्त्ता या चार्टरकर्त्ता द्वारा दिये गये विलम्ब शुल्क की राशि का मूल्यांकन करना सरकार के लिए संभव नहीं है ।

माल पर विलम्ब शुल्क आयातकर्त्ता को देना होता है और वह जहाजों के रुकने के कारण नहीं पड़ता है । ये शुल्क केवल तभी उदभूत होते हैं जब आयातकर्त्ता को दिये गये स्वेच्छा समय के बाद पत्तन के स्थान से माल को हटाने में देर की जाती है ।

(ग) पत्तन स्थान से माल के जल्दी न हटाये जाने में विलम्ब होने के अनेक कारण हैं, जैसे आयातकर्त्ता को सीमा शुल्क से अपने कागजातों की प्रक्रिया में विलम्ब आयातकर्त्ता को मुक्त करने से पहले सीमा शुल्क द्वारा सामान की जांच तथा मूल्यांकन करने में विलम्ब, अपने निजी स्थान पर सामान को जमा करने में स्थान की कमी के कारण आयातकर्त्ता अपने सामान को गोदी में रहने देता है जिसके फलस्वरूप विलम्ब शुल्क देना पड़ता है और देश में गंतव्य स्थानों को भेजने में माल डिब्बे की अप्राप्ति या कमी ।

(घ) माल को जल्दी हटाने के तरीकों और उपायों को मालूम करने के लिये और आयातकर्त्ताओं को सीमा शुल्क औपचारिकता का पालन करने में अनभूत कठिनाइयों को हटाने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों और आयातकर्त्ताओं के बीच अक्सर विचार-विमर्श किया जाता है ।

विश्वविद्यालय पुलिस दल की स्थापना

1353. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों, विशेषतया केन्द्र द्वारा प्रशासित विश्वविद्यालयों के लिये, एक विश्वविद्यालय पुलिस दल की स्थापना की व्यवहारिकता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) इस पुलिस दल के गठन की रूप-रेखा क्या होगी और इसे कब स्थापित किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). जी नहीं। फिर भी, छात्र कल्याण तथा सम्बद्ध मामलों के बारे में 1965 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय पुलिस दल के नमूने पर विश्वविद्यालयों में सुरक्षा दल स्थापित करने के लिए एक सुझाव पर विचार किया था। समिति ने इस प्रस्ताव को इस आधार पर कार्यान्वित करना मुश्किल समझा था कि विश्वविद्यालयों के लिए यह बहुत खर्चे का काम होगा और इसे केवल एकात्मक विश्वविद्यालयों में ही क्रियान्वित किया जा सकेगा।

मध्यावधि चुनावों के दौरान राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का तैनात किया जाना

1354. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन राज्यों में मध्यावधि चुनाव हुए थे उनमें विधि तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात की गई थी;

(ख) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस राज्य सरकार की प्रार्थना पर भेजी गई थी अथवा केन्द्रीय सरकार ने स्वयं भेजी थी; और

(ग) शान्तिपूर्ण चुनावों के लिए विधि तथा व्यवस्था को बनाये रखने में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस स्थानीय प्राधिकारियों की कहां तक सहायता कर सकी थी तथा ऐसी कितनी घटनायें हुईं जिनमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के हस्तक्षेप की आवश्यकता हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारों के अनुरोध पर, हाल में उन राज्यों में हुए मध्यावधि चुनावों

के दौरान, उनकी सहायता के लिये कुछ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस एकक उपलब्ध किये गये थे। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस एककों ने राज्य प्राधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों को पूरा किया था।

विश्वविद्यालयों में कर्मचारी ढांचे से सम्बन्धित पावते समिति

1355. **श्री देवकी नन्दन पाटोटिया :** **श्री सीताराम केसरी :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पावते समिति ने भारत में विश्वविद्यालयों में कर्मचारी ढांचे के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों की व्यावहारिकता के बारे में भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों की राय का पता लगाया है;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर लागू करने की दृष्टि से इनकी जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालयों की सामान्य रूप में तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). समिति ने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पेश कर दी है। यह रिपोर्ट सभी विश्वविद्यालयों को टिप्पणियों के लिये भेज दी गयी है। अब तक राज्यों के 20 विश्वविद्यालयों तथा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय से टिप्पणियां मिल गयी हैं। आयोग और सरकार केवल उस समय निर्णय करने में समर्थ होंगी जब अधिकांश विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रियाएं मालूम हो जाएंगी।

New Routes for Shipping Service

1356. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state the details of the new routes on which shipping services will be started during the Fourth Plan Period ?

The Minister for Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : A Sub-Committee of the National Shipping Board has been set up to consider the question of introducing shipping services in new routes, particularly those covering developing countries. The report of the Committee is awaited.

Unemployed Engineers

1357. **Shri Maharaj Singh Bharati :** **Shri Nitiraj Singh Chaudhary :**
Shri Sitaram Kesri : **Shri Chintamani Panigrahi :**
Shri S. M. Banerjee : **Shri D. N. Patodia :**
Shri S. B. Patil :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made in providing employment to the unemployed engineers :

(b) the number of engineers likely to be absorbed during the year 1969 ;

(c) the number of unemployed engineers (Graduates and diploma-holders) at present in the country, Statewise ; and

(d) the steps Government propose to take to provide employment to these unemployed engineers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) In May, 1968 Government had approved of certain measures to create additional employment opportunities for engineers. A statement indicating briefly the progress in the implementation of these measures by the Central Government and the State Governments is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-167/69.]**

(b) It is difficult to estimate the number of engineers likely to be absorbed during the year 1969. This will depend partly on the progress made in implementing the various measures adopted by the Government and partly in the tempo of economic activity generated by the commencement of the Fourth Five Year Plan. However, it may be mentioned that a further 10,000 graduates and diploma holders will be absorbed for a period of approximately a year under the training-in-industry programme of the Ministry of Education.

(c) Precise figures about the number of unemployed engineers are not available. The number of engineers registered in the Employment Exchanges provides a rough indication of the situation. The limitation of these figures is that while all unemployed engineers may not have registered, some who are already employed might have registered in the hope of getting better jobs. It is also possible that some engineers are registered in more than one Exchange. A statement showing the total numbers of engineers—graduates and diploma holders—registered in Employment Exchanges in the various States as on 31st December, 1968 is placed on the Table of the House.

(d) Action on the measures adopted by the Government will be pursued. It will be appreciated that in the case of measures such as facilitating the setting up of small scale industries, taking up of investigatory work, developing consultancy organisation, encouraging the constitution of cooperatives, etc., employment opportunities will be generated over a period of some time. It is to be expected that as a result of these measures and the commencement of the Fourth Plan, there will be improvement in the employment prospects for engineers during the next few years.

Jumbo Jets

1358. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the number of years in which the amount of Rs. 110 crores along with interest thereon, which is proposed to be spent by 1971 on the development of the four International airports and for two Jumbo Jet aeroplanes, will be recovered through operating the above aeroplanes ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : Air-India have placed orders for the purchase of two Jumbo Jets at a total capital cost of Rs. 48.20 crores, the foreign exchange content thereof amounting to Rs.45 crores being financed out of a loan from 13 U.S. Commercial Banks, Exim Bank and the Boeing Company. The Corporation expect to repay the amount with interest thereon over a period of 7 years, form their own resources.

On the basis of the recommendations of the International Airports Committee, under the Chairmanship of Shri J. R. D. Tata, Government propose to undertake development of the four International Airports, at Delhi, Bombay, Calcutta and Madras, to make them suitable for Jumbo Jet operations, in a phased programme.

Night Air-Mail and Passenger Services

1359. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the programme chalked out in respect of night air-mail and passenger services during the Fourth Plan period;

(b) the new routes on which air services will be started along with the capacity and the number of aeroplanes to be operated?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) The Indian Airlines are operating Night Air-mail and passenger services with F-27/HS-748 aircraft between Delhi, Madras, Bombay, Calcutta and Nagpur. They do not have any proposal for the introduction of such services on other routes. However, the question of introducing Viscounts in place of the existing aircraft is being examined by the Corporation.

(b) The Indian Airlines are considering proposals for enroute stoppage at Gaya and Gwalior, and the introduction of air services to Dimapur, Kotah, Daman, Diu, Kolhapur, Calicut and Tirupati during the Fourth Five-Year Plan period. The details of these are yet to be worked out.

Schools in Union Territories

1360. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3580 on the 6th December, 1968 and state:

(a) the number of teachers belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and non-Scheduled Castes in each category of Government Schools in the union territories, school-wise and category-wise, as mentioned in the statement laid in reply to part (b) of the aforesaid question; and

(b) the total number of teachers benefited in each of the above schools upto December, 1968 by the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 9/45/60/Est.(D), dated the 20th April, 1961?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V.Rao): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Junior High Schools in U. P.

1361. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1785 on the 22nd November, 1968 and state:

(a) the reasons for not giving to the teachers of 90 non-Government Junior High Schools pay equal to that of the teachers of Government schools under Scheme No. 9; and

(b) the reason for not giving any order to the managements of these schools and for not taking any alternative measures?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Roads in Gorakhpur District (U. P.)

1362. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5268 on the 23rd August, 1968 regarding roads in Gorakhpur District (U. P.) and state:

(a) whether the requisite information has since been collected from the Government of Uttar Pradesh;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the inordinate delay?

The Deputy Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) to (c). The required information in respect of the expenditure incurred by the Government of U. P. on each road in the Gorakhpur District during the three Plans is given in the statement. **[Placed in Library. See No. LT-168/69.]** The required information about the roads proposed to be constructed by them in the Gorakhpur District during the Fourth Plan period is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

U. P. Roadways, Gorakhpur

1363. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4354 on the 13th December, 1968 and state:

(a) the main points in the report of the enquiry conducted by the Police officials in regard to securities of the employees of the U. P. Government Roadways, Gorakhpur region; and

(b) the names and addresses of the absconding security accounts employees of the office of the General Manager, U. P. Government Roadways, Gorakhpur and the reasons for abnormal delay in arresting them?

The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah): (a) and (b). The information required is being collected from the Government of U. P. and will be laid on the table of the Sabha, when received.

तोड़-फोड़ करने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कानून

1364. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री बलराज मधोक :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों को रोकने के लिये वैधानिक कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या इस मामले पर विपक्षी दलों के साथ विचार-विमर्श किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). तोड़-फोड़ की गतिविधियों के बारे में सरकार सतर्क है तथा विशिष्ट अपराधों से उपयुक्त कानूनों के अन्तर्गत निपटा जाता है । इस संबंध में कोई सामान्य विधान नहीं सोचा गया है ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमानों में बच्चों के रियायती टिकटों का दुरुपयोग

1365. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों में बच्चों के रियायती टिकटों पर वयस्क यात्रा करते हैं और इस तरह कारपोरेशन को हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथापि रियायती टिकटों के संभव दुरुपयोग को रोकने के लिये इंडियन एयरलाइन्स ने सभी स्टेशनों को रियायती टिकटों एवं बोर्डिंग कार्डों को पंच करने की सामान्य कार्य-प्रणाली अपनाने की हिदायतें जारी कर दी हैं ताकि हवाई अड्डे में प्रवेश के समय जांच की जा सके ।

नक्सलवादी नारों और इश्तहारों का लगाया जाना

1366. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री समर गुह :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

श्री चेंगलराया नायडू : **श्री दिनकर देसाई :**
डा० सुशीला नैयर : **श्री क० लकप्पा :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री स० कुण्डू :**
श्री रा० बरुआ : **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री कामेश्वर सिंह : **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री हेम बरुआ : **श्री हेमराज :**
श्री गाडिलिंगन गौड : **श्री भोला नाथ मास्टर :**
श्री द० रा० परमार : **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री रा० की० अमीन : **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री प० मु० सईद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हाल ही में ऐसे इश्तहार कितने तथा किन-किन स्थानों पर पाये गये हैं जिनमें राष्ट्र-विरोधी भावना वाले नक्सलवादी नारे थे और जिनमें साम्यवादी चीन के शासन की सराहना की गई थी;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने इस मामले की कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी कार्यवाहियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०**169/69]

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) उग्रवादियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

नगरकोइल में संसदीय उप-चुनाव के संबंध में हुए फसाद

1367. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नगरकोइल के संसदीय उपचुनाव में हुए फसाद तथा हिंसा की वारदातों के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अपनी एजेंसियों द्वारा इन घटनाओं की जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये न्यूनतम योग्यतायें

1368. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिये हाल ही में बढ़ाई गई योग्यताओं संबंधी अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने तथा इनमें ढील देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अनुकूल निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं में उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हताओं को बढ़ाने के बारे में अभी हाल में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है । अतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए अभी हाल में बढ़ाई गई न्यूनतम अर्हताओं में कोई ढील देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति

1369. **श्री धीरेश्वर कलिता** :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री लताफत अली खां :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में हाल ही के दंगों के बाद सामान्य स्थिति लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप स्थिति में कोई सुधार हुआ है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). दंगों के फलस्वरूप विश्वविद्यालय में 12 दिसम्बर, 1968 से शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया गया था ।

राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के विजिटर की हैसियत से, विश्वविद्यालय में अशान्ति तथा आन्दोलन की मौजूदा स्थिति की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की है कि वह ऐसी

सिफारिशें करे जो मौजूदा स्थिति को दूर करने और विश्वविद्यालय में अनुशासन तथा शान्ति बनाए रखने की दृष्टि से सामान्य व्यवस्था सुधारने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन विचार कर सके ।

विश्वविद्यालय 3 फरवरी, 1969 से तीन क्रमों में पुनः खोल दिया गया है । विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों में क्षात्राभिरक्षकों द्वारा तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर मुख्य कार्याध्यक्ष द्वारा सुरक्षा प्रबन्ध कर दिए गए हैं ।

सभी कक्षाएं अब सामान्य ढंग से चल रही हैं । विश्वविद्यालय के पुनः खुलने के बाद स्थिति में निश्चित सुधार हुआ है ।

जम्मू तथा काश्मीर में तोड़-फोड़ करने वाले पाकिस्तानी

1370. **श्री अदिचन :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बे० कु० दासचौधरी :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सुरक्षा गुप्त सूचना विभाग द्वारा जम्मू तथा काश्मीर में भेजी गई पाकिस्तानी तोड़-फोड़ करने वाली एक टोली का हाल ही में सफाया कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो टोली का ब्योरा क्या है और उनकी कार्य-प्रणाली के बारे में क्या जानकारी प्राप्त हुई है ;

(ग) 1968 में उस राज्य में ऐसी कितनी टोलियों का सफाया किया गया तथा इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, दण्ड दिया गया अथवा निष्कासित किया गया ; और

(घ) काश्मीर में पाकिस्तानी तोड़-फोड़ करने वालों की घुसपैठ को प्रभावी रूप से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). इस सम्बन्ध में श्रीनगर में पाकिस्तान समर्थक तत्वों की कथित गिरफ्तारी पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में 25 फरवरी, 1969 को गृह मंत्रालय में मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ग) जम्मू और कश्मीर सरकार से सूचना प्रतीक्षित है ।

(घ) सरकार इस मामले पर सतर्क है ।

मंत्रियों द्वारा चुनाव के लिये दौरे

1371. **श्री अदिचन :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० कर्णी सिंह :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री बदरुद्दुजा :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री एस० एम० जोशी :
डा० रानेन सेन :
श्री देवेन सेन :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री किकर सिंह :
श्री द० रा० परमार :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शिव चरण लाल :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा पंजाब में हुए मध्यावधि चुनाव के सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्रियों के दौरों पर तथा उनके लिये आवास, भोजन आदि की व्यवस्था करने तथा उनके लिए स्वागत समारोह करने पर केन्द्रीय अथवा राज्यों के कोष से कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) क्या यह राशि कांग्रेस दल से वसूल की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यह व्यय किस शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में स्थायी अनुदेश विद्यमान है कि चुनाव अभियान के सम्बन्ध केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा किये गये दौरे सरकारी दौरे न समझे जायें । राज्य सरकारों के अपने-अपने नियम हैं जिनके अधीन राज्यों का दौरा करते समय केन्द्रीय व राज्य मंत्री राज्य अतिथि समझे जाते हैं तथा सामान्यत: इन नियमों में यात्रियों में मंत्रियों को उस समय राज्य अतिथि समझे जाने की व्यवस्था है जब वे केवल सरकारी कार्य के लिए दौरे पर हों । बिहार सरकार ने भी इस विषय में विशिष्ट अनुदेश जारी किये हैं कि जनवरी, 1969 से मध्यावधि चुनाव समाप्त होने तक दौरा करने वाले केन्द्रीय मंत्रियों को राज्य अतिथि न समझा जाय जब तक उनके दौरे किसी विशिष्ट सरकारी कार्य के लिए न हों । अत: चुनाव दौरों में केन्द्रीय मंत्रियों के दौरों पर उनके आवास, भोजन आदि पर केन्द्रीय अथवा राज्यों के कोष से धन खर्च करने का प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसें

1372. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों का कुछ संवाहकों (कंडक्टरों) और चालकों (ड्राइवरों) से अनेक प्रकार की गालियां सुननी पड़ती हैं ;

(ख) यदि हां, तो संवाहकों तथा चालकों के ऐसे अशिष्ट व्यवहार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में उन्हें दिये गये अनुदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ; और

(घ) क्या उन चालकों तथा संवाहकों को कोई पुरस्कार दिये जाते हैं जिनका व्यवहार यात्रियों के प्रति बहुत ही शिष्टतापूर्ण रहता है।

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) ड्राइवरों और कंडक्टरों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके अभिन्न अंग के रूप में जनता के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करने पर यथोचित बल दिया जाता है। कार्यरत ड्राइवर से यात्रियों के साथ वार्तालाप करने की आशा नहीं की जाती है। तथापि यदि कोई यात्री उन्हें संबोधित करता है तो ऐसे अनुदेश हैं कि उन्हें सभ्य और विनम्र तरीके से उत्तर देना चाहिए। जब कभी किसी ड्राइवर या कंडक्टर के विरुद्ध कोई शिकायत आती है तो मामले की पूरी जांच की जाती है और दोषी को यथोचित दंड दिया जाता है।

(ग) कंडक्टर के कर्तव्य का पैरा 25 जो कंडक्टरों के कार्यकारी अनुदेशों का अंग है, निम्न प्रकार है :

"कंडक्टर को यात्रियों के साथ सदा सभ्य और विनम्र बर्ताव करना होगा। कार्यरत रहते समय उन्हें अपना संतुलन नहीं खोना होगा, किसी को बुरा-भला नहीं कहना होगा अथवा प्रचंड अभिवृत्ति नहीं दिखानी होगी। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि दूसरों का आदर करने पर आदर मिलता है और शिष्टाचार पर कोई मूल्य नहीं लगता है।"

(घ) ईमानदारी यात्रियों के प्रति शिष्टाचारयुक्त बर्ताव करने तथा समय-पालन प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कंडक्टरों के कार्य का त्रैमासिक मूल्यांकन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के अंत में अर्हता पाने वाले कंडक्टरों को रोकड़ पुरस्कार दिये जाते हैं।

अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम का निरसन

1873. **श्री म० ल० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कार्मिक संघों के 5,000 प्रतिनिधि अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम के निरसन के लिये संसद् में याचिका पेश करने के हेतु नई दिल्ली में इकट्ठे होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्वविद्यालय प्रांगण में हिंसा

1374. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि विश्वविद्यालय के प्रांगण में हिंसा को समाप्त करना राज्य की जिम्मेदारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उपकुलपतियों के सम्मेलन ने, जो कि 3 और 4 जनवरी, 1969 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों के संचालन से सम्बन्धित कुछ मामलों का अध्ययन करने हेतु बुलाया गया था, यह मत व्यक्त किया था कि विधि तथा व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिये विश्व-विद्यालय-प्रांगण के भीतर की तथा विश्व-विद्यालय प्रांगण के बाहर की गतिविधियों में कोई अन्तर न समझा जाय । सम्मेलन ने यह अनुमान किया था कि वास्तव में हिंसा फैलने अथवा विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने की दशा में इससे निपटने की अन्तिम जिम्मेवारी राज्य की है ।

(ख) उपकुलपति सम्मेलन के विचारों पर राज्य सरकार द्वारा गौर किया जा रहा है ।

पालघाट जिले में मन्दिर को क्षति

1375. **श्री बाबूराव पटेल** : **श्री ओंकार सिंह** :
श्री मंगलाथुमाडोम : **श्री हुकम चन्द कछवाय** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शनिवार, 4 जनवरी, 1969 की रात्रि को शस्त्रों से सुसज्जित 10,000 गुण्डों की भीड़ ने पालघाट जिले में कादुंगापुरम के निकट पोजाकाटरी ग्राम में

शिवजी के प्राचीन हिन्दू मन्दिर को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था, उसके द्वार जला दिये गये थे तथा शिवलिंग बाहर फैंक दिया था क्योंकि हिन्दू श्रद्धालुओं ने शनिवार को रात्रि को देर तक पूजा तथा भजन किया था ;

(ख) उक्त घटना के वास्तविक कारण क्या हैं ;

(घ) सरकार ने मन्दिर को पुनः बनवाने तथा संविधान के अनुच्छेद 25 में दी गई गारंटी के अनुसार हिन्दुओं को पूजा की स्वतन्त्रता दिलवाने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 4 जनवरी, 1969 को पालघाट, पुजाकाथिरी ग्राम में शिवजी के मन्दिर को लगभग 10 बजे उत्सव मनाने के पश्चात् पुजारी ने ताला लगाया था। बाद में रात्रि को कुछ उपद्रवी दीवार के ऊपर से मन्दिर में घुस आये, तालों को तोड़ा, वेदी में चले गये और पीतल के लैम्पों, कुछ पीतल के बर्तनों तथा कुछ चांदी के जेवरों जिनका मूल्य 170 रु० था तथा चार रुपये नकद लेकर चले गये। मन्दिर को कोई क्षति नही पहुंचाई थी उपद्रवियों ने निकटतम भगवान अय्यप्या के मन्दिर को भी नुकसान पहुंचाया।

(ग) और (घ). स्थानीय पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380, 461 और 295 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। चांदी के जेवरों को, जिनका मूल्य लगभग 35 रु० है तथा एक 4 रु० की हुन्डी को छोड़कर, सभी चुराई गई वस्तुयें मन्दिर के निकट झाड़ी के नीचे से बरामद कर ली गई हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास की योजना

1376. **श्री बाबूराव पटेल** :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की योजनाओं में, इन हवाई अड्डों को विशिष्ट भारतीय रूप देने के लिए हाल में परिवर्तन किया गया है ताकि बाहर से आने वाला यात्री यह महसूस करे कि वह भारत आया है न कि यूरोप में ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वास्तुकला की जानकारी रखने वाले सदस्यों के सुझावों के लिये इन हवाई अड्डों के अग्र भागों के नक्शे सभा-पटल पर रखे जायेंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समिति से अपनी अन्तिम रिपोर्ट में (जिसके कि शीघ्र मिल जाने की आशा है) कार्यात्मक एवं

परिचालनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिये विकास योजनाओं की सिफारिश करने की आशा की जाती है। जब विकास योजनाओं के आधार पर हवाई अड्डों के नये टर्मीनल कम्प्लेक्सों के डिजाइन तैयार किये जायेंगे, इमारतों को एक विशिष्ट रूप देने की आवश्यकता को दृष्टि में रखा जायेगा।

(ख) हवाई अड्डे की भवन निर्माण कला के विशिष्ट होने के कारण विशेषज्ञों की राय का स्वागत किया जायेगा।

मद्रास हवाई अड्डे का विकास

1377. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में 2 जनवरी, 1969 को दिये गये उनके वक्तव्य के अनुसार मद्रास हवाई अड्डे के विकास के मामले में मद्रास हवाई अड्डे और प्रशासन के अधिकारियों के विरुद्ध, उनके "प्रत्येक बात में बहुत पीछे रहने के कारण" क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मद्रास हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुमति न मांगने के क्या कारण हैं जबकि उनसे हवाई अड्डे के विकास के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय को भूमि का उपयोग करने के लिये कहे हुए एक वर्ष हो चुका है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). मद्रास हवाई अड्डे की मौजूदा टर्मिनल इमारत में परिवर्तन करने के लिये प्राक्कलन, जिसकी की अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में सिफारिश की थी, पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। समिति की अंतिम रिपोर्ट के, जिसमें कि अन्य बातों के साथ-साथ मद्रास हवाई अड्डे के विकास की सिफारिश भी है जल्दी ही मिलने की आशा है। अंतिम रिपोर्ट में एक नये टर्मिनल काम्प्लेक्स का सुझाव दिया गया है। जब तक कि अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है रक्षा मंत्रालय इस प्रयोजन के लिये हमारी भूमि सम्बन्धी आवश्वकताओं की जांच कर रहा है।

सम्बन्धित अधिकारी कार्य में लग गये हैं।

भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं

1378. **डा० सुशीला नैयर** : **श्री रवि राय** :
श्री म० ला० सोंधी : **श्री स० चं० सामन्त** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा संवर्गों के समान

एक भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा बनाने के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की प्रगति का ब्योरा क्या है ; और

(ग) कब तक इसका गठन किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा का पहली फरवरी, 1969 से गठन कर दिया गया है। संवर्ग व्यवस्था तथा भर्ती को नियमित करने वाले नियमों को भी अधिसूचित कर दिया गया है। सेवा के गठन की अधिसूचनाओं की एक प्रतिलिपि और प्रारम्भिक भर्ती विनियमों व संवर्ग नियमों के भर्ती नियमों की एक-एक प्रतिलिपि सदन के सभा-पटल पर आज रखी जानी है। प्रारम्भिक गठन स्थिति पर सेवा के लिए चयन का कार्य शीघ्र ही हाथ में लिया जाना है।

Attack on Konka Police Station in Ranchi

1379. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news-item that an infuriated mob attacked the local Konka Police Station in Ranchi on the 17th December, 1968, set the Police Station on fire and stabbed one constable who had been wounded ;

(b) whether it is a fact that this incident happened after the arrest of a washerman known as Sabir Khan and during this attack 500 of his companions took part and they attacked another Police Station also ;

(c) whether it is also a fact that the pro-Pakistani elements have a hand behind the activities of the minority community in Ranchi ; and

(d) if so, the reaction of Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). According to information received from the State Government one Sabir dhobi, who had been absconding in a number of criminal cases, was arrested on 17.12.68 and was brought to a B. M. P. patrol camp in Ranchi. Some associates of Sabir gathered near the camp and in an attempt to have him released pelted brickbats at the police personnel. To scare away the crowd two blank shots were fired by the police personnel. In the meantime some police re-inforcements also arrived. The crowd then retreated and on its way attacked Konka out post and caused stab injury to a constable. On arrival of police re-inforcements the crowd fled away. In respect of these incidents criminal cases have been registered and some persons have been arrested.

(c) The State Government have no such information.

(d) Does not arise.

मिनिकाय द्वीप समूह में हिन्दी माध्यम वाले हाई स्कूल

1380. **श्री प० मु० सईद :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिनिकाय (लक्कदीव) ने हिन्दी माध्यम वाला हाई स्कूल स्थापित करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो यह मांग पूरी करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लक्कादीव के विद्यार्थियों के लिये इंजीनियरी कालेजों में स्थान

1381. **श्री प० मु० सईद :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी कालेजों में लक्कादीव के विद्यार्थियों के लिये कुछ निश्चित स्थान निर्धारित हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों में ऐसे कितने विद्यार्थियों को स्थान दिये गये हैं ; और

(घ) वर्ष-वार दाखला मिलने वाले विद्यार्थियों के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां के रहने वाले हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). इंजीनियरी कालेजों में, लक्कादीव समेत किसी संघ क्षेत्र के लिये सुरक्षित स्थानों का कोई कोटा निर्धारित नहीं है । प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार, विभिन्न संस्थाओं में प्रत्येक वर्ष स्थान सुरक्षित किये जाते हैं ।

लक्कादीव प्रशासन ने इंजीनियरी कालेजों में अभी तक किसी स्थान की मांग नहीं की है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिये साझी पदालि

1382. **श्री प० मु० सईद :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी संघ राज्य क्षेत्रों के असैनिक पुलिस तथा न्यायिक सेवाओं के प्रशासन के लिये साझी पदालि बनाने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि कुछ संघ राज्य क्षेत्र उसमें शामिल होने के लिये तैयार नहीं हैं तो उन संघ राज्य क्षेत्र में, जो उसमें शामिल होने के लिये तैयार हैं, साझी पदालि न बनाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा की साझी पदालि का पहले ही गठन कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अन्दमान द्वीप-समूह के लिये संयुक्त असैनिक तथा पुलिस सेवाओं का भी गठन किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिये राज्य स्तर पर इन असैनिक, पुलिस तथा न्यायिक सेवाओं के सम्बन्ध में कोई साझी पदालि बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

Shifting of Offices of Education Ministry

1383. **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the places from where his Ministry, its attached and subordinate offices were shifted during the last two years ;

(b) the amount of expenditure incurred by each of the aforesaid offices on its shifting ;

(c) whether the employees and the officers engaged on the work of shifting were paid any honorarium or any other allowance for this work ;

(d) if so, the names of the offices in which such an honorarium or allowance was paid, the names of the persons concerned to whom it was paid as also the amount paid to each of them ; and

(e) the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-170/69.]**

(c) Yes, Sir.

(d) Statement giving the requisite information is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-170/69.]**

(e) (i) Honorarium was paid to certain individuals, who had to put in long hours of strenous work, in addition to their normal duties. This was granted in accordance with the Government rules and after approval by the Competent Authority. During this period they were not paid Over Time Allowance for putting in extra work,

(ii) In some cases where the shifting did not spread over long periods only Over Time Allowance was paid.

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रस्ताव

1384. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) क्या राज्य सरकारों को इससे सम्बद्ध किया जायेगा और यदि हां, तो किस प्रकार ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार ने पर्यटन-तंत्र (टूरिस्ट प्लांट) और पर्यटन सम्बन्धी आधारभूत उपादानों (इन्फ्रा-स्ट्रक्चर) के विकास के लिये तथा विदेशों में भारत पर्यटन की अभिवृद्धि तथा प्रचार कार्य को बढ़ाने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्यक्रम का वास्तविक क्रियान्वयन स्वभावत: इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध वित्तीय साधनों पर निर्भर करेगा।

(ख) पर्यटक अभिरुचि के स्थानों के विकास में पर्यटन विभाग सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वयपूर्वक कार्य करता है। राज्य सरकारों का पर्यटन विकास परिषद में भी प्रतिनिधित्व होता है जिसका पर्यटन विकास विषयक व्यापक समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिये वर्ष में एक बार अधिवेशन होता है।

Escape of Pak Prisoners from Srinagar Jail

1385. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Hukum Chand Kachwai :**
Dr. Karni Singh : **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Pakistani prisoners escaped lately from Srinagar Jail have been apprehended ;

(b) details of their escape ;

(c) the staff and officials particularly responsible for the escape of these prisoners ; and

(d) the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The prisoners who escaped from the Central Jail, Srinagar, on the night between 8th and 9th December, 1968, have not been apprehended so far.

(b) to (d). The Government of Jammu and Kashmir had asked the Inspector General of Prisons to conduct an inquiry ; a preliminary report submitted by him is under State Government's consideration. The Superintendent and some other staff of the Jail are already under suspension.

Firing in Arrah (Bihar)

1386. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Police resorted to firing in Arrah (Bihar) on the 11th January, 1969 ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the number of people killed and injured as a result thereof ; and

(d) whether Government have conducted any judicial inquiry into this firing incident ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). According to information furnished by the State Government the police had to resort to firing at Karisath railway station at about 10.30 A. M. on the 11th January, 1969 to disperse a violent mob which had collected at the time of checking of ticketless passengers. Later during the day students indulged in acts of rowdyism at Arrah railway station. They set fire to office records, damaged railway property and pelted brickbats at the railway and police personnel. They did not disperse in spite of being repeatedly warned by the Sub-Divisional Magistrate. Lathi-charge also proved ineffective. The Sub-Divisional Magistrate had to order firing on two occasions, when two and five rounds respectively were fired.

(c) Six persons were injured, of whom one died in the hospital.

(d) A magistinal inquiry has been held. State Government have examined the circumstances leading to firing and have come to the conclusion that there was no excessive use of force and that there was justification for the firing.

Enactment for Revival of Goonda Act

1387. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to enact any law to revive the Goonda Act which was repealed in 1917 ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). A committee appointed in 1964, by the Conference of Inspectors General of Police had studied in detail the problem of goondas and had submitted its report recommending **inter alia** the enactment, of special legislation providing for externment, detention, restrictions on movement, etc., of goondas. Copies of the report have been sent to the State Governments for their comments, which are awaited.

काशी विद्यापीठ के अध्यापकों को वेतन न दिया जाना

1388. **श्री विभूति मिश्र** :

श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काशी विद्यापीठ के अध्यापकों को पिछले कई मास से वेतन नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां । हाल ही में 3 मास का वेतन, बकाया रह गया था ।

(ख) यद्यपि सरकार ने 1968-69 के लिए अनुमानित अनुदान का भुगतान कर दिया था, किन्तु विद्यापीठ प्राधिकारियों ने कर्मचारियों के वेतन के खर्च को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी थी ।

(ग) प्राधिकारियों द्वारा, मामले पर दोबारा विचार करने के बाद, वेतन की पूरी बकाया रकम 17 फरवरी, 1969 को भुगतान कर दी गई है ।

Construction of a Road in Pauri District (U. P.)

1389. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the path leading to Chindwara from Wah Bazar, Dev Prayag in Pauri District of Uttar Pradesh is so dangerous that the people have to walk with the help of side trees and bushes;

(b) whether it is also a fact that this path connects the Gandhi Chhada and Amarasu Power schemes, two junior High schools, five Primary schools and twenty-six villages ;

(c) if so, whether Government propose to construct a road there ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) to (d). The required information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

छपरा, बिहार में संग्रहालय को अपने हाथ में लेना

1390. **श्री हेमराज** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री जयप्रकाश नारायण ने छपरा, बिहार में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद की स्मृति में एक संग्रहालय की स्थापना की है;

(ख) क्या इसे अपने हाथ में लेने तथा इसका रखरखाव करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) संग्रहालय की स्थापना के संबंध में, मंत्रालय को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । बिहार सरकार के पास भी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

होटलों तथा मोटलों के लिये ऋण

1391. **श्री हेमराज :**

श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धार्मिक स्थानों के मार्ग पर होटल, रेस्टोरेन्टों तथा मोटलों की स्थापना तथा देश के अन्दर पर्यटन की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में तथा अब तक, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार, कितना ऋण दिया गया; और

(ख) उक्त अवधि में कितने विदेशी पर्यटकों ने ऐसे स्थानों की यात्रा की ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) उपलब्ध साधनों के सीमित होने के कारण छोटे होटलों, रेस्टोरेन्टों और मोटलों के लिए वित्त व्यवस्था करने के लिये ऋणों की कोई स्कीम नहीं है ।

(ख) अलग-अलग स्थानों पर आने वाले विदेशी पर्यटकों के बारे में सूचना एकत्रित नहीं की जाती ।

शिक्षा प्रयोजनों के हेतु उपग्रह संचार व्यवस्था

1392. **श्री हेमराज :**

श्री चेंगलराया नायडू :

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री शिक्षा प्रयोजनों के हेतु उपग्रह संचार व्यवस्था के बारे में 15 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 129 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत में निरक्षरता उन्मूलन के हेतु शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के उपग्रह संचार व्यवस्था पर रिपोर्ट का अध्ययन पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जिन विषयों का अध्ययन-कार्य हाथ में लिया गया है वे सामान्यतया विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपग्रह संचार प्रणाली के तकनीकी तथा इंजीनियरी पहलुओं से संबंधित हैं, ये अध्ययन अभी चल रहे हैं ।

चीनी अधिकारियों वाले पाकिस्तानी विमान की भारतीय क्षेत्र पर से उड़ान

1393. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी अधिकारियों के एक दल को हाल में एक पाकिस्तानी विमान में भारत पर से उड़ने की अनुमति दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी उड़ान को अनुमति देने के क्या कारण थे और यदि अनुमति के साथ कोई शर्तें लगायी गयी थीं तो वे क्या थीं;

(ग) क्या 1962 में चीन के भारत पर आक्रमण के बाद से ऐसा कोई अवसर आया है जब चीन पर ऐसी उड़ान के लिये भारत द्वारा अनुमति मांगने पर चीनी अधिकारियों ने उसे स्वीकार किया हो; और

(घ) यदि हां, तो चीन के ऊपर से उड़ान के लिये चीनी अधिकारियों ने यदि कोई शर्तें लगायी थीं, तो वे क्या थीं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). चीनी अधिकारियों को लेकर पाकिस्तानी विमानों के भारत के ऊपर से होकर जाने की कोई सूचना सरकार के पास नहीं आई है ।

कानूनी स्थिति यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही "इन्टरनेशनल एयर सर्विसेज ट्रान्जीट एग्रीमेन्ट" के सदस्य हैं, जिसके अनुसार उनके विमान जो अनुसूचित सेवायें परिचालित करते हैं, एक दूसरे के भूभाग से होकर, बिना उतरे हुए जाने का अधिकार रखते हैं । इस प्रकार पाकिस्तानी सिविलियन विमान जो भारतीय भूभाग से होकर उड़ान करते हैं उनके लिए यात्रियों की सूची देना आवश्यक नहीं है । किसी भी पाकिस्तानी विमान ने किसी चीनी यात्री को ले जाने की अनुमति की मांग नहीं की थी ।

(ग) ऐसा कोई अवसर नहीं आया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ते में स्वतंत्रता सेनानियों तथा क्रांतिकारियों की स्मृति में संग्रहालय

1394. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय श्री शरतचन्द्र बोस के 1, वुडबर्न स्ट्रीट, कलकत्ता स्थित मकान को अर्जित करने तथा स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की स्मृति में उसको संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इसको कब तक क्रियान्वित करने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). भवन को अर्जित करने तथा उसे संग्रहालय में परिवर्तित करने का सरकार का विचार नहीं है । किन्तु कुछ अरसा पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने इस उद्देश्य के लिए भवन को अर्जित करने की इच्छा व्यक्त की थी तथा क्योंकि उनके वित्त साधन इस लागत के लिये इजाजत नहीं देते थे, उन्होंने केन्द्रीय सरकार से सम्पति को अर्जित करने को कहा था । यह अनुरोध विचाराधीन है ।

राज्यों द्वारा चलाई गईं लाटरियां

1395. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लाटरियां जारी करने की अनुमति दी गयी;

(ख) 1968 में राज्यवार कितनी लाटरियां चालू की गयीं, इनके टिकटों की कितनी राशि की बिक्री हुई और कितनी बार लाटरियां निकाली गयीं;

(ग) 1968 में प्रत्येक बार लाटरी निकालने के बाद राज्यवार पहले, दूसरे और तीसरे इनामों में अलग-अलग और अन्य इनामों में (सामूहिक रूप से) कुल कितनी राशियां दी गयी थीं;

(घ) प्रत्येक राज्य को लाटरी निकालने के बाद सभी प्रकार के व्यय को घटाकर और इनाम देने के बाद पृथक-पृथक कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ङ) प्रत्येक बार लाटरी निकालने के बाद प्रत्येक राज्य में इनाम की ऐसी कितनी राशि थी जिसकी लाटरी जीतने वालों द्वारा दावा नहीं किया गया;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार की कोई ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिससे राज्यों द्वारा लाटरियों से एकत्र राशियों को उन्हीं प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाया जाये जिनके लिये लाटरियां चालू की गयी थीं;

(छ) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को राज्य लाटरियां जारी करने की अनुमति दी है यदि वे ऐसा चाहते हैं बशर्ते कि ऐसी लाटरी के टिकट दूसरे राज्य में बिना उस राज्य की अनुमति के नहीं बेचे जाएं । हरियाणा, केरल, मद्रास, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने सन्, 1968 में लाटरिया जारी कीं ।

(ख) से (ङ). पंजाब, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल की सरकारों से प्राप्त सूचना का विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 171/69] शेष राज्यों से सूचना प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(च) जी नहीं, श्रीमान् ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के लिये उप-प्रशासक तथा उप-आयुक्त

1396. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने दिल्ली के लिये उप-प्रशासक तथा गृह तथा वित्त (विभाग) के लिये आयुक्तों की नियुक्ति का सुझाव दिया है;

(ख) क्या सरकार ने यह सुझाव मान लिया है और यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) दिल्ली प्रशासन की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसी नियुक्तियों का औचित्य क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सरकार को दिल्ली के उपराज्यपाल से उप-प्रशासक और गृह तथा वित्त (विभाग) के लिये आयुक्तों के पद बनाने के लिए कोई सुझाव नहीं मिला है । फिर भी, वे दिल्ली के लिये वित्तीय आयुक्त का पद बनाना चाहते थे । इसको अब तक स्वीकार नहीं किया गया है ।

छात्रवृत्तियों, पुस्तकों, पुरस्कारों आदि के लिये समितियां

1397. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छात्रवृत्तियों, पुस्तकों, पुरस्कारों आदि के लिये विभिन्न चयन समितियों के अध्यक्ष मंत्री/अधिकारी हैं;

(ख) इस समय उनके मंत्रालय की कितनी समितियों के अध्यक्ष मंत्री/अधिकारी हैं;

(ग) क्या छात्रवृत्तियों के लिये उम्मीदवारों और पुस्तकों आदि के चयन के सम्बन्ध में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कुछ मामलों में सरकारी अधिकारी हैं और अन्यों में गैर-सरकारी अधिकारी हैं ।

(ख) क्योंकि वे तदर्थ समितियां हैं, अतः उन्हें प्रत्येक चुनाव के बाद समाप्त कर दिया गया था ।

(ग) और (घ). केवल एक शिकायत अगाथा हरीसन मेमोरियल फेलोशिप, 1969 की छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में मिली थी । इसकी जांच की गयी थी और इसे आधारहीन पाया गया ।

(ङ) मामले की जांच की जा रही है ।

नेफा में रसद गिराने वाले उपकरणों की बिक्री

1398. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में दूर स्थित स्थान में पड़े 28 लाख रुपये के पैराशूट तथा रसद गिराने के अन्य उपकरण बेच दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) करीब 28 लाख रुपये के मूल्य के रसद गिराने के उपकरण अभी भी नेफा में बाहरी चौकियों पर पड़े हैं । इन्हें रारिहा, मोहनबारी और उत्तरी लखीमपुर के पूर्ति अड्डे पर ले जाने के बाद बेचने की कार्यवाही की जायेगी। संचार की परम्परागत कठिनाइयों के कारण प्रारम्भ में उनका विशेष हेलीकोप्टर की उड़ान द्वारा पता लगाने का सुझाव था । परन्तु रसद गिराने के उपकरणों को ले जाने में तथा बेकार उपकरण की मरम्मत में असंगत व्यय होने के कारण यह विचार त्याग दिया गया था । अब जिला स्तर पर अधिकारियों का एक बोर्ड बनाने का निश्चय किया गया है जिसके जिला अधिकारी अध्यक्ष और आसाम राइफल्स तथा सशस्त्र पुलिस बटालियनों के कमाडेंट एवं भारतीय वायुसेना से एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे । यह दल बाहरी चौकियों का चक्कर लगायेगी तथा रसद गिराने के उपकरणों का निरीक्षण करेगी । जिन्हें लाभ या बिना लाभ के मरम्मत के बाद काम में आने योग्य समझा जायगा वे पूर्ति स्थानों पर लाये जायेंगे और नियमों के अनुसार स्थानीय रूप से बेच दिया जायगा । बोर्ड की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

नेफा प्रशासन के लिये सप्लाई हेतु वस्तुओं की वसूली संबंधी प्रक्रिया

1399. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्गठित सप्लाई बोर्ड ने नेफा प्रशासन के लिए सप्लाई हेतु वसूली की ऐसी

प्रक्रिया तैयार की है जिससे अत्यधिक मितव्ययता तथा कुशलता प्राप्त की जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सार्वजनिक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसार पुनर्गठित सप्लाई बोर्ड नेफा की एक बैठक 7 जून, 1968 को हुई थी जिसमें सप्लाई की वसूली की समस्त प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया गया था । बोर्ड ने कार्यवाही के लिये निम्नलिखित विधि की सिफारिश की:—

(क) चावल, गेहूं और चीनी केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से वसूल किया जाता रहेगा ।

(ख) वनस्पति घी उत्पादनकर्ताओं से वसूल किया जाएगा । इन व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप दिये जाने तक यह मद नेफा केन्द्रीय सहकारी भंडारों से वसूल किया जा सकेगा जो उत्पादनकर्ताओं से सप्लाई प्राप्त करेंगे ।

(ग) दाल और सरसों का तेल खाद्य निगम, भारत तथा पंजीकृत सहकारी समितियों से वसूल किया जाएगा बशर्ते कि इन ऐजेन्सियों द्वारा दी गई दरें उन दरों की अपेक्षा कम हैं, जिन पर कि वर्तमान ठेकेदार सप्लाई कर रहा है ।

(घ) आयोडीन मिश्रित नमक के लिए जैसा कि स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक की सिफारिशों पर आधारित है, प्रतियोगी टेन्डर के द्वारा नियुक्त ठेकेदार से साधारण नमक प्राप्त करने तथा फिर हावड़ा नमक फैक्टरी में इसमें आयोडीन मिलाने की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी ।

(ङ) टी बोर्ड द्वारा स्वीकृत ठेकेदारों से प्राप्त टेन्डरों के आधार पर चाय की पत्तियां प्राप्त की जाएगी ।

(च) डिब्बेबंद माल उत्पादनकर्ताओं से वसूल किया जाएगा ।

(छ) दूध और मांस जैसी वस्तुएं अच्छी व्यवस्था की अनुपस्थिति में प्रतियोगी टेन्डरों द्वारा वसूल की जाती रहेंगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस संस्थान के लिए बजट प्राक्कलन

1400. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1963-64 से भारत-तिब्बत सीमा पुलिस संस्थापना के

बजट प्राक्कलन अव्यावहारिक तरीके से बनाये जाते रहे थे जिसके फलस्वरूप वास्तविक व्यय बजट प्राक्कलनों से 50 प्रतिशत से कम रहा ;

(ख) यदि हां, तो क्या 1969-70 के बजट प्राक्कलन पूरी छानबीन के बाद तैयार किये गये हैं ; और

(ग) 1963-64 से (वर्षवार) वास्तविक व्यय के बजट प्राक्कलनों से कम रहने के क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत तिब्बत सीमा पुलिस संस्थापना के बजट प्राक्कलन, प्राप्त समस्त आंकड़ों पर सावधानीपूर्वक विचार कर लेने के पश्चात्, बनाये गये थे। तथापि स्वीकृत बजट में दी गई राशि नियन्त्रण से बाहर कारणों से पूर्णरूप से उपयोग में नहीं लाई जा सकी।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) स्वीकृत राशि, प्रयोग में लाई गई राशि, विभिन्न वर्षों में बचत की मात्रा और उसके कारण बतलाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०** 172/69]

राजधानी में कानून तथा व्यवस्था

1401. **श्री गार्डिलिंगन गौड :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री शशि भूषण :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति और भी खराब हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रशासन द्वारा दिल्ली में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जा रहा है और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति नियन्त्रण में रखने के लिए समय-समय पर उपयुक्त उपाय किये जाते हैं।

अयोध्या के निकट राजा दशरथ की समाधि

1402. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अयोध्या के निकट (रामायण के) राजा दशरथ की समाधि बहुत खराब हालत में है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इसे अपने हाथ में लेने, उसे सुरक्षित करने, परिरक्षित करने तथा उसे विज्ञापित करने के लिये कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). विलहर-घाट में एक छोटा सा चबूतरा है, जिसे राजा दशरथ की समाधि होना माना जाता है। उसके निकट एक मन्दिर है, जिसमें दशरथ की मूर्ति है।

समाधि की प्रमाणिकता के बारे में कोई पुरातत्वीय सबूत नहीं है। मन्दिर का भी वास्तु-कला की दृष्टि से भी कोई महत्व नहीं है, इसलिए सरकार का विचार इसे राष्ट्रीय महत्व को स्मारक घोषित करने का नहीं है।

विश्वविद्यालयों के मामलों में विद्यार्थियों का भाग लेना

1403. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उपकुलपतियों के सम्मेलन ने विश्वविद्यालयों के मामलों में विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय तथा उचित भाग लेने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा किस प्रकार भाग लेने का सुझाव दिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन 3 और 4 जनवरी, 1969 को लखनऊ में हुआ था। सम्मेलन ने विश्वविद्यालय में शान्ति व्यवस्था की समस्या पर विचार करते हुए सिफारिश की थी कि शिक्षा संस्थाओं के मामलों में विद्यार्थियों को सक्रिय तथा जिम्मेदाराना भाग लेना बहुत जरूरी है। इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को संयुक्त संकाय-छात्र समितियां स्थापित करनी चाहिए।

एपीजे लाइन (सुरेन्द्र ओवरसीज लिमिटेड) संबंधी सुखथंकर समिति का प्रतिवेदन

1404. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री एपीज लाइन (सुरेन्द्र ओवरसीज लिमिटेड) सम्बन्धी सुखथंकर समिति के प्रतिवेदन के बारे में 22 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1811 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुखथंतर समिति के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) और (ख). रिपोर्ट की अभी जांच की जा रही है।

पुलिस में मुसलमानों के लिए पदों का आरक्षण

1405. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मौलाना युसुफ नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल हाल ही में प्रधान मंत्री से मिला था और उसने उनके समक्ष यह मांग रखी थी कि पुलिस सेवाओं में 25 प्रतिशत पद मुसलमानों के लिये रखे जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रशासनिक कुशलता में सुधार

1406. **श्री एम० नारायणरेड्डी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि प्रशासन की कुशलता में सुधार के लिए डा० एपलबी द्वारा विस्तृत अध्ययन के बावजूद इस दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो डा० एपलबी की सिफारिशों की वे मुख्य बातें क्या हैं जिन पर सरकार ने कुशलता में सुधार हेतु कार्यवाही की है ; और

(ग) इसके क्या परिणाम रहे हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरणशुक्ल) : (क) से (ग). डा० पौल एच० एपलबी ने भारत में लोक प्रशासन पर सरकार को निम्नलिखित दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये:—

(I) भारत के लोक प्रशासन, एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट .. 1953

(II) सरकार के औद्योगिक तथा व्यापारिक उद्यमों के प्रशासन के विशेष संदर्भ में भारत की प्रशासनिक पद्धति की पुनः परीक्षा .. 1956

ये दोनों प्रतिवेदन सदन के सभा पटल पर रखे गये थे। पहले प्रतिवेदन में अधिक महत्व की दो विशिष्ट सिफारिशें सम्मिलित थीं:—

(I) सरकारी ढांचों और प्रशासनिक पद्धतियों तथा रीतियों के सुधार से संबंधित प्रस्ताव तथा अध्ययन करने के लिये विशेष सक्षमता तथा उत्तरदायित्व को महत्व देते हुए एक संगठन और प्रबन्ध अथवा लोक प्रशासन कार्यालय की स्थापना करना।

(II) अनेक पहलुओं और तत्वों के व्यवसाय के रूप में लोक प्रशासन पर अनौपचारिक रूप से ध्यान केन्द्रित करने के लिये भारत में एक लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना ।

अन्य सिफारिशें प्रशासन तथा प्रबन्ध के क्षेत्र में अधिकतर मोटे सिद्धान्तों के रूप में दी गई थीं ।

दूसरे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशें भी प्रत्यायोजन तथा विकेन्द्रीकरण की अधिकतम मात्रा, एक ऐसे तरीके से लाने के उद्देश्य से, सामान्य प्रशासनिक सिद्धान्तों के रूप में थीं ताकि एक ओर नीति तथा योजनाओं को समन्वित रूप में बनाने की आवश्यकता तथा दूसरी ओर उनके कार्यान्वियन में गति तथा बल की आवश्यकता के बीच उचित संतुलन बनाया जा सके ।

उपरोक्त पहले प्रतिवेदन की दो विशिष्ट सिफारिशें मंत्रिमंडल सचिवालय में केन्द्रीय संगठन तथा पद्धति डिवीजन की स्थापना तथा नई दिल्ली में भारतीय तथा लोक प्रशासन संस्थान के सृजन द्वारा कार्यान्वित की गई थीं । जहां तक डा० एपलबी द्वारा सिफारिश किये गए सामान्य सिद्धान्तों का संबंध है उन्हें सरकार के कार्य के संगठन तथा पद्धति में यथासम्भव सम्मिलित करने के लिए कार्यवाही की गई । पर्याप्त वित्तीय प्रत्यायोजनों द्वारा एक महत्वपूर्ण दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है ।

फिर भी ऐसे सुधार लागू करना एक सतत प्रक्रिया है जिसकी देख-भाल तथा समन्वय मंत्रिमंडल सचिवालय के संगठन तथा पद्धति डिवीजन के उत्तराधिकारी गृह मंत्रालय के प्रशासन सुधार विभाग द्वारा किया जाता है । किये गये सुधारों तथा प्राप्त परिणामों का विस्तृत लेखा संसद को प्रस्तुत संगठन तथा पद्धति डिवीजन और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रतिवेदनों में समाविष्ट हैं । यद्यपि एपलबी रिपोर्टें मूल्यवान हैं फिर भी वे स्वयं में जटिल प्रशासन की विभिन्न शाखाओं को गतिशील बनाने में अपर्याप्त हैं । प्रशासन की पक्षता को बढ़ाने की सरकार की इच्छा, अन्य बातों के साथ-साथ प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर नियुक्त निकायों द्वारा प्रदर्शित होती है । प्रशासनिक सुधार के लिये अभियान को विशेष प्रोत्साहन, व्यापक विचारार्थ विषयों के साथ प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना द्वारा दिया गया है ।

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में भारतीय अधिकारियों की कार्यकुशलता

1407. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में कार्य कर रहे भारतीय अधिकारियों का कार्यकुशलता के उच्च स्तर के लिये उनकी ख्याति का कारण अपने देश की तुलना में, जहां लालफीताशाही, स्वतः वरिष्ठता पद्धति तथा पुराना प्रशासनिक ढंग जो उनकी कार्यकुशलता को समाप्त कर देता है, विदेशों में अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्रता बतायी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यदि उल्लिखित भारतीय अधिकारियों को कार्यक्षमता के लिये उच्च ख्याति प्राप्त है तो यह अवश्य ही मुख्यतः उनकी अपनी व्यक्तिगत योग्यता के कारण होगी तथा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में कार्य-परिस्थितियों जैसी अन्य बातें केवल गौण कारण हैं। इन अन्य कारणों में से, बहुत से अधिकारियों के मामले में महत्वपूर्ण बात भारत में सरकारी सेवा के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किया गया अनुभव तथा प्रशिक्षण हो सकती है।

(ख) अधिकारियों की कार्य-क्षमता में सुधार लाने का उत्तरदायित्व विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों पर है। इसका पालन एक ओर तो विद्यमान कार्य-पद्धति के संचालन पर निगरानी रखने की तथा दूसरी ओर कर्मचारी-प्रबन्ध, कार्य-प्रणालियों तथा संगठनात्मक ढांचों के समान मामलों में अपेक्षित सुधार लाने की एक सतत प्रक्रिया है। इस दिशा में मंत्रालय तथा विभागों द्वारा किये गये सभी उपायों का वर्णन करना सम्भव नहीं होगा। समय-समय पर कुछ उपाय मुख्यतः गृह मंत्रालय से किये गये हैं जिनका विवरण इस मंत्रालय तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के वार्षिक प्रतिवेदनों से देखा जा सकता है।

मेक्सिको ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा का दिया जाना

1408. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वह पक्षपात किये जाने के क्या कारण थे कि वर्ष 1968 में मेक्सिको में भाग लेने के लिए जाने वाले हाकी-खिलाड़ी दल को तो विदेशी मुद्रा की पूरी अपेक्षित राशि दी गई और अन्य खेलों में भाग लेने के लिये जाने वाले व्यक्तियों को केवल 50 प्रतिशत विदेशी मुद्रा दी गई ;

(ख) क्या इस भेदभाव का अर्थ अन्य खेलों के प्रति उपेक्षा तथा उनके विकास को निरुत्साहित करना नहीं है ;

(ग) क्या सरकार का विचार यह भेदभाव समाप्त करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). विदेशी मुद्रा उन सभी खिलाड़ियों के लिये समान रूप से मंजूर की गयी थी जो मेक्सिको ओलम्पिक खेलों के भारतीय दल में शामिल थे। और भारतीय हाकी दल के तथा अन्य दलों के सदस्यों के बीच कोई भेद भाव नहीं किया गया था।

जहां तक ओलम्पिक दल में शामिल किये गये खिलाड़ियों को विमान किराया देने के लिये सरकारी सहायता का सम्बन्ध है, सरकार ने हाकी टीम के लिए भारत से मेक्सिको आने जाने का पूर्ण यात्रा व्यय (हवाई इकोनोमी क्लास) के बराबर अनुदान दिया था और अन्य दलों के भाग

लेने वालों के मामलों में, सरकार का अनुदान विमान यात्रा व्यय का 50 प्रतिशत तक सीमित था। भारतीय हाकी संघ द्वारा यह आवेदन किया गया था कि उसके लिए अपना हिस्सा—अर्थात् मेक्सिको आने जाने के लिए टीम का विमान यात्रा व्यय का 50 प्रतिशत पूरा करना मुश्किल था। इस बात का ध्यान रखते हुए और इस तथ्य का भी कि हाकी टीम के उसके विश्व पदक के गौरव का ध्यान रखते हुए, अखिल भारतीय खेल कूद परिषद की सिफारिशों पर सरकार ने टीम के पूर्ण यात्रा व्यय को पूरा करने का निश्चय किया था।

Development of Ladakh for Tourism

1409. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to open Ladakh for Indian tourists so that it may become a centre for tourism like Jammu and Srinagar and may become prosperous as a result thereof; and

(b) if so, when and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). For security reasons, it is not proposed to open Ladakh for tourists at present.

Death of a Meerut Woman in Delhi

1410. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item that a widow named Phoolwati aged 25-30 belonging to Kadullahara village, Meerut who came to a doctor practising at Rodgaran locality of Delhi for abortion, died because of the doctor and a nurse, who ran away after closing the dispensary and leaving the dead body ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

Thd Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla : (a) Yes, Sir.

(b) On receipt of a complaint about the alleged incident, the local police have registered a case which is under investigation. Two persons have been arrested so far in this connection.

Public Holiday on 30th January

1411. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the reasons for not considering it necessary to declare the 30th January (the day of Gandhiji's Martyrdom) as a public holiday during the Gandhi Centenary year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): It has been the practice to observe a public holiday only on the birthday of Mahatma Gandhi and not on the anniversary of his martyrdom. No departure from this practice was, therefore, made this year also. However, having regard to the fact that this is the Gandhi Centenary year and to mark the end of the first century after his birth, 1st October, 1969 has also been declared as a public holiday.

National Integration Exhibition

1412. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have received a proposal that an exhibition (National Integration Exhibition) depicting the services rendered by the great leaders of the country for the last one thousand years in India be held permanently at the place of Martyrdom where Gandiji laid down his life for the cause of national integration ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद

1413. **श्री शशि भूषण :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद के गठन का ब्योरा क्या है ; और

(ख) इसका कार्य लगभग किस तारीख से आरम्भ हो जायेगा, इसका कार्यक्षेत्र क्या होगा और प्रस्तावित परिषद के उद्देश्यों को पूरा करने पर कितना व्यय होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद का गठन तथा कार्य क्षेत्र सरकारी प्रस्ताव संख्या F-9-50/68 पी० एल० जी० दिनांक 12 दिसम्बर, 1968 में दिया हुआ है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 173/69]

परिषद की शीघ्र ही कार्य आरम्भ करने की आशा है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) में इसके लिये 150 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

Robbing of Foreigners in Morena

1414. **Shri Onkar Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some foreign tourists were robbed by unknown persons in Morena District of Madhya Pradesh in January, 1969 ;

(b) if so, the value of goobs looted, as stated by the State Government; and

(c) the arrangements made by the State Government and the Central Government to give compensation and protection to foreign tourists in such cases ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The information is being collected from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

Gandhi Murder Enquiry

1416. **Shri Onkar Singh :** **Shri Shradhakar Supakar :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Raghuvir Singh Shastri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Enquiry Commission which was appointed to probe into the murder of Mahatma Gandhi has completed its work ;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the time which is likely to be taken by the Commission for completing its work ; and

(d) the expenditure incurred by Government so far in this regard since the date of setting up of the Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The term of the Commission has been extended upto 31st March, 1969.

(d) Rs. 1,25,481.40 (upto 31st January, 1969).

Enquiry into Sivan Police Firing

1417. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any report or telegram in which a demand for holding judicial enquiry into the Sivan Police Firing has been made ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Sari Vidya Charan Shukla) : (a) The State Government had received such demands.

(b) A magisterial inquiry into the incident of police firing in village Sivan on December 30, 1968 has been ordered by the State Government.

Speech by Maulana Farouq

1418. **Shri Hukam Chand Kackwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Maulana Farouq, President of the Jammu and Kashmir Awami Committee, had said in the conference sponsored by Sheikh Abdullah that the place of Kashmir can only be possible in Pakistan ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action being contemplated against him.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) According to Government's information, no such statement was made by Maulvi Farooq at the conference referred to.

(b) Does not arise.

Arrest of U. P. Teachers

1419. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of teachers arrested in connection with the agitation in Uttar Pradesh during the months of November and December, 1968 ; and

(b) the number of teachers prosecuted and the number of the cases pending in Courts ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. Rao): (a) and (b). Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha.

पुस्तक तैयार करने के लिए दिया गया अनुदान

1420. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तक तैयार करने की योजना के अन्तर्गत अब तक किन-किन राज्यों को तथा कितनी-कितनी धन-राशि दी गई है ;

(ख) भारत के दक्षिण के राज्यों को अब तक कितनी धन-राशि दी गई है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो भेदभावपूर्ण व्यवहार किये जाने के क्या कारण हैं और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के निर्माण के लिए, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार ने, चालू वित्त वर्ष में, राज्य सरकारों को, उनके सामने दी गई राशि के अनुदान दिये हैं :

क्रम संख्या	राज्य सरकार का नाम	अनुदान की राशि रुपये
1.	आन्ध्र प्रदेश	10,00,000.00
2.	मैसूर	5,00,000.00
3.	तामिल नाडू	1,72,000.00
4.	केरल	43,050.00
5.	राजस्थान	5,00,000.00

क्रम संख्या	राज्य सरकार का नाम	अनुदान की राशि रुपए
6.	बिहार	5,00,000.00
7.	उत्तर प्रदेश	2,00,000.00
8.	हरियाणा	2,00,000.00
9.	मध्य प्रदेश	1,00,000.00
10.	पश्चिम बंगाल	32,778.00

अनुदान, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चुनाव अभियान के दौरान प्रधान मंत्री को दी गई सुविधायें

1422. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को निदेश दिये गये थे कि कांग्रेस दल के लिए उनके चुनाव अभियान में प्रधान मंत्री को शासकीय सुविधाओं की व्यवस्था की जाये ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितनी और किस प्रकार की सुविधाएं दी गयीं ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितना सरकारी धन खर्च किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

आजाद हिन्द सरकार का रजत जयन्ती समारोह

1423. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने सब विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को तथा राज्यों के शिक्षा सचिवों को आजाद हिन्द सरकार का रजत जयन्ती समारोह मनाने के लिये कार्यवाही करने के बारे में एक नया परिपत्र भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी संस्थाओं ने उनके मंत्रालय के आदेशों का पालन किया है ; और

(ग) क्या केरल के शिक्षा सचिव ने यह काम केन्द्रीय परिपत्र के अनुसार किया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) उन सभी विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों से, जिन्हें इस सम्बन्ध में लिखा गया है, उत्तर प्राप्त होने पर ही सूचना दी जा सकती है।

(ग) केरल सरकार के शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशक, जन शिक्षा निदेशक और कालेज शिक्षा निदेशक ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सरकार से नये परिपत्र प्राप्त होने से पहले ही, सभी शैक्षिक संस्थाओं ने, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अध्यक्षता में स्थापित आजाद हिन्द सरकार की रजत जयन्ती उपयुक्त ढंग से मनाई थी। इसलिए, केन्द्रीय सरकार के नए परिपत्र पर अमल करने का प्रश्न नहीं उठता था।

बिहार के इंजीनियर

1424. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री बिहार के इंजीनियरों के बारे में 15 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 825 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची और भागलपुर के इलेक्ट्रिकल वर्क्स डिवीजन के सम्बन्ध में इस बीच लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) अब तक प्राप्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के सभी पहलुओं के क्या परिणाम निकले हैं और विभिन्न इलेक्ट्रिकल वर्क्स सर्किलों के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) विशेष-लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों ने भण्डार खरीद तथा लेखे-रखने के मामले में विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं को प्रकट किया है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत एक अधीक्षक-अभियन्ता, तीन अधिशासी अभियन्ता तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध 5 मामले दर्ज किये हैं। मामलों की जांच की जा रही है।

बिहार में नजरबन्द आदिवासी नेता

1425. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 13 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4445 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलाहकार बोर्ड ने नजरबन्द शेष दो आदिवासियों के मामलों पर अब विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत तीन आदिवासी नेता कितने समय से नजरबन्द हैं तथा उनके नाम क्या हैं और उनका पूर्व इतिहास क्या है ;

(घ) क्या सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई सलाह पर ध्यान दिये बिना सरकार उन्हें नजरबन्दी से रिहा करने अथवा परीक्षणाधीन रखने का विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सर्व श्री लालू ऊरांव और बिरसा ऊरांव दो नजरबन्दों के मामलों पर सलाहकार बोर्ड द्वारा हाल ही में विचार किया गया है। सलाहकार बोर्ड के मत में, श्री बिरसा ऊरांव की नजरबन्दी के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान नहीं है। तदनुसार 14 जनवरी, 1969 को राज्य सरकार द्वारा श्री बिरसा ऊरांव को नजरबन्दी से रिहा कर दिया गया। फिर भी श्री लालू ऊरांव की अवस्था में सलाहकार बोर्ड द्वारा नजरबन्दी का पर्याप्त कारण पाया गया है। अतः राज्य सरकार ने उसकी एक साल की नजरबन्दी के लिये आदेश की पुष्टि की है।

(ग) श्री ललित कुमार कुजूर को 3 जुलाई, 1968 को नजरबन्द किया गया था और वह अभी तक नजरबन्द है। श्री लालू ऊरांव को 28 अक्तूबर, 1968 को नजरबन्द किया था और उसकी नजरबन्दी जारी है। श्री बिरसा ऊरांव 1 दिसम्बर, 1968 को नजरबन्द किया गया था और 14 जनवरी, 1969 को रिहा कर दिया गया।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा इन व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है क्योंकि वे ऐसी गतिविधियों में भाग लेते पाये गये थे जो लोक शान्ति को बनाये रखने के प्रतिकूल हैं।

विमान उतारने के स्थान के निकट यात्री कार के आने के बारे में तथा विमान में स्थानों के नियतन के बारे में नियम

1426. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान के निकट जहाज उतरने के स्थान पर यात्री कार के आने के बारे में क्या नियम हैं ; और

(ख) विमान की पहली पंक्ति में बैठने के स्थान देने के बारे में क्या नियम हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) क्योंकि अवतरण भूमि पर यात्रियों की कारों के चलने से विमान परिचालन को खतरा उत्पन्न होता है, आम तौर पर इन कारों को विमानों तक जाने की अनुमति नहीं दी जाती। परन्तु विशेष हालतों में जब कोई अशक्त/बीमार यात्री अथवा कोई अति प्रतिष्ठित व्यक्ति यात्रा कर रहे होते हैं, निजी कारों को परिचालन की दृष्टि से आवश्यक ऐहतियात कर लेने के बाद विमानों तक जाने दिया जाता है।

ऐसी सब हालतों में सुरक्षा के कारणों से कार को विभागीय जीप के पीछे-पीछे ले जाया जाता है।

(ख) एयर इण्डिया की हालत में ऐसे नियम हैं कि फर्स्ट और इकोनोमी क्लास में पहली पंक्ति में विभाजक दीवार (बल्क हैड) के पास की सीटें छोटे बच्चों वाली माताओं को दी जायें। जहां तक इण्डियन एयरलाइंस का सम्बन्ध है कारवेल विमानों की पहली पंक्ति ("ए" रो) में सीटें अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, अशक्त अथवा बीमार यात्रियों जिन्हें विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता होती है, तथा हाथों में या टोकरियों में बच्चों को लिये हुए माताओं को दी जाती हैं। जहां तक इण्डियन एयरलाइंस द्वारा परिचालित अन्य विमानों में सीटों के नियतन का सम्बन्ध है, यात्रियों को यथासम्भव उनकी इच्छानुसार सीटें दी जाती हैं।

इंडियन एयरलाइंस के कैरेवेल विमानों में यात्रियों के लिये शौचालय सुविधायें

1427. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के कैरेवेल विमानों में बैठने के कुल कितने स्थान हैं ;

(ख) इन विमानों के शौचालयों में कितने नैपकिन रखे जाते हैं ; और

(ग) क्या इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विमान में कम से कम उतने नैपकिन हों, जितने उसमें यात्री हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 89

(ख) कारवेल विमान के दो शौचालयों (टाएलेट्स) में से प्रत्येक में 10 नैपकिन रखे जाते हैं और इस्तेमाल किये गये नैपकिनों के स्थान पर रखने के लिए 40 नैपकिन केबिन परिचारक के पास रिजर्व में रखे रहते हैं।

(ग) संभावना के सिद्धान्त के अनुसार, पर्याप्त नैपकिन रिजर्वरूप से रखे रहते हैं।

इंडियन एयरलाइंस के कैरेवल विमान की सेवा की उड़ानों में रिक्त स्थान

1428. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन की कैरेवेल विमान सेवाओं में दिल्ली-कलकत्ता, बम्बई-कलकत्ता और बम्बई-मद्रास मार्ग पर विमानों में परिचालन संबंधी कारणों से कितनें स्थान खाली रहते हैं ;

(ख) इन सीटों के खाली रहने से गत छः महीनों में इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन को कितनी हानि हुई ; और

(ग) परिचालन संबंधी वे कारण क्या हैं जिनसे इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन को अपने विमानों में स्थान खाली रखने पड़ते हैं तथा उन कारणों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). निम्न तालिका में सीटों के नियतन एवं रिक्त रहने वाली सीटों का ब्योरा दिया गया है :—

सेक्टर	उड़ान संख्या	सीटों के नियतन	रिक्त सीटें
दिल्ली/कलकत्ता	आई सी-264	78	11
दिल्ली/कलकत्ता	आई सी-401	75	14
कलकत्ता/दिल्ली	आई सी-263	80	9
कलकत्ता/दिल्ली	आई सी-402	80	9
बंबई/कलकत्ता	आई सी-175	65	24
बंबई/कलकत्ता	आई सी-129	65	24
कलकत्ता/बंबई	आई सी-176	70	19
कलकत्ता/बंबई	आई सी-130	70	19
बंबई/मद्रास	आई सी-171	89	—
मद्रास/बंबई	आई सी-172	89	—

यद्यपि कारवेल 89 सीटों वाला विमान होता है, लेकिन समाचार-पत्र जैसे अन्य अनिवार्य रूप से ले जाये जाने वाले भारों के साथ-साथ सभी मार्गों पर पूरे 89 यात्री नहीं ले जाये जा सकते हैं। उपलब्ध आय भार (पेलोड) मार्ग की दूरी, यात्रा के लिए आवश्यक ईंधन और मौसम की दशाओं के अनुसार बदलता रहता है। इण्डियन एयरलाइंस ईंधन की न्यूनतम मात्रा से विमानों को परिचालित करने के लिए, जिसके कि परिणामस्वरूप आय-भार बढ़ जायेगा, प्रायः उड़ान मार्गों पर ही स्थित उपयुक्त वैकल्पिक (डाइवर्शनरी) हवाई अड्डों का पता लगाने के लिए कदम उठा रही है। इण्डियन एयरलाइन्स 'जीरो फ्यूएल वेट' और 'आल अप वेट' की वृद्धि के लिए कारवेल विमान में कुछ परिवर्तन करते हुए आय-भार को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन की देर से उड़ानें

1429. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन की मुख्य मार्गों (ट्रंक रूट) पर प्रतिदिन कितनी उड़ानें होती हैं ;

(ख) गत छः महीनों में कितनी उड़ानें देर से हुई थीं ; और

(ग) औसतन कितनी देर हुई तथा वे किन कारणों से हुईं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इण्डियन एयरलाइंस मुख्य मार्गों पर 22 सेवाएं दैनिक रूप से परिचालित करती हैं, अर्थात्—

(i) दिल्ली से 7
(ii) बंबई से 7
(iii) कलकत्ता से 5
(iv) मद्रास से 3

इनके अतिरिक्त, बढ़े हुए यातायात की आवश्यकतापूर्ति के लिए दिल्ली/कलकत्ता/दिल्ली सैक्टर पर अस्थायीतौर पर सप्ताह में दो बार की एक विमान सेवा परिचालित की जा रही है ।

(ख) जुलाई से दिसम्बर, 1968 की अवधि में की गयी 5,368 कुल उड़ानों के मुकाबले में 356 में ऐसी देरियां हुईं जो 30 मिनट से अधिक की थीं । उड़ानों के मुकाबले में देरियों का प्रतिशत 6.63 बनता है । शेष 93.37 प्रतिशत उड़ानें या तो बगैर विलम्ब के की गयीं अथवा उनका विलम्ब 30 मिनट से ऊपर नहीं गया ।

(ग) उक्त अवधियों में औसत विलम्ब 1 घण्टा 28 मिनट पड़ता है । देरियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है :—

1. मौसम	41
2. परिणामी	196
3. विविध	12
4. विमान यातायात नियंत्रण	2
5. इंजीनियरी	81
6. यातायात एवं खान-पान व्यवस्था	16
7. परिचालन	5
8. परिवहन	3
योग :	356

एयर इंडिया के विमानों में वृद्धि करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता

1430. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया का विचार अपने विमानों की संख्या बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी योजना क्या है और इसके लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ; और

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने अपेक्षित विदेशी मुद्रा की अनुमति दे दी है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). एयर इंडिया ने दो बोइंग 747 (जम्बो जेट) विमानों के लिए आदेश दे दिये हैं जिसके लिए 45.00 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी । कारपोरेशन ने भारत सरकार के अनुमोदन से इस राशि के लिये तेरह यू० एस० वाणिज्यिक बैंकों, एक्सिम बैंक और बोइंग कम्पनी से एक ऋण सम्बन्धी करार किया है ।

Heavy Expenditure in Goa on Proceedings for Changing Names

1431. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the editorial "Anti-Hindu Rule persists in Goa" published in the issue of the 5th December, 1968 of "Masurashram patrika", an English monthly journal of Bombay, in which it is stated that there is no restriction on the change of name if a Hindu residing in any part of India is converted to Islam or Christianity, whereas in Goa if a Christian is converted as Hindu much expenditnre is incurred at the time of this change of name ; and

(b) if so, the reaction of Government to this complaint ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). A notification has been issued on 26th June, 1968 by the Goa Government simplifying the procedure and reducing expenditure involved in the process of changing names.

Scindia Steam Navigation Company Ltd., Bombay

1432. **Shri Shardanand :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Transport and Shippiug** be pleased to state :

(a) the date on which the Scindia Steam Navigation Company Limited, Bombay applied for licence and the date on which it started functioning ;

(b) the terms and conditions for starting this company ; and

(c) the quantum of business done by this company since it started ?

The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) The company was registered on 27th March, 1919 and its first ship "Loyalty" commenced its first voyage on 5th April, 1919. But the exact date when the company applied for the licensing of the ship is not available at this distance of time.

(b) The company have stated that they are not aware of any terms and conditions imposed by the then British Administration for the registration of the company but due to the

hostile attitude of British shipping interests the company had to encounter several difficulties in the formative stage in regard to securing of cargoes, purchase of ships from U. K., transfer of registry etc.

(c) While it is not possible to obtain data since the inception of the Company which covers a period of 50 years, the required information is being collected for as many years as possible and the same will be laid on the table of the Sabha in due course.

बम्बई कुमारी अन्तरीप राजमार्ग

1433. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और कुमारी अन्तरीप के बीच केरल होकर दूसरा राजमार्ग बनाने के बारे में केन्द्र का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केरल तथा महाराष्ट्र दोनों से सुझाव मिला है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). बम्बई और कन्याकुमारी केरल से होकर निम्नलिखित सड़क रास्तों से पहले से ही मिली हुई है :

(1) बम्बई-बंगलौर-सलम-चलीसेरी-त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी ।

(2) बम्बई-पनवेल-मरमागाओ-मंगलौर-कालीकट-चलीसेरी-कोचीन-त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी ।

उपर्युक्त (1) रास्ता पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग रास्ता है जिसमें अनेकों राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं और उपरोक्त (2) में आंशिक राष्ट्रीय राजमार्ग रास्ते और आंशिक रूप से पनवेल से चलीसेरी पश्चिमी तटीय सड़क है जिसका विकास भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से सभी मौसम के लिये एक गली के लिये तारकोली के रूप में किया जा रहा है ।

केरल होकर बम्बई से कन्याकुमारी को मिलाने के लिये कोई दूसरे राजमार्ग का विचार नहीं है और न ही महाराष्ट्र और केरल सरकारों से इस संबंध में कोई प्रस्ताव ही प्राप्त किया है ।

Schools and Colleges in Pauri Garhwal District of U. P.

1434. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of Basic Primary Schools, Junior High Schools, Inter Colleges and Degree Colleges in Pauri Garhwal District of Uttar Pradesh ; and the locations thereof ;

(b) the number of Basic Primary Schools, Junior High Schools, Inter Colleges and Degree Colleges proposed to be opened by Government in the said District during 1969-70 and the names of those places ;

(c) whether it is a fact that Garhwal District in U. P. is the most backward area in respect of education ; and

(d) if so, the nature of the scheme being formulated by Government for the purpose ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (d). The information is being collected from the State Government and will be laid on the table of the Sabha when available.

सेवानिवृत्ति सचिवों द्वारा पुस्तक लिखना

1435. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री समर गुह :
श्री क० लकप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के सेवानिवृत्ति सचिव शासकीय अभिलेखों की सहायता से पुस्तक लिख रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारी कितने हैं तथा उन्होंने कितनी पुस्तकें प्रकाशित की हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सांस्कृतिक योजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश को अनुदान

1436. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में सांस्कृतिक योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार ने कोई अनुदान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) 1968-69 में उत्तर प्रदेश राज्य को कितनी राशि देने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी हां । शिक्षा मंत्रालय ने 1967-68 वर्ष के दौरान "राष्ट्रीय अभिलेख रजिस्टर" योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 3,000 रुपये का अनुदान दिया था ।

(ग) (i) संग्रहालयों के विकास और पुनर्गठन के लिए 7,500 रुपये दिए जा रहे हैं ।

(ii) राष्ट्रीय अभिलेख रजिस्टर के लिए 3,000 रुपये दिये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को "अन्तर-राज्य सांस्कृतिक मंडली विनिमय" योजना के अधीन भी सहायक-अनुदान प्राप्त होगा, क्योंकि उस सरकार ने 1968-69 के दौरान कार्यक्रम में भाग

लिया है । किन्तु वित्तीय सहायता की मात्रा, योजना के अन्तर्गत अनुमत्य राज्य सरकार द्वारा किए गए वास्तविक व्यय पर निर्भर करेगी ।

Greeting Cards Published by Sahitya Akademi

1437. **Shri S. M. Joshi :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5359 on the 20th December, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that the greetings cards for the new year were published and distributed by the Sahitya Akademi in English only ;

(b) whether any reply has been received from the Sahitya Akademi on the advice given by his Ministry ;

(c) if so, the objections raised by the Sahitya Akademi for sending the invitation cards and other such printed circulars both in Hindi and English ;

(d) the reaction of Government for not issuing Hindi and English side by side by the Sahitya Akademi in spite of the advice of his Ministry ; and

(e) the further action Government propose to take in this connection ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). No objection has been raised by the Sahitya Akademi for sending the invitation cards and other such printed circulars both in Hindi and English. In fact, soon after the receipt of the Ministry's advice the Akademi issued an Office Order saying that all invitation cards would thenceforth be printed in Hindi and English. The 'new year' cards were, however, printed by the Akademi in October, 1968, and some cards were sent out in November 1968 to foreign agencies. The Akademi has now started printing invitation cards etc. both in Hindi and English.

(e) The Government are satisfied with the action taken by the Akademi.

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

1438. **श्री क० लकप्पा :** **श्री प० विश्वम्भरन :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ;

(ग) क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अन्तर्राज्य परिषद के गठन के बारे में विशिष्ट सिफारिश स्वीकार कर ली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्र राज्य संबंध के बारे में अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रशासनिक सुधार आयोग को प्रस्तुत कर दिया है, जिसकी प्रतियां संसद्-पुस्तकालय में रखी गई हैं। प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें आयोग को अपने निष्कर्षों तक पहुंचने में सहायता देने के लिए हैं।

(ग) और (घ). आयोग ने ऐसा कोई प्रतिवेदन सरकार को नहीं दिया है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अन्तर्राज्य परिषद् के गठन का सुझाव दिया हो।

भारतीय शिक्षा सेवा

1439. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कई वर्ष पूर्व संसद् द्वारा स्वीकार किये गये संकल्प के अनुपालन में भारतीय शिक्षा सेवा के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) किन-किन राज्यों ने इस प्रस्ताव पर अपनी सम्मति नहीं दी है तथा उन्होंने सम्मति न देने के क्या कारण बताये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). राज्य सभा द्वारा अनुच्छेद 312 (1) के अन्तर्गत एक संकल्प पारित करने के बाद, जिसमें भारतीय शिक्षा सेवा के निर्माण की सिफारिश की गई थी, एक व्याख्यात्मक ज्ञापन तैयार किया गया तथा विभिन्न राज्य सरकारों को अपने मत प्रकट करने के लिए भेजा गया। भारतीय शिक्षा सेवा के निर्माण के प्रावधान के लिए नवम्बर, 1965 में एक विधेयक भी लोक सभा में पुनः स्थापित किया गया। परन्तु यह विधेयक समाप्त हो गया क्योंकि यह तृतीय लोक-सभा के कार्यकाल में पारित नहीं हो सका।

कुछ नई राज्य सरकारों ने जो 1967 के आम चुनाव के बाद बनी थीं, भारतीय शिक्षा सेवा के बनाने की आवश्यकता के बारे में अपने दृष्टिकोण का पुनरीक्षण किया था। राजस्थान और हरियाणा की सरकारों ने शैक्षिक संस्थानों में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम के रूप में लागू होने में अन्तर्निहित समस्याओं के कारण सेवा में शामिल होने के लिए सहमत नहीं हुए। आंध्र प्रदेश सरकार ने सेवा में भाग लेने से इसलिये इन्कार किया कि उनके इस सुझाव को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया कि इस सेवा की सीधी भर्ती में आन्ध्र प्रदेश के मूल निवासियों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। मैसूर सरकार ने सेवा में भाग न लेने के अपने निर्णय के कारण नहीं बताये हैं। मद्रास सरकार किसी ऐसी नई अखिल भारतीय सेवा में भाग लेने की इच्छुक नहीं है जो ऐसे विषयों के संबंध में बनाई गई हो जो उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

उपरोक्त राज्य सरकारों द्वारा अन्य मतों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने मई, 1968 में समूचे प्रश्न का पुनरीक्षण किया था। यह निश्चय किया था कि फिलहाल नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कदम न उठाये जायें जिसके लिये अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 में अभी प्रावधान करना पड़ेगा।

Arrest of Sadhus Near Kedarnath

1440. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Jyotirmoy Basu :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three Sadhus have been arrested near Kedarnath (U. P.) for espionage ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have no such information.

(b) Does not arise.

पश्चिम बंगाल में मदरसे

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पश्चिम बंगाल में विभिन्न श्रेणियों के कितने मदरसे हैं,

(ख) किन-किन श्रेणियों को सहायता तथा अनुदान दिया जाता है ;

(ग) 1966-67 तथा 1967-68 वर्षों में कितनी सहायता तथा अनुदान दिया गया है ; और

(घ) किन कारणों से अन्य श्रेणियों के मदरसों को ये सुविधाएं नहीं दी गई हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी।

पश्चिम बंगाल में 'टूरिस्ट लाज'

1442. **श्री ज्योर्तिय बसु :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में ऐसे कौन-कौन स्थान हैं जहां केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा दोनों ने संयुक्त रूप से 'टूरिस्ट लाज' बनाये हैं;

(ख) प्रत्येक लाज के निर्माण पर कुल कितना धन व्यय किया गया; और

(ग) इन लाजों में पर्यटक को एक दिन के निवास के लिए (औसतन) कितनी राशि देनी पड़ती है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

(ग) 15 रुपये प्रतिदिन ।

विवरण

पश्चिम बंगाल में 'टूरिस्ट लाजों' की सूची

क्रम संख्या	टूरिस्ट लाज का नाम	निर्माण की लागत
1.	टूरिस्ट लाज, दुर्गापुर	5.00 लाख
2.	टूरिस्ट लाज, (श्रेणी I), दार्जिलिंग	14.00 लाख
3.	टूरिस्ट लाज (श्रेणी II), दार्जिलिंग ।	6.50 लाख
4.	टूरिस्ट लाज (श्रेणी I), केलिम्पोंग ।	2.50 लाख
5.	टूरिस्ट लाज (श्रेणी II), केलिम्पोंग ।	0.25 लाख
6.	टूरिस्ट लाज, शान्ति निकेतन ।	14.00 लाख
7.	टूरिस्ट केन्द्र, डायमन्ड हारबर	21.00 लाख
8.	टूरिस्ट लाज, दीघ ।	6.75 लाख
9.	टूरिस्ट लाज, मालदा ।	5.00 लाख

Disparity in Pay Scales of Jailors and Assistant Jailors

1443. **Shri Ram Avtar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a disparity between the pay scales of the Jailors and Assistant Jailors in the Jails in different States of the country ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government propose to fix uniform pay scales for them on the national level ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The Pay scales of Jailors and Assistant Jailors, who are State employees form part of the general pattern of pay scales prevailing in each State, which differs from State to State.

(c) No, Sir.

(d) 'Jails' being a State subject, the question of fixation of uniform pay scales for Jailors and Assistant Jailors by the Central Government does not arise.

Aid by UNESCO for Renovation of Temples

1444. **Shri Sitaram Kesri :**
Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that UNESCO has decided to give aid to India for the development and renovation of some temples ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). An expert deputed by UNESCO, visited India for about 2½ weeks in October, 1966 and submitted a report on the renovation and conservation of temples in South India with particular reference to the temple of Sri Ranganathaswami, Srirangam, Tamil Nadu. During 1968, UNESCO provided equipment worth $ 12,000 and the services of two experts for the renovation of the Srirangam Temple. It has also offered $ 3,000 for the production of an illustrated publication showing the work done at the Srirangam Temple and explaining its cultural value.

UNESCO has also made provision for one expert for four months and equipment worth $ 12,000 for the preservation of monuments in India during 1969. The temples or other monuments for which this assistance will be used is a question that has yet to be decided.

Pushpak Aeroplanes

1445. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri K. Ramani :
Shri P. P. Esthose :
Shri Jyotirmoy Basu :
Shri K. Anirudhan :
Shri B. K. Daschowdhary :
Shri Narendra Singh Mahida :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some defect has been found in Pushpak aeroplanes due to which their use has been suspended ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Instances of fatigue cracks on rear wing strut bottom attachment lugs of the Pushpak aircraft were reported as a result of magnaflux inspection called for by the Civil Aviation Department. The manufacturers of the aircraft **viz.** the Hindustan Aeronautics Ltd., Bangalore Division, have evolved an approved modification to the lugs which is being incorporated in the aircraft for remedying the defect.

कालिजों में प्रवेश पर रोक लगाना

1446. **श्री हेमराज** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालिजों में प्रवेश पर रोक लगाने के बारे में समय-समय पर प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों से सुझाव प्राप्त होते रहे हैं ताकि केवल सुपात्र विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, किसी कालेज में दाखिल किये जाने वाले पूर्णकालिक विद्यार्थियों की संख्या उसकी प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा अन्य सुविधाओं और स्टाफ की संख्या के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए ।

केन्द्रीय सड़क निधि

1447. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में केन्द्रीय सड़क रक्षित निधि में से उड़ीसा के लिये कोई धनराशि निकाली गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार निकाली गई धनराशि क्रमशः कितनी थी; और

(ग) वह धनराशि किन-किन कार्यों के लिये और किन-किन स्थानों के लिये निकाली गई थी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना नीचे दी जा रही है :—

वर्ष	दी गई राशि (लाख रुपये में)
1966-67	1.25
1967-68	—
1968-69	2.00 (अनुमानित)

(ग) सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

शोलापुर को विमान सेवायें

1448. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में शोलापुर के लिये विमान सेवाएं आरम्भ करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि शोलापुर के निवासियों ने विमान सेवा को सफल बनाने का आश्वासन दिया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सुझावों की जांच की गई है और यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) माननीय सदस्य ने एक पत्र में बताया था कि इस विमान-सेवा के लिए शोलापुर के नागरिक 50,000/-रुपये की राशि देने की जिम्मेदारी लेते हैं और वे इस राशि को वार्षिक 75,000/-रुपये तक बढ़ाने के लिए तैयार हो सकते हैं ।

(ग) संभावित अपर्याप्त यातायात के कारण इंडियन एयरलाइंस फिलहाल शोलापुर के लिए एक विमान सेवा परिचालित करना व्यवहार्य नहीं समझती है ।

विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा साम्प्रदायिक और प्रादेशिक घृणा का प्रसार

1449. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थायें नागरिकों और विद्यार्थी समुदाय में सामुदायिक और प्रादेशिक घृणा और हिंसक गतिविधियां फैलाने के लिये कुख्यात हैं;

(ख) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार के विचार में इन परिस्थितियों का कारण बाहरी प्रभाव है; और

(घ) इन संस्थाओं द्वारा फिर से सामान्य कार्य आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). कभी-कभी एक या दो संस्था के विरुद्ध साम्प्रदायिकता के आरोप लगाए गए हैं । किन्तु, जांच करने पर, वे निराधार पाए गए ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

Inter-State Transport Authority

1450. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state whether the Inter-State Transport Authority would be made a statutory body by amending the Motor Vehicles Act or by making another provision in accordance with the report of the Keskar Committee so that the Inter-State Transport may be improved ?

The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah) : The Inter-State Transport Commission is already a statutory body set up under section 63A of the Motor Vehicles Act, 1939. Proposals to strengthen the Commission and give it powers under Section 63A (2) (d) of the Act are under consideration, keeping in view the recommendations of the Keskar Committee.

Higher Secondary System of Education in India

1451. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the statement of the Jammu and Kashmir Chief Minister, Shri Sadiq, that the present Higher Secondary education system in Kashmir as well as in other States in the country has not proved successful ;

(b) whether he had himself made such a statement in the case of Madhya Pradesh, where junior colleges are being set up in place of Higher Secondary schools ;

(c) whether the Kothari Commission has also pointed out this fact ; and

(d) if so, the steps being taken to improve the present system ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (d). Material for the reply is being collected and the same will be laid on the Table of House.

Arms with Dacoits

1452. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have intimated the Centre that weapons made in Pakistan have been seized from the dacoits apprehended by them and have requested that the matter of inflow of the weapons into India may be looked into by the Central Bureau of Investigation ; and

(b) whether any enquiry has since been made in the matter and, if so, the findings thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The required information is being collected and will be laid on the table of the House on receipt.

नागाओं द्वारा अतिक्रमण

1453. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागाओं द्वारा मोकाचुंग जिले में देंग्रोई वन में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) उन्हें खदेड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). नागालैण्ड सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार नागालैण्ड में मोकाचुंग जिले में देसोई वन में ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं है। किन्तु असम सरकार ने बताया है कि देसोई घाटी रक्षित वन में ऐसे अतिक्रमणों की रिपोर्टें मिली हैं और यह कि उस मामले पर विचार किया जा रहा है।

मैसूर सरकार के पदाधिकारियों की अन्तर्राज्यीय वरिष्ठता सूची

1454. **श्री से० ब० पाटिल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने राजस्व विभाग के उन पदाधिकारियों की अन्तर्राज्यीय वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की है जो विभिन्न राज्य से आये थे और जो 1 नवम्बर, 1956 को उन राज्यों में तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किये जाने के अधिकारी थे जहां से वे आये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि मैसूर सरकार अब उप-तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर पदोन्नत कर रही है और बम्बई क्षेत्र के अबल करकुनों को, तहसीलदार के पद पर, जिसके वे 1 नवम्बर, 1956 से पहले अपने राज्य में अधिकारी थे, पदोन्नत नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मैसूर सरकार को निदेश दिया है कि वह बम्बई क्षेत्र के करकुनों सहित, जो लोग 1 नवम्बर, 1956 को उप-तहसीलदार थे, उनकी एक अन्तर्राज्यीय वरिष्ठता सूची तैयार करे और यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस मामले में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). जी हां, श्रीमान्।

(ग) तथा (घ). भूतपूर्व बम्बई के अव्वल कारकुनों सहित 1 नवम्बर, 1956 को उप-तहसीलदारों की अन्तर्राज्यीय वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में राज्य सलाहकार समिति की सिफारिशें राज्य सरकार के परामर्श में विचाराधीन हैं।

मैसूर में कृष्ण नदी पर पुल

1455. **श्री से० ब० पाटिल** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में बीजापुर जिले के कोल्हार तथा कोर्टी स्थानों के राजपथ पर कृष्ण नदी पर पुल बनाने के बारे में योजनाएं और अनुमान प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर कब से कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). मैसूर राज्य के मुख्य इंजीनियर ने कोल्हार के पास कृष्णा नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण की लागत 1.35 करोड़ रुपये बताया। इस बीच अगस्त सन् 1968 में हुई बैठक में जिसमें राज्य प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, इस प्रस्ताव पर फिर से विचार किया गया था। उस बैठक में यह सहमति हुई कि इस काम को छोड़ दिया जाय और उसी कृष्णा नदी में कोल्हार से लगभग 26 मील दूर ऊपर की ओर गलगली पर दूसरे पुल का निर्माण करने के प्रश्न पर विचार किया जाय। राज्य सरकार ने भी अभी तक इसके लिए कोई अनुमान नहीं भेजा है।

कांस्टेबलों और हैडकांस्टेबलों के लिये वस्त्र-भत्ता

1456. **श्री शारदानन्द** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 20 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5270 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में गुप्तचर विभाग में प्रतिनियुक्त किये गये कांस्टेबलों और हैड-कांस्टेबलों को वस्त्र-भत्ते के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस धनराशि में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(ग) गुप्तचर विभाग में उक्त भत्ता किस तारीख से दिया जा रहा है और इस बारे में सरकार ने धनराशि में कुल कितनी वृद्धि की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) 48,046.37 रुपये।

(ख) गुप्तचर विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कांस्टेबल और हैड-कांस्टेबल क्रमशः 30.00 रुपये व 40.00 रु० वर्दी-भत्ता के अधिकारी हैं बशर्ते कि वे इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र दें कि वर्दी उस सारी अवधि में रखी गई है जिसके लिये वर्दी-भत्ता मांगा गया है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान धनराशि में वृद्धि नहीं की गई है क्योंकि उपरोक्त कर्मचारियों ने अपेक्षित प्रमाण-पत्र नहीं दिया है।

(ग) गुप्तचर विभाग में कार्य करने वाले कांस्टेबलों और हेड-कांस्टेबलों के लिये प्रतिनियुक्ति की युक्ति संगत शर्तें 1-3-1961 से लागू हो गई हैं। तब से सरकार द्वारा इस संबंध 60,333.57 रु० की वृद्धि कर दी गई है। इस तारीख से पहले अधिकारियों को ऐसे भत्तों का भुगतान सहयोग के आधार पर किया गया था।

राज्यों में अनुवाद विभाग

1457. **श्री रवि राय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने अनुवाद विभाग स्थापित कर लिये हैं ताकि पाठ्य पुस्तकों का अंग्रेजी से मातृभाषा में अनुवाद करने पर एक करोड़ रुपया खर्च किया जा सके ; और

(ख) इस बारे में राज्यवार विवरण क्या है और भारत सरकार इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि निर्धारित कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तामिलनाडु, केरल, मैसूर, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों ने विश्वविद्यालय की स्तर की पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य साहित्य निर्माण के लिए, जिसमें अनुवाद भी शामिल है, समितियां स्थापित की हैं। सूचना प्राप्त हुई है है कि उड़ीसा, महाराष्ट्र और पंजाब की राज्य सरकारें ऐसे बोर्ड गठित करने के लिये प्रयत्न कर रही हैं।

(ख) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को निम्नलिखित अनुदान दिये गये हैं :

क्रम-संख्या	राज्य सरकार का नाम	अनुदान की राशि रुपये
1.	राजस्थान	5,00,000.00
2.	बिहार	5,00,000.00
3.	उत्तर प्रदेश	2,00,000.00
4.	आन्ध्र प्रदेश	10,00,000.00
5.	हरियाणा	2,00,000.00
6.	मध्य प्रदेश	1,00,000.00
7.	तामिलनाडु	1,72,000.00
8.	मैसूर	5,00,000.00
9.	केरल	43,050.00
10.	पश्चिम बंगाल	32,778.00

ये अनुदान राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत किये गए हैं। उड़ीसा और असम सरकारों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। शेष राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। योजना की अवधि के लिए सभी राज्यों के वास्ते कुल 15 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है।

कोणार्क मन्दिर का विकास

1458. **श्री रवि राय :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोणार्क मन्दिर में स्थाई तौर पर तेज रोशनी लगाई जायेगी और मूर्तिकला का अवलोकन करने के लिये पर्यटकों के हेतु टेलिस्कोप की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस प्रकार के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ख) योजना में पर्यटन पर होने वाले परिव्यय का अनुमोदन हो जाने पर ही इस मामले में निर्णय किया जायेगा ।

भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी का पर्यटकों के लिए विकास

1459. **श्री रवि राय :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपने जनवरी के तीसरे सप्ताह में भुवनेश्वर का दौरा किया था और कहा था कि चौथी योजना के लिये नियोजित धनराशि को उड़ीसा के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र कोणार्क के विकास के लिये प्रयोग किया जायेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि उड़ीसा में स्वर्ण त्रिकोण, भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी का उचित तरीके से विकास किया जाता है तो वह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिये महत्वपूर्ण आकर्षण केन्द्र सिद्ध हो सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) योजना में पर्यटन पर होने वाले परिव्यय का अनुमोदन किये जाने के बाद स्कीमें राज्य सरकार के साथ समन्वयपूर्वक तैयार की जायेंगी ।

Obscene Journals Published from Agra

1460. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the obscene journals brought out from Agra wherein obscence pictures and concocted stories having immoral effect are published ; and

(b) the number and names of these obscene journals ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) According to information received from the Government of Uttar Pradesh, seven obscene journals named Azad Lok, Aaj ka Hangama, Andolan, Angdai Dunya ki Sair, Madhosh and Dil hi to hai, have come to the notice of the State Government, who directed the District Magistrate to get the issues of these journals regularly examined with a view to prosecuting the offenders under sections 292/293 IPC. A number of cases have already been started against the editors, printers and publishers of these magazines.

आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के एजेंसी क्षेत्रों में गिरिजन

1461. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के एजेंसी क्षेत्रों में रहने वाले गिरिजनों को किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्त्ता हिंसा और विद्रोह के लिये भड़का रहे हैं।

(ख) क्या यह भी सच है कि जनवरी, 1969 में बैतिली वन क्षेत्र में पुलिस और गिरिजनों के बीच कई बार झड़पें हुई हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन गिरिजनों के पास काफी बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला-बारूद है ;

(घ) क्या सरकार ने गिरिजनों में व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाने और अपने सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को उस क्षेत्र में भेजने का कोई प्रयत्न किया है, ताकि वे उन्हें समाज-विरोधी तथा राष्ट्र-विरोधी तत्वों के प्रभाव से बचा सकें ; और

(ङ) क्या उनके मंत्रालय के किसी उच्च अधिकारी ने उस क्षेत्र का दौरा किया है, ताकि मंत्रालय को एजेंसी क्षेत्र की सही स्थिति से अवगत कराया जा सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार साम्यवादी-उग्रवादी हिंसा तथा अराजकता फैलाने में गिरिजनों को नेतृत्व कर रहे हैं।

(ख) जनवरी, 1969 में पुलिस तथा गिरिजनों के बीच दो बार झड़पें हुई हैं।

(ग) जबकि गिरिजनों ने देसी बन्दूकों तथा बमों का प्रयोग किया है, राज्य सरकार के पास यह सूचना नहीं है कि उनके पास भारी मात्रा में शस्त्र तथा गोला-बारूद हैं।

(घ) राज्य सरकार ने स्थिति का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया है तथा वे श्रीकाकुलम के तथा अन्य जिलों के जन-जातीय क्षेत्रों में गिरिजनों तथा अन्य जन-जातियों के सामाजिक व आर्थिक विकास को तेज करने के लिए कोई उपायों को क्रियान्वित कर रहे हैं। 21 फरवरी, 1969 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 648 के दिये गये उत्तर की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ङ) 1968 के दौरान समाज-कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने श्रीकाकुलम क्षेत्र की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिये दौरा किया था ।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य सामाजिक अथवा रचनात्मक कार्यकलाप योजना

1462. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विश्वविद्यालयों के सभी विद्यार्थियों में क्रियान्विति के लिये अनिवार्य सामाजिक अथवा रचनात्मक कार्यकलाप निर्धारित करने वाली कोई योजना बनाने का है जिससे उनकी शक्तियों का आन्दोलन तथा विध्वंसात्मक प्रवृत्तियों से हटाया जा सके ; और

(ख) क्या सरकार ऐसा विधान अधिनियमित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के बारे में विचार करेगी जिससे विद्यार्थियों को राजनैतिक कार्यकलापों में भाग लेने से रोका जा सके ?

शिक्षा तथा सेवा युवक मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राय) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय सेवा दल कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय खेल-कूद संगठन कार्यक्रम बनाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा रचनात्मक कार्यकलाप तथा सामाजिक सेवा आ जाती है । इन कार्यक्रमों के ब्योरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । यह विचार है कि स्वैच्छिक तथा चयनात्मक आधार पर प्रायोगिक प्रायोजना के रूप में इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाए ।

(ख) जी नहीं ।

आर्थिक विकास के लिये विज्ञान का उपयोग

1463. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना आधारभूत कार्य है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अब तक क्या उपाय किये गये हैं अथवा इसके बाद करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन कार्यों में से है, जिनसे किसी देश के आर्थिक विकास की गति में तीव्रता आती है ।

(ख) विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं, लोकप्रिय वैज्ञानिक साहित्य को प्रकाशित करने के लिये, व्यक्तियों और संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना, स्कूल स्तर पर विज्ञान अध्यापन में सुधार करना, विज्ञान मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करना ।

महात्मा गांधी की मृत्यु का वास्तविक स्थान

1464. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि महात्मा गांधी की वास्तव में किस स्थान पर मृत्यु हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यायाधीश जी० डी० खोसला द्वारा अपनी पुस्तक "द मर्डर आफ महात्मा" में व्यक्त विचारों पर विचार किया गया था ;

(ग) मृत्यु के स्थान का निश्चय करने के बारे में और किस सामग्री पर विचार किया गया तथा उनसे क्या-क्या बातें मालूम हुईं ; और

(घ) यदि अब तक कोई निश्चय नहीं किया गया है तो क्या मृत्यु के वास्तविक स्थान का निश्चय करने के लिये कोई उपाय किये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (घ). 30 जनवरी, 1948 को तुगलक रोड पुलिस थाने में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस प्रकार व्यक्त किया गया है :

"महात्मा जी को उदर तथा छाती में गोलियां लगीं और खून बहने लगा महात्मा जी 'राम राम' का उच्चारण करते हुए भूमि पर गिर पड़े । हत्यारा पिस्तौल सहित घटनास्थल पर तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया था । फिर महात्मा जी को बेहोशी की हालत में बिरला भवन में उनके निवास-कमरे में ले जाया गया था । उसके तुरन्त बाद महात्मा जी का स्वर्गवास हो गया" न्यायालय के निष्कर्ष के लिये, महात्मा गांधी के मरने का वास्तविक स्थान यद्यपि एक विशिष्ट विषय नहीं था, किन्तु नत्थूराम गोडसे व दूसरों के परीक्षण के लिये विशेष न्यायाधीश के न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित टीका-टिप्पणी विद्यमान है :

"महात्मा गांधी 'हे राम' शब्दों का उच्चारण करते हुए भूमि पर गिर पड़े । उन्हें उठा लिया गया और बिरला भवन में उनके रहने के कमरे में ले जाया गया । किन्तु अपने कमरे तक ले जाने के बाद ही घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई ।"

तत्कालीन पूर्वी पंजाब प्रान्त के फैसले में इस प्रकार कहा गया है :

"महात्मा अपनी छाती में पिस्तौल के तीन घावों के कारण तथा होठों पर ऊंचे स्वर में 'हे राम' शब्दों के साथ भूमि पर गिर गये । उन्हें तुरन्त अपने कमरे में पहुंचाया गया किन्तु उनके लिये कोई मानव-उपचार व्यर्थ था, और सरलता, सेवा व बलिदान का लम्बा जीवन तुरन्त समाप्त हो गया ।"

समकालीन रिकार्डों से पता चलता है कि महात्मा जी प्रार्थना सभा में पिस्तौल की गोलियों से बुरी तरह घायल हुए और उन्हें उनके कमरे में लाया गया था जहां उनका स्वर्गवास हो गया । इस प्रकार सरकार ने इस मामले में कोई निश्चय नहीं किया है ।

अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली

1465. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक पर्यटक युगल के अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में ठहरने के अनुभव की ओर दिलाया गया है, जिसका ब्योरा 'मदर इंडिया' के जनवरी, 1969 के संस्करण में दिया गया है ; और

(ख) यदि, हां तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) होटल के प्रबन्ध और सेवा के स्तर में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं । होटल में खान-पान एवं भोजन सम्बन्धी और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने और आरक्षण, विलिंग तथा खाद्य एवं पेय पदार्थ विषयक नियंत्रण के लिये नयी प्रणालियों तथा विधियों को आरम्भ करने और नवीकरण के कुछ बड़े कार्यों को भी शुरू करने का प्रस्ताव है ।

Observance of Holiday on Gandhi Jayanti

1466. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the 2nd October has been declared public holiday on account of Gandhi Jayanti ;

(b) whether it is also a fact that the S. D. O. of Danapur in Patna (Bihar) held a special court on the 2nd October and cancelled the bail of a Member of Parliament and issued warrant of arrest against him on the ground that on the 25th and 26th September he took part in a demonstration before the office of Divisional Superintendent of North Eastern Railway at Danapur in protest against the order of suspension and dismissal of some Railway employees ;

(c) if so, whether the Bihar Government have taken or propose to take some action against the said S. D. O. for violating the orders of Government ;

(d) if not, the reasons therefor ; and

(e) whether the said Member of Parliament has been arrested again ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (e). Facts are being ascertained from the State Government.

Central School, Patna Town

1467. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Central School under the control of the Central Government is being run in Anisabad Mohalla of Patna Town (Bihar) ;

(b) if so, whether it is also a fact that Government propose to shift it to Kankarbagh colony of Patna.

(c) whether the land etc. has also been acquired there for this purpose; and

(d) if so, the reasons for delay in shifting the school ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir, land has been allotted by the Government of Bihar.

(d) The land has been allotted only during this month. The School will be shifted after the building has been constructed.

Night Flights at Patna Airport

1468. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that passengers desirous of undertaking air journeys at nights have to face difficulties as there are no arrangements for night flights at Patna airport ;

(b) if so, the reasons for not starting night service ;

(c) whether Government propose to introduce this Service at Patna ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (d). Night operations were not permissible at Patna because of the presence of unlighted obstructions in its vicinity as well as the roaming of blue bulls on the airfield, which represent flying hazards. Steps have been taken by the Civil Aviation Department to overcome these difficulties and aircraft will now be able to operate at night.

Indian Airlines have no proposals at present to operate scheduled services through Patna at night. They will, however, consider the feasibility of such a service when the need arises.

छात्रों पर भाषा सीखने का भार

1469. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार में छात्र को चार भाषायें सीखनी पड़ती हैं ;

(ख) क्या किसी अन्य राज्य में भी ऐसी स्थिति है ;

(ग) क्या यह जानने के लिये कोई अध्ययन किया गया है कि भाषाओं का भार बढ़ जाने से अन्य विषयों का स्तर नीचे गिर गया है और यदि अध्ययन नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या तीन भाषा और चार भाषा क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम वाले तथा क्षेत्रीय भाषा के माध्यम वाले स्कूलों में शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन किया गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या भाषाओं का भारी भार और क्षेत्रीय भाषाओं के कारण कुछ राज्यों में छात्रों को रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से हानि हो रही है ; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सलाहकार बोर्डों के लिये कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों के नाम-निर्देशन

1470. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा निदेश है कि कांग्रेस को छोड़कर अन्य राजनैतिक दलों के सदस्य का नाम निर्देशन समाज कल्याण, शिक्षा तथा अन्य विकासकारी विभागों के तथा सलाहकार बोर्ड तथा समितियों में न किया जाये ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कारण है कि राष्ट्रीय स्तर के निकायों में गैर-कांग्रेसी दलों का कोई भी सदस्य नहीं है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हां' हो तो ऐसे बोर्डों/समितियों में गैर-कांग्रेसी सदस्यों की संख्या कितनी है और वे कितने प्रतिशत हैं ; और

(घ) क्या सरकार संसदीय प्रथा के अनुसार इस आशय के आदेश देगी कि सभी स्तरों पर ऐसे निकायों में सदस्यों का नाम-निर्देशन प्रत्येक स्तर पर दलों की शक्ति के अनुपात से किया जाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में ऐसे कोई निदेश नहीं दिये गये हैं कि सलाहकार मण्डलों और सलाहकार समितियों में गैर-सरकारी अधिकारी की नियुक्ति राजनैतिक दलों या किसी विशेष राजनैतिक दल के व्यक्तियों की होनी चाहिये । ऐसी संस्थाओं का गठन या तो सम्बन्धित कानून या कार्यकारी कार्यवाही द्वारा किया जाता है । इन संस्थाओं के गैर-सरकारी सदस्यों का चयन कानून की किसी अपेक्षा के अधीन, एक विशिष्ट व्यक्ति की इच्छा, मत तथा अंशदान को देखते हुये किया जाता है, जिससे बोर्ड या समिति के उद्देश्यों को बढ़ावा दिया जा सके । सम्बन्धित व्यक्तियों की राजनैतिक सम्बद्धता को उनकी नियुक्ति करते समय न तो मालूम ही की जाती है, न ही उसका ध्यान रखा जाता है । अतः सरकार के पास यह सूचना नहीं है कि कितने कांग्रेसी या गैर-कांग्रेसी सदस्य ऐसे बोर्डों और समितियों का कार्य कर रहे हैं । चूंकि राजनैतिक सम्बद्धता

नाम निर्देशन का आधार नहीं है अत: विभिन्न दलों के सदस्यों के लिये कोई अनुपात नियत करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गंगा संगम मेला में वाष्पचालित नौका दुर्घटना

1471. **श्री भगवान दास** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष गंगा-संगम मेले में एक वाष्पचालित नौका कई तीर्थ यात्रियों सहित डूब गई थी ;

(ख) इस दुर्घटना में डूबे लोगों की निश्चित संख्या कितनी थी ; और

(ग) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसद् कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित हो गये हैं उनके अलावा दूसरे जलमार्गों पर अन्तर्देशीय जल परिवहन राज्य सरकारों की जुम्मेवारी है । पश्चिमी बंगाल सरकार जो मामले से सम्बन्धित है सूचित किया है कि मामले तथ्यों की औपचारिक जांच करने के लिये अन्तर्देशीय वाष्प पोत अधिनियम 1917 के अन्तर्गत एक विशेष अदालत का गठन किया गया है ।

कोरिया, क्यूबा और उत्तर वियतनाम से सांस्कृतिक मंडलियों का आदान-प्रदान

1472. **श्री भगवान दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य, क्यूबा, उत्तर वियतनाम आदि देशों की सरकारों के साथ सांस्कृतिक मंडलियों में आदान-प्रदान के लिये कोई समझौता किया हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे समझौतों के अन्तर्गत सांस्कृतिक मंडलियों की यात्राओं का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कोरिया जन-गणराज्य, क्यूबा अथवा उत्तरी बियतनाम के साथ फिलहाल कोई सांस्कृतिक करार नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सांस्कृतिक दल के कार्यक्रम के लिये आमंत्रित व्यक्ति

1473. **श्री सत्यनारायण सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हाल ही में रूसी, चैकोस्लोवाकी और यूगोस्लावी सांस्कृतिक मंडलियों द्वारा पत्रकार समीक्षाओं हेतु प्रस्तुत किये गये कार्यक्रमों में बुलाये गये समाचार-पत्र प्रतिनिधियों और अन्य व्यक्तियों का ब्योरा क्या है ;

(ख) इन मंडलियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों तथा पत्रकार समीक्षाओं के लिये सरकार द्वारा कितने तथा किन-किन व्यक्तियों को सम्मानार्थ पास जारी किये गये ; और

(ग) उपरोक्त मंडलियों द्वारा आयोजित किये गये कार्यक्रमों के लिये व्यक्तियों को कसौटी पर सम्मानार्थ पास दिये गये ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). सोवियत रूस, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लोविया के विदेशी दलों द्वारा किये गये प्रेस-पूर्वदर्शन कार्यक्रमों के लिये प्रेस सूचना ब्यूरो के जरिये दिल्ली के समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों को निमंत्रण-पत्र भेजे गये थे ताकि कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार हो सके। इन दौरों के आयोजन से सम्बद्ध विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी कुछ निमंत्रण-पत्र भेजे गये थे। प्रेस-पूर्वदर्शन कार्यक्रम में केवल कुछ चुना हुआ कार्यक्रम होता है न कि सम्पूर्ण कार्यक्रम।

सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिये कुछ निमंत्रण-पत्र दूतावास द्वारा जारी किये जाते हैं, जिन्हें इकट्ठे स्थान दे दिये जाते हैं, कुछ निमंत्रण-पत्र विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किये जाते हैं जिसे भी इकट्ठे स्थान दिये जाते हैं, और कुछ निश्चित सीमा तक शिक्षा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को निमंत्रण-पत्र भेजे जाते हैं।

मानार्थ जारी किये जाने वाले पासों की संख्या का निर्धारण ऐसे प्रदर्शनों के लिये टिकटों की बिक्री के प्रति जनता की रुचि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अवसर पर अलग-अलग रूप से किया जाता है। इन प्रदर्शनों के लिये सभी आमंत्रितों के नाम देना संभव नहीं है क्योंकि निमंत्रण-पत्र नाम के बगैर इकट्ठे स्थानों के लिये जारी किये जाते हैं।

विदेशों से सांस्कृतिक मंडलियां

1474. **श्री सत्यनारायण सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चैकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया तथा रूस आदि देशों से जो सांस्कृतिक मंडलियां हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में भारत आई थीं, क्या वे किसी सांस्कृतिक करार के अन्तर्गत आयी थीं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

(ग) देश में राज्यवार प्रत्येक मंडली द्वारा कितने शो किये गये ;

(घ) प्रत्येक शो पर टिकटों की बिक्री से कितनी आय हुई, तथा उस पर कितना व्यय हुआ ; और

(ङ) विभिन्न शीर्षों के अधीन आय का निपटान किस प्रकार किया गया ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) इन तीनों देशों में से प्रत्येक के साथ हुए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अधीन, इन देशों से सांस्कृतिक मण्डलियों ने भारत का दौरा किया था ।

(ख) भारत-चेक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम 1968—70 की मद संख्या 50 के अधीन, बालूस्ट्रेड पर 16 सदस्यीय मूक अभिनय ग्रुप फियालका थियेटर ने 13 दिसम्बर, और 30 दिसम्बर, के बीच भारत का दौरा किया था ।

भारत-यूगोस्लाव सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम 1968-69 के मद संख्या 22 के अधीन, क्रेशियन नेशनल थियेटर, जाग्रेब के 14 सदस्यीय बैले एनसेम्बिल ने 5 जनवरी और 21 जनवरी, 1969 के बीच भारत का दौरा किया था ।

भारत-सोवियत सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम 1968-69 के मद संख्या 65 के अधीन, सोवियत रूस के तातार स्वायत्तशासी गणतंत्र के सांस्कृतिक मंत्री महामहिम श्री बी० एम० गिजातुल्लिन की अध्यक्षता में "सोवियत संघ के लोक-नृत्य" के 26 सदस्यीय दल ने, 18 नवम्बर और 13 दिसम्बर, 1968 के बीच भारत का दौरा किया था ।

(ग) इन अभिनेता-दलों में से प्रत्येक ने, निम्नलिखित नाटकों का देश में अभिनय किया था :—

(I) **"फियालका थियेटर आन दी बालूस्ट्रेड, प्राग (चेकोस्लोवाकिया)"**

दिल्ली— (i) एक प्रेस पूर्व अभिनय
(ii) तीन अभिनय जनता के लिये

मद्रास— (i) एक प्रेस पूर्व अभिनय
(ii) तीन अभिनय जनता के लिये

बम्बई— तीन अभिनय जनता के लिये

(II) **"बेलेट एनसेम्बिल आफ दी क्रोशियन नेशनल थियेटर, जाग्रेब (यूगोस्लाविया)"**

बम्बई— तीन अभिनय जनता के लिये

हैदराबाद— दो अभिनय जनता के लिये

दिल्ली— (i) एक प्रेस पूर्व अभिनय
(ii) तीन अभिनय जनता के लिये
(iii) राष्ट्रपति भवन में एक विशेष अभिनय

(III) **"सोवियत संघ के लोकनृत्य"**

कलकत्ता— दो अभिनय जनता के लिये

मद्रास— तीन अभिनय जनता के लिये

हैदराबाद—(i) एक प्रेस पूर्व अभिनय तथा विशेष शो
(ii) दो अभिनय जनता के लिये

बम्बई— तीन अभिनय जनता के लिये

दिल्ली— (i) एक प्रेस के लिये पूर्व अभिनय
(ii) तीन अभिनय जनता के लिये
(iii) राष्ट्रपति भवन में एक विशेष अभिनय

(घ) टिकट बेचने से आमदनी, तीनों विदेशी मण्डलियों द्वारा किये गये प्रदर्शन पर खर्च इस प्रकार है :—

(I) **"बालूस्ट्रेड पर फियालका थियेटर" प्राग, (चेकोस्लोवाकिया)"**

टिकटों की बिक्री	——	13,690.00 रुपये
प्रदर्शन पर खर्च	——	14,525.47 रुपये

(II) **"क्रोशियन नेशनल थियेटर बैले एनसेम्बिल, जाग्रेब (यूगोस्लाविया)"**

टिकटों की बिक्री	——	23,962.00 रुपये
प्रदर्शन पर खर्च	——	9,582.41 रुपये

(III) **"सोवियत संघ के लोक-नृत्य"**

टिकटों की बिक्री	——	39,774.00 रुपये
प्रदर्शन पर खर्च	——	29,076.59 रुपये

(ङ) टिकटों और पुस्तिकाओं की बिक्री के फलस्वरूप आय को नियम के रूप में केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में जमा कर दिया जाता है।

गांव का चौकीदार

1475. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गांवों के चौकीदारों को कितना-कितना वेतन दिया जाता है ;

(ख) क्या लगातार बढ़ते हुए निर्वाह-खर्च को तथा मनीपुर के गांवों के चौकीदारों के बहुत कम वेतन को देखते हुए सरकार का क्या उनके वेतन में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) क्या मनीपुर की सरकार ने भी उनके वेतन में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार गांव के चौकीदारों को दिया गया वेतन अनुबन्ध में सारणीबद्ध कर दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 174/69]**

(ख) और (ग). मामला मनीपुर सरकार के विचाराधीन है।

मनीपुर स्कूलों में चौकीदार

1476. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर सरकार के एल० पी० एम० ई० तथा यू० जे० बी० स्कूलों में चौकीदार हैं जिन्हें केवल 3 रुपये प्रति माह दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उनके साथ इस प्रकार अपमानजनक व्यवहार किये जाने का क्या कारण है ;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो चौकीदारों को कितना वेतन मिलता है ;

(घ) यदि उक्त वर्ग के स्कूलों में कोई चौकीदार नहीं है तो इन स्कूलों में चौकीदारी का काम कौन करता है ;

(ङ) यदि भाग (क) का उत्तर हां में है, तो क्या मनीपुर सरकार का विचार उनके वेतन का पुनरीक्षण करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और कुछ समय में सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Kidnapping of a Student from Paharganj, New Delhi

1477. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a report was made regarding the kidnapping of a 10 years old student, Naresh Kumar, son of Shri Ramji Lal, resident of Gali Ram Nath Patwa, Pahar Ganj, New Delhi on the 29th June, 1968 ;

(b) if so, the action taken by the police and other Government agencies in this regard and whether the child has been traced ;

(c) whether the Member of Lok Sabha representing this area as well as the Chief Whip in Delhi Metropolitan Council, wrote to Government and the Police in this regard and whether Government gave them any satisfactory reply thereto and, if not, the reasons for the delay ;

(d) the reasons for not arresting and interrogating the suspects so far ; and

(e) the action proposed to be taken to trace the child early and when such action would be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Delhi Police received a report in this connection on 30th June, 1968.

(b) to (e). The disappearance of the boy was given wide publicity by announcement over the All-India Radio and through the daily bulletin of the Delhi Police. Wireless massages were sent to other States giving the discription of the missing boy. The details of the boy with the photograph was published in the Criminal Intelligence Gazette for circulation all over India, Officers of Crime Branch were also sent to various places outside Delhi in search of the missing boy. The suspected persons were interrogated. A case u/s 363 IPC has been registered by Delhi Police and is under investigation.

Shri Kanwar Lal Gupta, M. P. wrote to Inspector General of Police, Delhi on the subject and also forwarded the representation from Shri Ramji Lal regarding the alleged kidnapping of his son to him. A reply on the subject was sent by the Inspector General of Police to Shri Kanwar Lal Gupta, M. P.

अमरीकी पर्यटक

1478. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में 1967 की तुलना में 1968 में कम अमरीकी यात्री आये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अमरीकी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) यदि नहीं तो वर्ष 1967 और 1968 में भारत में अमरीका से कितने-कितने यात्री आये और उनसे उक्त वर्षों में कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ; और

(घ) भारत के किन-किन स्थानों को अमरीकी पर्यटकों ने सबसे अधिक देखा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). 1967 और 1968 में अमेरिका के देशों से भारत में आने वाले पर्यटकों के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

राष्ट्रिकता का देश	1967	1968	प्रतिशत कमी/वृद्धि
यू० एस० ए०	43,041	41,741	— 3.0
कनाडा	3,001	3,553	+18.4
दक्षिण अमेरिका	1,870	2,404	+28.6

यू० एस० ए० से आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी के कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। सरकार ने वहां से पर्यटकों को और अधिक संख्या में आकृष्ट करने के लिये इस देश में प्रचार और अभिवृद्धि विषयक प्रयत्नों को और अधिक बढ़ा दिया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत में पर्यटक सुविधाओं में सुधार और वृद्धि करने के लिए स्कीमें चालू करने का भी प्रस्ताव है।

पर्यटकों से उपार्जित विदेशी मुद्रा की राष्ट्रिकता-अनुसार आंकड़े, तथा विदेशी पर्यटकों द्वारा देखे गये अलग-अलग स्थानों के आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

दरभंगा जिले में सड़कों का विकास

1479. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में दरभंगा जिले में सड़कों का विकास करने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद् कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). राज्य में राष्ट्रीय राज मार्गों के अलावा दूसरी सड़कों का विकास राज्य सरकार की जुम्मेवारी है। जहां तक दरभंगा से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के टुकड़े का संबंध है इसका पूरा विकास दो गली के यातायात के लिये कर लिया गया है और इस समय और विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय सरकार, अपितु मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीच एक संपर्क सड़क बना रही है इसका एक टुकड़ा जिला दरभंगा में पड़ता है। इसके पूरे व्यय का वहन केन्द्रीय सरकार कर रही है और मार्च 1971 तक पूरा होने की आशा है।

नेफा में सीमा सुरक्षा बल

1480. **श्री शं० ना० माइती** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में सीमा सुरक्षा बल कार्य कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी गतिविधियों का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मनीपुर में संगीत नाटक अकादमी

1481. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर से राज्य संगीत नाटक अकादमी की स्थापना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को मनीपुर सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). मनीपुर में राज्य संगीत नाटक अकादमी की स्थापना के सम्बन्ध में मनीपुर प्रशासन की सिफारिशें अभी-अभी मिली हैं और इस मामले की जांच की जा रही है ।

मनीपुर प्राथमिक स्कूलों के गैर-मैट्रिक अप्रशिक्षित अध्यापक

1482. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री 26 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1293 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाग (क) का उत्तर भूतपूर्व मनीपुर क्षेत्रीय परिषद् के दिनांक 14/15 जनवरी, 1963 के पत्र संख्या 7/5/61-टी० इ० डी० के अनुसार नहीं है मुख्यत: उसके अनुच्छेद दो के अनुसार नहीं है मुख्यत: जिसमें यह व्यवस्था है कि अप्रशिक्षित गैर-मैट्रिक अध्यापकों को जिनकी सेवा 1 जनवरी, 1959 को 20 वर्ष हो गई है प्रशिक्षण से छूट दी जायेगी और उनकी 20 वर्ष की सेवा होते ही उन्हें प्रशिक्षित अध्यापकों का वेतनमान दिया जायेगा;

(ख) उपरोक्त प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित मामले की जांच सरकार ने पूरी कर ली है;

(ग) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला; और

(घ) क्या सरकार ने क्षेत्रीय परिषद् के इस निर्णय को गैर-मैट्रिक अप्रशिक्षित अध्यापकों पर भी लागू करने पर विचार किया है जिसे उन्हें समान लाभ प्राप्त हो जायें ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) मामले की जांच की जा रही है ।

(ख) से (घ). मामला अभी तक विचाराधीन है ।

मनीपुर में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल

1483. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में कितने मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है और वे मामले किन-किन विभागों से सम्बन्धित हैं; और

(ख) उन मामलों में जांच-पड़ताल की प्रगति का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मनीपुर में केन्द्रीय जांच ब्यूरो छः मामलों की जांच-पड़ताल कर रही है । इनमें से तीन सार्वजनिक निर्माण विभाग के, दो शिक्षा विभाग के और एक पुलिस विभाग (होम गार्ड) के हैं ।

(ख) दो मामलों की, एक सार्वजनिक निर्माण विभाग का तथा एक शिक्षा विभाग की जांच पूरी हो चुकी है और इन मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का अन्तिम प्रतिवेदन तैयार हो रहा है । शेष चार मामलों की अभी जांच हो रही है ।

Mizo Rebels

1484. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 200 Pakistan-trained Mizo rebels armed with automatic weopons, had attacked the Central Reserve Police posts at Tripuibari and Malidharthom in Tripura in January, 1969;

(b) if so, the number of casualties on both sides;

(c) the details of the weapons, if any, seized from the rebels; and

(d) the action taken by Government to prevent Mizo rebels and other local Adivasi people from going to East Pakistan and returning from there after receiving training and weapons?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). A gang of hostiles suspected to be from East Pakistan attempted to attack and surrounded Tulpaibari post on the night of 22nd Jannuary, 1969. The CRP post opened fire and the hostiles ran away. There was no casualty. On the morning of 23rd January, 1969, hostiles were detected approaching Malidharthom. Later the gang was seen moving towards East Pakistan border.

(d) Vigilance has been intensified with a view to prevent illicit traffic across the borders.

हरसांग गांव में आग लगने की घटना (नेफा)

1485. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत जनवरी में नेफा के सबांसिरी उपमंडल में हरसांग नामक एक बड़ा गांव जलकर बिल्कुल राख हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी क्षति हुई और आग लगने का कारण क्या था; और

(ग) प्रभावित लोगों को क्या राहत दी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सबांसिरी जिला (नेफा) में गांव हांग (न कि हरसांग) में 18 जनवरी, 1969 को आग लगी थी।

(ख) यह आग एक मकान के भीतर के एक चूल्हे की चिंगारियों के कारण अचानक लगी थी। कांस तथा छप्पर की बनी लगभग 300 इमारतें जल कर राख हो गईं। आग से कुल 20,000 रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया गया। जान की कोई क्षति नहीं हुई।

(ग) नेफा प्रशासन ने अग्नि-पीड़ितों को राशन तथा कपड़ों इत्यादि के रूप में निःशुल्क राहत देने के लिए तुरन्त 3,000 रुपये की स्वीकृति दी थी। सामूहिक प्रयास के द्वारा ग्रामवासियों ने पहले ही मकानों को फिर से बना लिया है।

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली/नई दिल्ली में यातायात व्यवस्था

1486. **श्री सत्यनारायण सिंह** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली की कुछ महत्वपूर्ण सड़कें, जिनमें सार्वजनिक भवनों पर गणतंत्र दिवस समारोह के संदर्भ में रोशनी की गई थी 26 जनवरी से 29 जनवरी, 1969 तक शाम के 6 बजे से 11 बजे तक के लिये गैर-सरकारी मोटर-गाड़ियों को छोड़कर शेष सभी मोटर गाड़ियों के लिये बन्द कर दी गई थीं;

(ख) क्या यह सच है कि इस कार्यवाही के फलस्वरूप दिल्ली में प्रतिदिन आने वाले यात्रियों को बहुत कठिनाई तथा परेशानी उठानी पड़ी; क्योंकि उनमें से अनेक लोगों को इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत आने वाली सीमाओं से बाहर बस के निकटतम अड्डे पर पहुंचने के लिये कुछ मील पैदल चलना पड़ा था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). राजपथ के चारों ओर क्षेत्रों में सरकारी भवनों पर रोशनी भारी भीड़ को आकर्षित करती है । सुचारू रूप से यातायात के चलने व इन क्षेत्रों में गाड़ियों की भीड़-भाड़ को कम करने की दृष्टि से भारी गाड़ियों तथा धीमी चलने वाली गाड़ियों को रोकने के लिये प्रतिबन्ध लगाने आवश्यक समझे गये थे । बसों को निकटतम स्थानों तक, जैसे नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, अशोक रोड तथा कनाट प्लेस तक आने दिया गया था । इन प्रतिबन्धों में 28 व 29 जनवरी को जब भीड़ हलकी हो गई थी, ढील दे दी गई थी ।

Arrest of Spy in Kashmir

1487. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an officer had been arrested by the police on the charge of espionage in Jammu and Kashmir border area in January, 1969 ;

(b) whether it is also a fact that certain objectionable documents were recovered from his possession ; and

(c) whether the person arrested is an employee of the Central Government or of the State Government and the action taken against him ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Information is awaited from the Government of Jammu and Kashmir.

Anti-Republic Demonstrations in Imphal

1488. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain persons were arrested in Imphal on the 26th January, 1969 as they were demonstrating against the declarations of the Republic Day ; and

(b) if so, the reasons for such a demonstration, the number of persons arrested and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). On 26th January, 1969, 14 students were demonstrating at Imphal, holding black flags demanding statehood for Manipur. It was apprehended that they would obstruct people from proceeding to see the Republic Day parade. They were taken into custody with a view to prevent the commission of Offences. Thirteen of them were released on the same day and the remaining one on the next day.

पर्यटन के विकास के लिये पश्चिम जर्मनी द्वारा सहायता

1489. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी की सरकार ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने पश्चिम जर्मनी की सरकार द्वारा की गयी सहायता की पेशकश को स्वीकार कर लिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). सरकार भारत में पर्यटन विकास के लिए पश्चिम जर्मनी की सरकार के साथ सहयोग के लिए कुछ प्रस्ताव तैयार कर रही है । मामले पर अभी बातचीत चल रही है ।

भारत में तीसरे साम्यवादी दल का गठन

1490. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में तीसरे साम्यवादी दल की विद्यमानता तथा देश में उसकी गतिविधियों के बारे में 6 जनवरी, 1969 को 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). कोई ऐसी सूचना नहीं है कि देश में तीसरे साम्यवादी दल का निर्माण हुआ है । तथापि बताया जाता है कि उग्रवादियों ने एक अखिल भारतीय समन्वय समिति का निर्माण किया है । उग्रवादियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

अवमान सम्बन्धी कानून

1491. **श्री बलराज मधोक :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री रणजीत सिंह :**
श्री वेणी शंकर शर्मा : **श्री विभूति मिश्र :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवमान सम्बन्धी कानून न केवल अपरिभाषित है अपितु मनमाना भी है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी परिभाषा करने के हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). न्यायालयों का अवमान विधेयक, 1968, जो न्यायालयों के अवमान प्रस्तुत करने के कुछ न्यायालयों के अधिकारों को परिभाषित तथा सीमित करना चाहता है, 29-2-69 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था तथा यह अब एक संयुक्त समिति के विचाराधीन है जिसमें संसद् के दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं ।

इसराइल के प्रधान मंत्री का निधन
DEMISE OF THE PRIME MINISTER OF ISRAEL

श्री रंगा (श्रीकाकुलम्) : महोदय, मैं आपका तथा इस सभा का ध्यान इसराईल के प्रधान मंत्री के दुखद निधन की ओर दिलाना चाहता हूं । हम सबको इसका गहरा दुख है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कच्चातीवू विवाद

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, I call the attention of Hon. Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to give a statement thereon :—

> "the reports appeared in the newspapers that India has agreed to refer for arbitration the dispute on Kachchativu with Ceylon."

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : कच्चातीवू का मामला दोनों प्रधान मंत्रियों की बातचीत में, जो दिसम्बर, 1968 में हुई थी, उठाया गया था । दोनों प्रधान मंत्री इस पर सहमत थे कि वे दोनों देशों के निकट और मैत्रीय सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुये कच्चातीवू का मामला वाहमी बातचीत के द्वारा सहयोग की भावना में तय होना चाहिये । दोनों देशों के अफसरान के बीच इस मामले में बातचीत दोनों प्रधान मंत्रियों की सहमति के अनुसार हुई ।

भारत सरकार को विश्वास है कि यह मामला वाहमी बातचीत के द्वारा तय हो जायेगा और आर्बिट्रेशन का सवाल नहीं उठता ।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, I hope that the Prime Minister would have read the news published in newspapers. I think it is the duty of the Foreign Minister of a country to contradict the statement of any other country which is detrimental to his country's interest. I want to draw the attention of the House to an UNI news published in the newspapers of 24th February. It was written in the newspapers that the officials of the Ministries of Defence and External Affairs here refused to confirm or deny a report in the Sinhalese daily **Lankadipa** yesterday that Ceylon and India had agreed to refer the Kachchativu issue to international arbitration. The paper claimed that the Premier Dudley Senanayake made the request for arbitration during his visit to New Delhi last year. It added that the request was prompted by Ceylon's confidence that its claim to the island was supported by a wealth of historical and documentary evidence.

अध्यक्ष महोदय : अब तो उन्होंने इन्कार कर दिया है ।

Shri George Fernandes : He has not denied it even now. My allegation against Hon. Minister is that he should have given a statement just on the receipt of that news report so that no body could have any misunderstanding regarding Indian territory. This matter has been before this House since last one year. This matter has been raised many times and when it was raised last it was said that it had been settled. Now after the expiry of two or three months of the talks between the Prime Minister of India and Ceylon this news had appeared in the Press and neither the Foreign Minister nor the Defence Minister was prepared to deny it. So I want to ask two or three questions in this regard. My first question is whether it is not a fact that Premier Dudley Senanayake made a request for arbitration ? My second question is whether the Government of India wants to divide Palk Strait and the Gulf of Munnar in such a way that Kachchativu Island is given to Ceylon ? Thirdly, I want to know whether Government have any doubts about Kachchativu Island being Indian territory and if they have no doubts about it why they are not telling to Ceylon that it is our territory and Kachchativu issue is solved ?

Shri Dinesh Singh : The Kachchativu issue was raised in this House and some Hon. Members expressed their opinion regarding this issue. The consensus of the House about this issue was that in views of the close and cordial ties between the two countries, this issue should be resolved by bilateral discussions in a spirit of cooperation. Keeping that in view we are having discussions with Government of Ceylon. The Prime Minister of Ceylon had since visited India and this matter was discussed with him when he was here. A joint communique was also issued in which a reference was made to this matter. I would like to read an extract from that communique, which say, "The Prime Ministers exchanged views on matters of common interest in the Palk Bay and Gulf of Munnar including territorial waters, delineation of the median line, fishing rights and sovereignty of Kachchativu." All these matters are still under discussion by both the countries. When the Prime Minister of Ceylon was going to London to attend the Commonwealth Prime Ministers Conference, it was clarified by him in Karachi in reply to question that this matter would be solved by bilateral talks between the two countries. I do not think any necessity of raising this matter here. I want to assure the House that we are trying to solve these matters and any agreement is reached, the House would

be apprised of the position. I think that it is not in public interest to tell as to at what stage these matters are at present. So I would request the Hon. Members to allow the Government to continue their efforts to settle these disputes. This House will have a full opportunity to consider them whenever any agreement is reached.

Shri George Fernandes: I have asked pointed question. My first question was whether the Prime Minister of Ceylon made to request to refer the Kachchativu Issue to an international arbitration? My second question was whether Government wanted to give Kachchativu to Ceylon by delineating Palk Bay and Gulf of Munnar? My third question was whether Government had any doubt about Kachchativu being Indian territory.

Shri Dinesh Singh: So far as his first question is concerned many things were said when this matter was discussed by the two Prime Ministers. It is not proper for me to give the details of their discussion. But there was no clear suggestion that the matter be referred to arbitration. The issue is to be solved by the two countries.

So far as the question of Kachchativu Island being an Indian territory is concerned, we have no doubt about our propriety. But I am unable to predict about its future. It is to be decided by the House.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : सरकार कच्चातीवू विवाद को मध्यस्थ निर्णय को सौंपने को सहमत नहीं हुई है । यदि सरकार इस बारे में पहले से सतर्क रहती तो यह विवाद ही खड़ा न होता । मद्रास सरकार के पास इस प्रकार के अभिलेख हैं कि इस द्वीप पर रामनाड के राजा का अधिकार था तथा वह वहां से कर वसूल किया करता था । क्या सरकार इस मामले में मद्रास सरकार की सहायता प्राप्त करेगी और वह अभिलेख प्राप्त करेगी तथा श्रीलंका सरकार से कहेगी कि यह द्वीप भारत का है और इस मामले को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने जिन बातों का उल्लेख किया है, उनकी हमें जानकारी है । परन्तु यह मामला बहुत पुराना है और वर्ष 1830 से चल रहा है ।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi): In addition to the news report referred to by Shri George Fernandes there was another news published from Karanchi in which it was said that the Ceylonese Prime Minister Dudley Senanayake said there that the Kachchativu Island had been settled between Ceylon and India. He told newsmen at Karanchi Airport where he stayed for an hour on way from Colombo to London that the issue would not be taken up at the Commonwealth Prime Ministers' Conference. So this dispute had been settled according to him. Now the Foreign Minister says that the matter is under negotiation. There is another news according to which both the Governments have agreed to refer this dispute to international arbitration. There was a news one year before that the Ceylon Government had sent their police, Customs officers and navy on Kachchativu Island and the fair which was held in March was organised by Ceylon. So I want to know under whose occupation that Island is at present? Whether it is occupied by Ceylon or by India? Secondly, I want to know whether the fair which will be held in March will be organised by Ceylon or by India?

Shri Dinesh Singh: So far as the Statement of the Prime Minister of Ceylon in Karanchi is concerned I have already clarified the position in this House two days ago. There is no need to repeat that.

So far as the question of the occupation of Kachchativu is concerned, it is under no body's occupation. No body lives on that Island. So the question of occupation does not arise.

So far as the question of fair is concerned as to by whom it should be organised, the matter is under negotiation by both the Governments and it will be decided by bilateral talks.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : In reply to Shri George Fernandes's question the Hon. Minister has stated that he has no doubt about ownership rights of India on Kachchativu. If that is so why the Ceylonese officers and the Ceylon helicopter were allowed to come there at the occasion of Saint Anthony's fair last year. While talking about Katch the Hon. Deputy Prime Minister had stated last year that the Government had a very bitter experience in referring the disputes to international arbitrations. So I want an assurance from the Hon. Foreign Minister that the Kachchativu issue will not be referred to international arbitration at least by 1972, because their Government is not likely to survive after 1972.

Shri Dinesh Singh : The Hon. Minister has asked for assurance by 1972, I want to assure him that we have no intention to refer this issue to arbitration even after that.

Shri Madhu Limaye : I have asked a pointed question. When the Government had no doubt about the sovereignty of India on Kachchativu, then why the Ceylonese officers and their helicopter was allowed to come there.

Shri Dinesh Singh : This matter had already been discussed in this House in detail. So far as the question of our sovereignty over Kachchativu is concerned we have no doubt about that. But similarly, Ceylon also claims sovereignty over that Island and that is why negotiations ase going on. We have no doubt about our sovereignty, but the future arrangements of this Island are to be decided in consultation with Ceylone so that they may have no complaints. So unless the dispute is finally settled I am unable to say anything definite.

अध्यक्ष महोदय : तब तक आप हेलीकोप्टर वाले प्रश्न का उत्तर तो दे सकते हैं ।

श्री दिनेश सिंह : उस पर सभा में पहले ही सविस्तार चर्चा की जा चुकी है । यदि आप चाहें तो मैं उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख सकता हूं ।

***श्री जे० एच० पटेल** (शिमोगा) : इस सरकार ने चीन के साथ अच्छे पड़ोसी जैसे सम्बन्ध कायम रखने के लिये उसे 18,000 वर्ग मील भारतीय भूमि सौंप दी है , पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध रखने के लिये कच्छ पंचाट के अन्तर्गत उसे 350 वर्ग मील भारतीय भूमि सौंप दी है और अब लंका के साथ अच्छे सम्बन्ध रखने के लिये कच्चातीवू के बारे में उससे बातचीत कर रही है । राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद जिसके द्वारा भारतीय जल सीमा को छः मील से बढ़ाकर 12 मील किया गया है, कच्चतीवू भारतीय संघ का अविभाज्य अंग है । उसके बारे में कोई बातचीत नहीं होनी चाहिये । सरकार स्पष्ट शब्दों में श्रीलंका से यह क्यों नहीं कह देती कि यदि कच्चातीवू पर उन्होंने अधिकारी अथवा हैलीकोप्टर भेजने का प्रयास किया, तो हम अपनी सेना वहां तैनात कर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है ।

---

*मूल कन्नड़ में ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : महोदय, क्या किसी माननीय सदस्य को जो अंग्रेजी जानता है, पहले अपनी भाषा में बोलने तथा बाद में उसका अंग्रेजी में अनुवाद करने की मनुमति दी जा सकती है । यदि ऐसा है तो मैं पहले आसामी में बोलूंगा, फिर बाद में उसका अंग्रेजी में अनुवाद करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यदि प्रत्येक सदस्य पहले अपनी मातृ-भाषा में बोलेगा और फिर उसका हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवाद करेगा, तो इससे उसे दुगना समय लगेगा और सभा का बहुमूल्य समय बर्बाद होगा ।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है मंत्री महोदय ने उसका उत्तर दे दिया है। माननीय सदस्य का प्रश्न यह था कि क्या कच्चातीवू पर बातचीत हो सकती है और यदि नहीं तो उस पर बातचीत क्यों की जा रही है । माननीय मंत्री का कहना है कि वह कच्चातीवू को अपना मानते हैं, परन्तु उसी तरीके से श्रीलंका भी उसे अपना मानता है । इसलिये इस समस्या को सुलझाने के लिये बातचीत की जा रही है ।

श्री जे० एच० पटेल : मेरा प्रश्न यह था कि क्या वह भारत की जल सीमा में है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर भी दिया जा चुका है । हम उसे अपना मानते हैं और श्रीलंका उसे अपना मानती है । इसीलिये बातचीत की जा रही है ताकि कोई विवाद न हो ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सालारजंग संग्रहालय (संशोधन) नियम, 1969

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं सालारगंज संग्रहालय अधिनियम, 1961 की धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन सालारगंज संग्रहालय (संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति, जो दिनांक 1 फरवरी, 1669 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 176 (अंग्रेजी संस्करण) तथा जी० एस० आर० 177 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुये थे, सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०** 150/69]

भूमि सुधार सम्बन्धी उपायों के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डा० एरिंग) : मैं श्री अन्नासाहिब शिन्दे की ओर से आधारभूत भूमि सुधार सम्बन्धी उपायों को कार्यरूप देते हुये सामुदायिक विकास एजेंसी और पंचायती राज संस्थानों के अन्तर्गत होने सम्बन्धी अध्ययन दल के

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 151/69]**

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) एस० ओ० 381 जो दिनांक 28 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा गठित की गई ।

(दो) भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा (भर्ती) नियम, 1969 जो दिनांक 15 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में जी० एस० आर० 259 में प्रकाशित हुये थे ।

(तीन) भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा (पदाली) नियम, 1969 जो दिनांक 15 फरवरी, 1969 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 260 में प्रकाशित हुये थे ।

(चार) भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य (प्रारंभिक भर्ती) विनियम, 1969 जो दिनांक 15 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 261 में प्रकाशित हुये थे । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 152/69]**

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के वर्ष 1966-67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मुगल लाइन लिमिटेड के 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त हुये वर्ष के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 153/69]**

(2) पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन हुगली नदी पुल अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 32) की एक प्रति जो दिनांक

29 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 154/69]

(3) बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 122 की उपधारा (3) के अधीन पारादीप पत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों में प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 4 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 10 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 155/69]

राज्य-सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : सुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सूचना देनी है :—

कि राज्य-सभा ने अपनी 25 फरवरी, 1969 की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया है कि भारतीय चिकित्सा तथा होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1968 को संसद् की दोनों सभाओं की 33 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय जिसमें राज्य-सभा के 11 सदस्य, अर्थात् :—

(1) श्री जे० सी० नागी रेड्डी

(2) श्री सुरेश जे० देसाई

(3) श्री शीलभद्र याजी

(4) श्री नारायण पत्रा

(5) श्री लोकनाथ मिश्र

(6) डा० भाई महावीर

(7) श्री जगत नारायण

(8) श्री एन० पी० चौधरी

(9) श्री एस० डी० उपाध्याय

(10) श्री एम० पी० भार्गव

(11) श्री कृष्ण कान्त

और लोक-सभा के 22 सदस्य हों और सिफ़ारिश की है कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उक्त संयुक्त समिति में लोक-सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम उस सभा को बताये।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

49वां प्रतिवेदन

श्री दत्तात्रय कुण्टे (कोलाबा) : मैं रेलवे की तीसरी पंचवर्षीय योजना—लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (रेलवे), 1967 के अध्याय एक और पैरा 16-17 पर लोक-लेखा समिति के 22वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में लोक-लेखा समिति का 49वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

आगामी सप्ताह के लिये सरकारी कार्य
GOVERNMENT BUSINESS FOR FOLLOWING WEEK

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं आपकी अनुमति से 3 मार्च, 1969 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में इस सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) वर्ष 1969-70 के रेलवे बजट पर और आगे चर्चा ।

(2) सीमा शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1969 का अनुमोदन करने वाले संकल्प पर, जिसे श्री श्रीचन्द गोयल द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, विचार-विमर्श तथा सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1969 पर विचार तथा उसे पारित करना ।

(3) वर्ष 1969-70 के सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : दलबदल सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव के बारे में इस कार्यक्रम में कोई उल्लेख नहीं है । राज्यों की और इस समय विशेषत: बिहार की राजनैतिक स्थिति को देखते हुए यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है । इसलिये इस प्रतिवेदन तथा इस विषय पर अगले सप्ताह चर्चा की जानी चाहिए ।

Shri Prakashvir Shastri (Hapur) : Sir, in the last session also, I had requested to evolve a certain procedure in regard to No-Day-Yet Named Motions so that important matters could be taken up under such motions during every session.

For instance, I have already given notice of a No-Day-Yet Named Motion in regard to the discussion on Tekchand Commission Report on Prohibition. This is Gandhi Centenary year and I would therefore like some time to be given by Government to get this particular matter also discussed during this Session.

श्री रघुरामैया : इस प्रतिवेदन के महत्व को मैं समझता हूं । मैं इस सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री से अवश्य परामर्श करूंगा और इसे कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष प्रस्तुत करूंगा । अभी हमने वित्तीय कार्य तथा अध्यादेशों का स्थान लेने वाले विधेयकों के लिये प्राथमिकता के आधार पर नियतन किया है ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मुझे एक छोटी-सी बात कहनी है। हमने तेलंगाना उपद्रव के बारे में चर्चा के लिये पहले ही अनियत दिन वाले प्रस्ताव की सूचना दी हुई है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि उस क्षेत्र का दौरा करने, इस मामले पर राय बनाने तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को सलाह देने के लिये संसद् द्वारा एक सद्भावना आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस विशेष मामले पर भी चर्चा के लिये कुछ समय नियत करे।

समिति के लिये निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव
MOTION FOR ELECTION TO COMMITTEE

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भूमि विभाग के दिनांक 8 अगस्त, 1935 के संकल्प संख्या एफ० 122—3/35 ई के पैरा 3 के उप-पैरा (2) (डी) के, समय-समय पर संशोधित रूप में, के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन, 1 अप्रैल, 1969 से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 3 सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भूमि विभाग के दिनांक 8 अगस्त, 1935 के संकल्प संख्या एफ० 122—3/35 ई के पैरा 3 के उप-पैरा (2) (डी) के, समय-समय पर संशोधित रूप में, के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन, 1 अप्रैल, 1969 से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 3 सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

राष्ट्रपति से सन्देश
MESSAGE FROM THE PRESIDENT

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे दिनांक 26 फरवरी, 1969 को लिखा राष्ट्रपति का निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है :

"मैंने दिनांक 17 फरवरी, 1969 को समवेत् हुए संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिये गये अपने अभिभाषण के लिये लोकसभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त धन्यवाद बड़े संतोष के साथ प्राप्त किया है।"

रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION—Contd.

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्य से कल गणपूर्ति हेतु प्राय: 6 बार घण्टी बजानी पड़ी। संसद् में यह शोभा नहीं देता कि गणपूर्ति के लिये इतनी बार घण्टी बजानी पड़े। अब गणपूर्ति के लिये यदि एक से अधिक बार घण्टी बजानी पड़ी तो मैं सभा की बैठक स्थगित कर दूंगा, भले ही समय कुछ भी हो। सभा में गणपूर्ति रखना सभापति का काम नहीं है। श्री ना० नि० पटेल।

Shri N. N. Patel (Bulsar) : The heavy floods in the area between Bulsar and Bharauch on 6th August, 1968 caused heavy loss to the many bridges and culverts on the railway track. Five to six thousand labourers were put on the work continuously for one month to get the track set right. But after that only one train was run initially on this line and not the other trains even up to a period of four months owing to which the people residing between Bulsar and Surat have been facing great inconvenience. They approached authorities and prominent persons in this connection but there was no effect. The authorities perhaps yield only to the agitators, and do not listen to those who put before them legitimate demands in a simple and peaceful way. There are many instances which can be quoted in this connection.

Once when Dr. Ram Subhag Singh was the Railway Minister, he was kind enough to declare the running of Bulsar-Surat Shuttle Service and the people of that area are very grateful to him. But there is always heavy rush in this train and people travel on the foot boards. Now Dr. Ram Subhag is the Railway Minister once again, and I once again put my demand before him that that shuttle service should be extended up to Dahanoo on one side and up to Bharauch on the other side. This is the people's demand and all the Panchayats in those areas have passed resolutions in this regard. I hope, the Hon. Minister would certainly try to meet this demand and benefit the people of this area. If you find that it would not be possible to turn the engine at Dahanoo, you may arrange for one or two diesel engines for the purpose. So, kindly do consider my demand, and remove the grievances of the people of that area. You will get their blessings.

You have approved the Virar-Sabarmati electrification scheme and have started some work thereon. But the speed is very slow. Nothing is visible between Virar and Baroda. The Railway Minister has declared that the work of electrification would be completed by 1971. I request you to complete it by the target date.

No express or fast trains stop at Doongri railway station with the result that passengers are being put to great inconvenience as they have to go either to Billimoran station or Bulsar station to catch a fast train. Both of these stations are six to seven miles away from Doongri. So, Doongri should also be made a stop for an express or a fast train. In this connection also, I have approached the Railway authorities a number of times but for no avail. People of this area have been coming to me and they are thinking in term of lodging an agitation. I am always against an agitation but you should also listen to those also who never agitate. The development of this station should also be taken up since the present little shed on the platform of this station is hardly enough to protect the waiting passengers from the sun, rains and dust.

There is heavy traffic on the railway crossing near Billimoran and Bulsar areas of my constituency. Always there is shunting on these stations and the traffic is blocked up continuously. It is very essential to construct an over-bridge there. It is possible to construct it on the crossing near Billimoran station. You make a sub-way there, so as to ease the traffic during rainy season.

There is general complaint that wagons are not available. I myself have faced the difficulty. I booked a wagon under RR No. 102736 and CR No. 35799 for 21-11-68 audits freight was Rs. 168/-. It reached Doongri station on 23-12-68. Similarly another wagon with RR No. 102765 and CR No. 2797 and freight Rs. 195/-, and which was booked for 23-11-68, reached at Doongri station on 13-12-68. This causes great inconvenience to the people. This matter should also be looked into.

There are of course windows with glass panes, in the first class, Air-Conditioned coaches but there are no iron bars in the windows. It is, therefore, easy to cut glasses and commit thefts. Therefore, iron bars should be fixed in these coaches.

The Scheduled Caste and Scheduled Tribes peoples are totally neglected in the Railways. My own nephew, who is a matriculate and I.I.T. Diploma Holder applied for a post of Khalasi there and I myself wrote a letter saying that he was a Scheduled Caste candidate, and therefore he should be appointed. But he was not taken. Several candidates from Employment Exchange were also not taken but other people from my village were appointed. I have heard that Rs. 300/- were taken from each of them. The Hon. Minister should inquire as to how that recruitment was made.

श्री एम० डी० सोमसुन्दरम् (थंजावूर) : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि नये रेलवे मंत्री ने सामान्य व्यक्ति पर कोई अतिरिक्त कर लगाये बिना ही इस वर्ष का बजट पेश किया है। परन्तु रेलवे मंत्रालय की यह नीति बन गई है कि पहले तो लाभ का बजट पेश करो तथा बाद में पुनः अतिरिक्त कर लगाने के प्रस्ताव पेश कर दो। मुझे पूर्ण आशा है कि नये रेलवे मंत्री ऐसी नीति नहीं अपनायेंगे। सामान्य व्यक्ति पर अतिरिक्त करों का भार डालने के बजाय बिना टिकट यात्रा को रोककर अतिरिक्त धन-स्रोत उपलब्ध करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

इस बजट में रेलवे मंत्रालय ने दक्षिणी क्षेत्र की आवश्यकताओं को बिल्कुल उपेक्षित कर दिया है। वहां के लिये अनेक विद्युतीकरण योजनायें स्वीकार की जा चुकी हैं फिर भी इस मंत्रालय ने उन योजनाओं के लिये धन-राशि नियत क्यों नहीं की। क्या रेलवे मंत्रालय इन योजनाओं को कम महत्वपूर्ण समझता है? यदि ऐसा है तो इस क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति के बारे में यह इस मंत्रालय के आयोजकों की सूझ-बूझ की कमी का प्रमाण है। रेलवे मंत्रालय यह जानता है कि दक्षिण में औद्योगिक विकास के कारण यातायात में वृद्धि हुई है परन्तु यातायात की सुविधायें बहुत कम हैं। फिर भी इन योजनाओं की क्यों उपेक्षा की गई है? जब ट्यूटिकोरिन पत्तन का विकास किया जा रहा है तो इसके साथ ही कारूर-डिंडिगुल-ट्यूटिकोरिन बड़ी लाइन का कार्य भी हाथ में लिया जाना चाहिये ताकि इस पत्तन का पूरा लाभ उठाया जा सके। परन्तु मंत्री महोदय ने तो इस योजना को प्राथमिक जांच के लिए भी शामिल नहीं किया है। दक्षिण की दूसरी योजनाओं के लिये भी बजट में अपर्याप्त धनराशि नियत की गई है।

रेलवे मंत्रालय दक्षिण की बढ़ी हुई मांगों को पूरा करने को तैयार नहीं है। रेलवे मंत्रालय को दक्षिण क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझकर उसकी कमी को पूरा करना चाहिए और अदूरदर्शिता के कारण इस क्षेत्र को भविष्य में हानि पहुंचने से बचाने का प्रयास करना चाहिये।

भारतीय रेलवे में वर्ष 1967-68 के दौरान हुई दुर्घटनाओं का जो ब्योरा तैयार किया गया है वह सभा को भ्रम में डालने वाला है। इससे यह भावना प्रकट होती है कि आपरेशन तो सफल रहा परन्तु रोगी मर गया। कुंजरू समिति की सिफारिशों को लागू करने में बड़ा विलम्ब किया गया है तथा इस सम्बन्ध में हुई प्रगति भी बड़ी निराशाजनक है। रेलवे मंत्रालय को संकेत, स्वयंचालित गाड़ी नियंत्रण आदि साधन जुटाने के बारे में ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। मैं मानता हूं कि कुछ प्रशासनिक पदों में पदोन्नति की गई है तथा नये पद भी बनाये गये हैं। परन्तु छोटी श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में मंत्रालय का व्यवहार आलोचनीय है। जलपान-कार के बहरों, खाना पकाने वालों तथा अन्य नौकरों को गर्मी और सर्दी की वर्दियां नहीं दी गई हैं। रेलवे के औद्योगिक कर्मचारियों को 10 वर्ष के बाद भी केवल 200/- रुपये वेतन मिल रहा है तथा उनके सेवा मुक्त होने तक सारे जीवन उन्हें कोई पदोन्नति नहीं मिलती। रेलवे को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए कि इस विभाग में लिपिक भर्ती होने वाले को उसके अवकाश प्राप्त होने तक उसे कम से कम एक पदोन्नति अवश्य मिलनी चाहिये और यदि वह स्नातक है तो कम से कम दो तथा यदि वह विशेषज्ञ है तो तीन।

"सदर्न एक्सप्रेस" का नाम बदलने के लिये मैंने मंत्री महोदय से बातचीत की थी परन्तु उन्होंने लोगों की भावनाओं के विरुद्ध तुरन्त इसका नाम "काजीपेट एक्सप्रेस" रख दिया। यह नाम भी बड़ा भ्रामक है क्योंकि यह गाड़ी मद्रास से चलती है तथा दिल्ली आकर रुकती है, काजीपेट नहीं। इसका नाम बदल कर आप "मद्रास-दिल्ली एक्सप्रेस" रख दें।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के बाद दो बजकर दो मिनट पर पुनः समवेत् हुई

The Lok-Sabha then reassembled after Lunch at two Minutes past Fourteen of the Clock.

[श्री रा० दो० भण्डारे पीठासीन हुये
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

Dr. Surya Prakash Puri (Navada) : The Railways have been playing a vital role in Indian life and it is not only a Government industry but a profitable industry also, and as such, the Railway authorities should care for the passengers also who are the backbone of this industry. The entire functioning and the very existence of the Railways depend upon the relations between the passengers and the Railway authorities.

But from my experience, I have gathered that the Railways are worried about their profit only and not for the welfare of the passengers.

There is an Ashram between Gaya and Patna. It is very important place from many points of view. Here Swami Sahajanand Sarswasti had set up his ashram and the farmers helped him. In that village there used to be a railway halt but it was closed. Now again demands are coming up to reopen this halt. I request to the Railway Minister to give his due consideration to the request. I also request that halts betwen Gaya-Patna and Gaya-Kiyol may be reopened.

A train runs between Bakhtiyarpur and Rajgarh. It has been the complaint of the people that the line upto Rajgarh should be linked with Grand Chord. By doing so the passengers going to Gaya **via** Rajgarh will be facilitated.

Mr. Speaker, Gaya is an important place from many points of view. From religious point of view it is a sacred place for Hindus as well as for Buddhists. The pilgrims feel inconvenience there. The state Transport Department has not made arrangements for more buses so that the pilgrims may go to religious places. I had made suggestion in the Consultative Committee that Railway should start a bus-service and the passengers may be charged accordingly.

Much talks are going on about Rajdhani Express. I think it is a great achievement and I congratulate the Railway Minister for it. We hope that the speed will be further increased. This Rajdhani Express will pass through Gaya but there is no stoppage at Gaya. I do not understand why this is so. Only yesterday, Mr. Bannerjee demanded that the train should have halt at Kanpur and facilities should be given to passengers to travel by it. I also request on behalf of the people of Gaya that Rajdhani Express must have stoppage at Gaya.

Patna is Capital of Bihar and as such our relations with other places become very near. From that side a deluxe train go to Calcutta three times in a week. It will be good for the passengers if one of train is diverted to Patna. I am not saying that all the trains should pass through Gaya and not from Aara but it is our request that a deluxe train may be started from Aara to Calcutta **via** Patna.

A general phenomenon has been seen that there are some passengers who travel daily by local trains. They have no monthly tickets but they give one rupee to travelling ticket examiner and get down when the coming train from Gaya stops at outer signal for some time. Besides this the railway employees are involved in this scandal. This type of growing tendency among railway employees should be stopped.

I want to draw your attention to the need for constructing an overbridge near Gomoh where G. T. road and Grand Chord line cross each other. I have been raising this point in the consultative committee and I do hope that the Hon Minister will give due consideration to it.

Besides this, there is a Railway Cinema hall at Gaya. Previously pictures were used to be shown here and the Railway derived much income but now it is lying empty for the last many days. This property is being wasted for nothing. It is hightime that some steps must be taken to make use of it.

I also want to draw the attention of the Hon. Minister to the sports activities in the Railway. Some days ago the Railway team was forward in every sports but now those days

have gone. There are only few good sportsmen in athletics and Hockey. They are not being encouraged. The Government should look into this matter.

I have had talks with the people regarding the platform of Navinagar Station. The platform is much below and it should be raised high. The Government should give attention to the buildings at Tillaya, Nevada, Bakhtiyarpur. There is no sitting arrangement for the passengers. There is a need for running a special train from Gaya to Devghar, and attention should be given to the conditions of Railway hospital at Gaya.

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj) : I do not understand the usefulness of debates here. We give statements the whole year but the Railway Board has no courtesy even to give consideration to our proposals. They even do not intimate whether this suggestion is feasible or not. If the Hon. Minister cannot reply here then at least he should give it in writing later on that whether it is a useful suggestion or not.

There has been much talks that the Railway Board should be abolished. But there must be something which may carry on the work of Railway. But the question is that what should be the function of Railway. Whether it should be an executive body or expert body ? To-day the Railway has dual function i. e. it is functioning as an executive as well as expert body. But this system is not good. Either it should be expert body or executive body. Only then the work can go on smoothly.

To-day many ills have crept into Railway. I do not say that the Railway men do not work. I think that the Railway Board has no grip on their employees. There is no directive or order from Railway Board which may be liked by the employees and they may do the work whole heartedly.

Human failures have been the main cause of the accidents. The system of mechanical device has increased and with the result there are less accidents inspite of the human failures. The employees do not act upon their directions. It will be good if the employees have faith in Railway Board. It is of no use compelling them. It has been seen that if a circular is issued then it is applicable in one case whereas it is non-applicable in antoher case inspite of the fact that both cases are of the same nature . So I would like to say that such thing will not do any good to the interest of the employees.

Strikes do not always take place for the increase of salary. Your behaviour towards them also play an important role. Your attitude is not impartial for employee's grievances. If you give benefit to the employees then it is meant for one section while the other section suffer for nothing.

Besides this I would like to say that employees of Railway come from different parts of India. Naturally they would like to go to their respective regions. If you do not give them this facility then they will always take leave on some false pretext and go their homes. In this way the railway service will suffer a lots. If you do not raise their salary then at least small facilities can be provided to them. Then only a sense of loyalty will dawn on them.

The state of punctuality is deplorable in railway. You can ask from the members what the situation is. The trains never reach in time. If you see the time table then you will come

to know the performance of railways in respect of punctuality. I agree that some trains come punctual but this is not the case with all.

The Railway Minister has stated that the goods traffic in our railway has been decreasing. The main reason for it that much time is wasted in despatching the goods. The goods train takes more than two weeks to reach Calcutta from our side. Whereas the trucks take only a day. How one can tolerate such a delay caused by the railway. I want that the Railway Ministry should think over it and measures may be taken for speeding up the goods trains to reach their destination.

The Railway Ministry should keep one thing in mind that pilferage usually take place in railway. Whereas this is not in the case with trucks. The owners of the trucks are responsible for any loss or pilferage. They give compensation immediately if any such thing takes place. Contrary to this it takes a lot of time in railway to give compensation. Much time is wasted in correspondence and inspite of this there is no certainty that you would get compensation. Under these circumstances how you expect that the goods traffic will increase ? The Railway Ministry should give serious thought over it.

I request the Hon. Railway Minister to have talks with Railway on these matters. The officials of the Railway Board should give treatment to their employees in an impartial way. Otherwise they will fail to keep the dignity of their important tasks. If a passenger feels inconvenience while travelling in Railways then he curses the Congress Government. The opposition parties also do not lag behind in this matter. The concerned officers should keep in mind that such things do not occur in future.

I know that no fares have been increased in the Railways this year. But I am in doubt because the Railway Minister has said in his budget speech that very sizable surpluses will have to be generated by the Railway in the coming years. Now the question is how much the sizable surplus will be. The running expenses are increasing and the dearness allowances will not be decreased. So only the consumers will have to bear the burden. As such I do not understand that it is a matter of satisfaction.

I am not asking any local and small demands like construction of Platforms etc. But I will repeat the demand raised by Shri Tiwari that a Railway Service Commission should be set up in Bihar. The population of Bihar is high and the area is also vast. So it is imperative that a Railway Service Commission should be set up there.

The medium of education in Bihar is Hindi. The students from that area cannot compete in services examination where medium is English. I request that the medium of examination should be changed from English to Hindi. It has come to notice that some time persons are selected for appointment and the police verification is done. After that the appointment is not made and those persons are kept in a state of uncertainty. It is not good.

A Railway Public Service Commission should be set up in Bihar. The Railways are for providing to the needs of public. A few official should not enjoy at the cost of public. The travelling public should be assured and provided all facilities. The Railway officials are there for service and not for getting only high salaries. The complaint of public should immediately be attended to, and removed without delay. I know that Railway Administration pays no

attention to requests made for improvements in railway operations. The Railway Minister has given us so many assurances, but I am sorry to say that no action is taken to fulfil those assurances.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : हमारे देश की अर्थ व्यवस्था की हालत बहुत खराब हो गई है। इस बार रेलवे मंत्री ने किराये में वृद्धि नहीं की है। इस पर हमारे मित्र बहुत प्रसन्नता दिखा रहे हैं। यह कोई सफलता की बात है। अब सरकार किराये तथा भाड़े के ढांचे में कुछ परिवर्तन करने जा रही है। हमें देखना होगा कि क्या निर्णय किये जाते हैं।

गत वर्ष में बाढ़ के कारण देश के विभिन्न भागों में रेल पटरी को हानि हुई है। इस बारे में मैं उत्तरी बंगाल का उल्लेख करना चाहता हूं। वहां कई क्षेत्रों में तो बहुत क्षति हुई है। मंत्री महोदय को इस स्थिति पर प्रकाश डालना चाहिये और बताना चाहिये कि सरकार ने क्या निर्णय किया है। लोगों में यह बात फैलती जा रही है कि सरकार उस क्षेत्र में रेलवे लाइनों को पुनः नहीं बनाना चाहती। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि यह लाइनें घाटे की लाइनें हैं। मंत्री महोदय को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। यह रेलबे लाइन मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाने वाला एक ही सम्पर्क है। अतः सिलिगुड़ी दार्जिलिंग लाइन को अविलम्ब बनाया जाना चाहिये। इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली चाय इसी मार्ग द्वारा लायी जाती है। मैं चाहता हूं कि वहां पर बड़ी लाइन बनायी जानी चाहिये। वहां के कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाना चाहिये।

डमडम-बनगाओं सेक्शन पर बहुत भीड़भाड़ रहती है। वहां लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन कलकत्ता आते हैं। इस मार्ग पर लाइन दोहरी कर दी जानी चाहिये। यह केवल 45 मील लम्बा मार्ग है। फिर यह सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह पाकिस्तान की सीमा के भी निकट पड़ता है। इस बारे में बड़े अर्से से मांग चली आ रही है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार अब इस कार्य को हाथ में लेने जा रही है अथवा नहीं।

कलकत्ता के लिये वृत्ताकार रेलवे की योजना 1924 से विचाराधीन है। इस बारे में प्रतिवर्ष यहां पर प्रश्न उठाया जा रहा है। मंत्री महोदय यही कहते रहे हैं कि सर्वेक्षण किया जा रहा है। कभी कहा गया कि सलाह की जा रही है। अब इस भाषण में भी ऐसा ही आश्वासन दिया गया है। अब शायद योजना आयोग द्वारा पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है। सरकार को इस प्रकार विलम्ब न करते हुए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

प्राक्कलन समिति द्वारा रेलवे विद्युतीकरण पर गत सप्ताह दी गई रिपोर्ट में इस विभाग की बहुत आलोचना की गई है। उसमें विलम्ब का विशेष रूप से उल्लेख है। इस क्षेत्र में भीड़भाड़ को कम करने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये और यहां स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये।

मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के कारण व्यय बढ़ गया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कर्मचारियों के वेतन

में वृद्धि के कारण बहुत कम व्यय बढ़ा है। रेलवे में माल की चोरी को रोकने के लिये कुछ नहीं किया गया है। रेलवे प्रशासन में बड़े-बड़े अधिकारियों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। इसके लिये कोई औचित्य नहीं है।

कोयला खानों के मालिकों के दबाव में आकर सरकार ने कोयले के मूल्यों में वृद्धि कर दी है। यह भी रेलवे के व्यय वृद्धि का एक कारण है। सरकार गैर-सरकारी उपक्रमों के प्रयोग में लाये गये माल डिब्बों के लिये किराये आदि के उगाहने में बहुत नरम रहती है और बड़े-बड़े उद्योगपति सरकार को देय राशि का भुगतान नहीं करते।

यह कहना आसान है कि रेलवे आवश्यकता से अधिक कर्मचारी नियुक्त करती है इसलिये इन फालतू कर्मचारियों की छंटनी की जानी चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है अथवा नहीं है कि क्या इन कर्मचारियों के जो निस्संदेह अनेक वर्ष की अवधि में बढ़ाये गये थे, विशेषत: तकनीकी कार्य वाले सेक्शनों में बढ़ाये गये थे, विशेष किस्म का कार्य करना पड़ता है। क्या उन्हें उस काम के निर्धारण के आधार पर, जो उन्हें करना होता है, नहीं लिया जाता है अथवा क्या उन्हें किसी कार्य या उत्तरदायित्व के आधार पर लिया जाता है ? निस्संदेह उन्हें जिस कार्य के लिये रखा जाता है वे वह कार्य करते हैं। देश की स्थिति को देखते हुये रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों का यह दायित्व है कि वह लोगों को रोजगार दें। किन्तु सरकार ने नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाकर रोजगार के अवसर कम कर दिये हैं। नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध की बात मानी जा सकती है। किन्तु इस समय रोजगार में लगे लोगों की छंटनी करना घातक है। रेलवे कार्य-कुशलता बढ़ाने के नाम पर बिजली से चलने वाले संगणकों की व्यवस्था करके लोगों की छंटनी करने का कोई औचित्य नहीं है। रेलमार्गों को नियंत्रित करने के लिये आयातित स्वचालित मशीनों की व्यवस्था से गैंग मैनों की संख्या कम करनी पड़ेगी। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हाल में गैंग मेनों की त्रुटि के कारण एक भी बड़ी दुर्घटना हुई है ? कम से कम मुझे तो ऐसी एक भी दुर्घटना की जानकारी नहीं है। मैं यह समझता हूं कि यदि रेलमार्गों को और अधिक अच्छे ढंग से नियंत्रित किया जाये तो गैंगमैनों को और अधिक कुशल और दक्ष बनाया जाना चाहिये। समझ में नहीं आता कि सरकार स्वचालित मशीनों की व्यवस्था करके हजारों गैंगमैनों को बेरोजगार करना चाहती है।

रेलवे विद्युतीकरण संगठन को समाप्त करने का सरकार का प्रस्ताव अनुचित है। प्रक्कलन समिति ने भी इस प्रस्ताव के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त करके इसकी आलोचना की है। इस संगठन को समाप्त करने से उच्च तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे और रेलवे का विकास तथा विद्युतीकरण कार्य अस्त-व्यस्त हो जायेगा। अत: मेरा अनुरोध है कि सरकार इस प्रस्ताव के बारे में अपने निर्णय पर गंभीरतापूर्वक पुनर्विचार करे।

मंत्री महोदय ने उत्पादिता बढ़ाने के नाम पर रेल कर्मचारियों के कार्य के घण्टे बढ़ाने की बात कही है। सरकार का इस प्रकार का निर्णय करना कर्मचारियों तथा रेल विभाग दोनों के

अहित में होगा। यदि सिगनलरों, गैंगमैनों तथा केबिन मैनों के कार्य के घण्टे बढ़ाये गये तो उसका उनकी कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उससे रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस प्रकार की कोई कार्यवाही न करे जो कर्मचारियों तथा जनता, दोनों के हित में न हो।

अब मैं कर्मचारियों के साथ सम्बन्धों के बारे में कुछ कहूंगा। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में 19 सितम्बर की हड़ताल का कोई उल्लेख न करके चतुरतापूर्वक यह कहा है कि समूचे तौर पर कर्मचारियों के साथ सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हैं। मैं 19 सितम्बर की हड़ताल के बारे में अधिक कुछ न कहकर केवल उन कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं जो इस हड़ताल में भाग लेने के कारण अभी तक नौकरी पर वापिस नहीं लिये गये हैं। जनवरी में मंत्रिमंडल द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार उन कर्मचारियों को काम पर ले लिया जाना चाहिये जो 19 सितम्वर को अपने कार्य पर नहीं गये और इसके अतिरिक्त जिनके विरुद्ध अन्य कोई आरोप नहीं है। सरकार ने देश को तथा विश्व को यह दिखाने के लिये कि वह अपने कर्मचारियों के साथ सहानुभूति रखती है, इस निर्णय को रेडियो से प्रसारित किया और प्रेस विज्ञप्ति जारी की। किन्तु वास्तविक स्थिति क्या है, यह सबको पता नहीं है। ऐसा लगता है कि या तो सरकार द्वारा किया गया निर्णय ही अस्पष्ट है या सम्बन्धित अधिकारी उसे ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। रेलवे के 2500 स्थायी रेलवे कर्मचारियों तथा 600 अस्थायी कर्मचारियों से, जिन्हें धारा 4 के अन्तर्गत मुअत्तल किया गया था अथवा नौकरी से निकाला गया था, अब तक केवल एक सौ कर्मचारियों को काम पर वापिस लिया गया है। यह है वास्तविक स्थिति, सरकार के निर्णय की क्रियान्विति के के बारे में। सरकार को इस बारे में यह बात स्पष्ट करना चाहिये कि उसके निर्णय की क्रियान्विति के सम्बन्ध में इस प्रकार की नीति क्यों अपनाई जा रही है।

मुझे किसी एक राज्य सरकार से केन्द्रीय गृह मंत्रालय का परिपत्र मिला है जिसमें केन्द्रीय सरकार के आदेश हैं। राज्य सरकारों का कहना है कि उनके अधिकार सीमित हैं इसलिये वे केन्द्रीय सरकार के निर्णय को क्रियान्वित करने में भी एक सीमा के अन्दर ही कार्य कर सकती हैं। इससे यह आसानी से समझा जा सकता है कि उन लोगों को क्यों वापिस नहीं लिया जा रहा और क्यों उन्हें परेशान किया जा रहा है।

इस परिपत्र में कहा गया है कि जब तक प्रमाण अपर्याप्त हों तब तक मामले वापिस न लिये जायें। इसमें कर्मचारियों को वापिस लिये जाने के बारे में भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं जो कि कर्मचारियों के हित में नहीं है। इसमें सम्बन्धित को किसी कर्मचारी के बारे में संतुष्ट होने की व्यवस्था है और जब विभाग अथवा सम्बन्धित अधिकारी किसी कर्मचारी के बारे में पूरी तरह जांच करने के बाद संतुष्ट हो जाये तभी उस कर्मचारी को वापिस लिया जायेगा। विभाग को इस प्रकार का अधिकार देना कर्मचारियों के हित में नहीं है। एक ओर तो सरकार यह कहती है कि वह अपने कर्मचारियों के प्रति उदार है और दूसरी ओर इस प्रकार की नीति

अपना रही है । मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि सरकार के निर्णय की क्रियान्विति में रोड़े कहां अटक रहे हैं । यदि नीचे के स्तर पर कहीं रोड़े अटकाये जा रहे हैं तो हम इस मामले से दूसरी तरह निबट लेंगे ।

जहां तक सेक्शन 5 के अन्तर्गत हड़ताल भड़काने का प्रश्न है, सरकार हम लोगों पर इसका आरोप लगा सकती है और हमारे विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है—किन्तु जो कर्मचारी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के सदस्य थे उन पर इस प्रकार का आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है । उन्हें परस्पर इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने का अधिकार है । उन लोगों ने हड़ताल का नोटिस जारी किये जाने से पहले दिया था ।

अब अनेक राज्य सरकारें कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमें वापिस लेने की घोषणा कर रही हैं । केरल सरकार से तो यह कह दिया था कि वह अपनी सीमा से बाहर जा रही है किन्तु अब सरकारें केरल सरकार के निर्णय का ही अनुसरण कर रही हैं । मुझे आशा है कि मध्य प्रदेश सरकार भी मुकदमें वापिस लेने की शीघ्र घोषणा कर देगी । सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह राज्य सरकारों के निर्णयों का आदर करे और समयानुकूल कार्य करे अन्यथा केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध बहुत अधिक बिगड़ जायेंगे ।

मैं अन्त में रेलवे कर्मचारियों की सहकारी संस्थाओं के बारे में कहना चाहता हूं । सदा यह कहा जाता है कि रेलवे कर्मचारियों में सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहित किया जा रहा है । किन्तु वास्तविकता कुछ और ही है । इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड द्वारा दिये गये आदेशों का उल्लंघन किया जाता है ।

रेलवे बोर्ड ने 27 नवम्बर, 1968 को जारी किये गये एक पत्र में स्पष्ट रूप से निदेश दिये हैं कि कोयले के तथा सिंडर के सम्बन्ध में श्रम ठेकों के मामले में जहां 1,20,000 रुपये से कम का वार्षिक ठेका हो, टेंडर मांगने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे ठेके श्रमिकों की उन उपलब्ध तथा वास्तविक सहकारी समितियों को दिये जाने चाहिये जो उस क्षेत्र में काम कर रही हों । लेकिन दक्षिण-पूर्व रेलवे के बिलासपुर डिवीजन में एक काफी पुरानी तथा अच्छी वित्तीय स्थिति वाली समिति है जिसे दक्षिण-पूर्व श्रम ठेका सहकारी समिति कहा जाता है और जिसके काम के बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने सिफारिश की है और वहां के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने प्रमाणित किया है कि उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत है और काम आदि सन्तोषजनक है । लेकिन वहां के डिवीजनल अधिकारी इस कोशिश में हैं कि इस सहकारी समिति को भविष्य में कोई ठेका न दिया जाये । क्यों ? उन्होंने कोई आधार अथवा कारण नहीं बताया है । मैं हाल में वहां गया था और मैंने इसका कारण मालूम किया । कारण यह है कि वहां एक प्राइवेट ठेकेदार है जिसका इन इलाकों में काफी प्रभाव है और वह वहां बहुत सक्रिय है और यही व्यक्ति इस सारे नाटक के पीछे है जो इस बात की कोशिश में है कि ठेका उसे मिले और इस सहकारी समिति को अपने रास्ते से हटा दिया जाये । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने श्रम

सहकारी समितियों को निरुत्साहित करने की नई नीति अपना ली है अथवा वह उन्हें प्रोत्साहन देना चाहती है और यदि हां, तो फिर वह गुणावगुण के आधार पर इस मामले में निर्णय ले और यह सुनिश्चित करे कि यह समिति बन्द न होने पावे क्योंकि यदि मार्च के अन्त तक उसे ठेके न मिले तो वह मजबूरन बन्द हो जायेगी और परिणामस्वरूप हर आदमी बेरोजगार हो जायेगा। मेरा अनुरोध है कि सहकारी आन्दोलन के हित में तथा इस समिति का जो हक है उसे दिया जाये अन्यथा यह महान अन्याय तथा पक्षपात होगा।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : भारतीय रेलवे के जो देश का बड़ा उद्योग है, आकार तथा कार्य संचालन और उस ढंग को जिसमें वह देश के विभिन्न भागों की आवश्यकताओं को पूरी कर रही है देखते हुए निसंदेह यह कहा जा सकता है कि रेलवे प्रशासन तथा रेलवे कर्मचारी बहुत कर्तव्य परायण हैं और कुशलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारी तथा कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इस व्यवस्था में कोई दोष ही नहीं है और उसमें सुधार तथा परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस सभा में दिये जा रहे सुझावों पर अवश्य विचार करें।

हमें रेलवे को केवल लाभ की दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिये लेकिन इस दृष्टि से देखना चाहिए कि वह लोगों की आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को कहां तक पूरी कर पाती है। इसी बात को ध्यान में रखकर लोक-सभा की प्राक्कलन समिति ने अपने 91वें प्रतिवेदन में उन अल्प विकसित क्षेत्रों में, जो अपने विकास के लिये ऐसी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, नई रेलवे लाइनें खोलने के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं।

रेलवे मंत्रालय को नई लाइनें खोलते समय केवल लाभ को ही दृष्टि में नहीं रखना चाहिए। उसे देश में विभिन्न भागों के संतुलित विकास को विशेषत: अल्प विकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइनें खोलने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिये क्योंकि जहां तक संचार का सम्बन्ध है, रेलवे का कर्तव्य है कि वह चतुर्मुखी विकास के लिये प्रयत्नशील रहे।

मैं अब रेलवे मंत्री का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित कुछ रेलवे लाइनों की ओर दिलाना चाहूंगा। वर्तमान दक्षिण मध्य रेलवे में नन्दयाल से नेल्लोर तक—बरास्ता मिदुकुर एक रेलवे लाइन बिछाने का बहुत समय पूर्व से एक प्रस्ताव था। यह क्षेत्र पिछड़ा इलाका रहा है और कई वर्षों के बाद कुछ सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्विति के कारण वहां काफी सिंचाई क्षमता उत्पन्न की गई है। इससे इस क्षेत्र के लोगों की आर्थिक हालत सुधरने में काफी मदद मिलेगी और यदि वहां रेलवे लाइन बिछायी जाये, तो उस क्षेत्र की वन सम्पत्ति का भी लाभ उठाया जा सकता है जो अभी तक उपेक्षित दशा में पड़ी है और इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये भी वह नये अवसर प्रदान करेगी।

मैं यह प्रार्थना समय-समय से करता आ रहा हूं। इसलिये मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

इसी तरह से मेरा एक और प्रस्ताव बद्राचलम से कोबूर तक रेलवे लाइन बनाने के बारे में है । यह लाइन आदिम जाति क्षेत्र में पड़ती है जहां उन लोगों के पास मैदानों में रहने वाले लोगों के पास जाने के लिये कोई संचार साधन नहीं है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

इस लाइन को बिछाने से आदिम जाति के लोगों और मैदानी लोगों के बीच एकता की भावना बढ़ेगी । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसे ध्यान में रखेंगे ।

1968-69 में किये जाने वाले सर्वेक्षणों की सूची में एक तो गतूर और माचेरला के बीच मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने तथा दूसरे नदीकुडी और सिकन्दराबाद के बीच एक नयी लाइन बिछाने सम्बन्धी सर्वेक्षण को शामिल किया गया है । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने इस सर्वेक्षण को आरम्भ किया है । मुझे आशा है कि वह इस काम को शीघ्र ही पूरा करेगी क्योंकि इस नई लाइन से नागार्जुन सागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लिये रास्ता खुल जायेगा ।

मैं समझता हूं कि धर्मावरम-बंगलौर मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदला जा रहा है । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सिकदराबाद-बंगलौर मीटर गेज लाइन को भी मीटर गेज से ब्राड गेज लाइन में बदला जाना चाहिये क्योंकि इससे अन्य सुविधाओं के अलावा यह भी लाभ होगा कि मैसूर और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानियां आपस में मिल सकेंगी ।

बिजली परियोजना के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं तथा उन्होंने भावी योजना पर विशेष रूप से जोर दिया है । मैं केवल भावी योजना की बात पर जोर देना चाहता हूं । बिजली तथा क्षेत्रीय कार्य के सम्बन्ध में निर्माण, इंजीनियरी तथा अन्य कामों में रेलवे की भावी योजना आवश्यक है क्योंकि इससे उद्योगों आदि को सहायता मिलेगी, उनमें उत्पादन बढ़ेगा तथा देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ।

मैं रेलवे प्रशासन को कहना चाहूंगा कि वे इस बात को ध्यान में रखे कि रेल डिब्बे और अन्य सामग्री के क्रयादेशों के लिये मितव्ययता उनपर निर्भर करती है इसलिये उन्हें कार्यों पर कम से कम पूंजी लगानी चाहिये ।

मैं माननीय मंत्री को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने भाड़े और किराये की दरें नहीं बढ़ाई हैं । इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हाल में रेलवे बोर्ड ने भाड़े की जो दरें बढ़ाई हैं उसके लिये संसद् की मंजूरी ली जानी चाहिये थी विशेषकर जब कि उसका अधिवेशन हो रहा है ।

रेलवे की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रेलवे की माल ढोने की जितनी क्षमता है उसमें से 10 प्रतिशत क्षमता का प्रयोग नहीं किया जा रहा है । इसलिये अप्रयुक्त क्षमता का

प्रयोग करने की दिशा में रेलवे को कुछ कार्यवाही करनी चाहिये ।

रेलवे मंत्री ने बताया है कि 1967 की तुलना में 1968 के पहले 8 महीनों में औद्योगिक उत्पादन के सामान्य देशनांक की औसत में 8.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है । चालू वर्ष के पहले 9 महीनों में राजस्व अर्जन करने वाले माल के यातायात 5.5 मिलियन टन बढ़ गया है । इसलिये मैं महसूस करता हूं कि यह पता लगाने के लिये सर्वेक्षण करने की जरूरत है कि क्या रेलवे प्रौद्योगिक और कृषि उत्पादन के सामान्य देशनांक की औसत में हुई वृद्धि के अनुसार माल यातायात को बढ़ा रहा है या नहीं ।

जहां तक भिन्न-भिन्न संघों को मान्यता देने का प्रश्न है मैं सयझता हूं कि कार्मिक संघों को व्यापक मान्यता देने की नीति पर फिर से विचार किया जाना चाहिये । भिन्न-भिन्न वर्गों के कर्मचारियों की अपनी-अपनी समस्यायें होती हैं । मैं समझता हूं कि कुछ छोटी-छोटी संस्थायें यह महसूस करती हैं कि उनकी शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है । इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

जहां तक हर्जाने के रूप में मुआवजा देने का सम्बन्ध है आंकड़े देखने से पता चलता है कि 1967-68 में पारसलों पर 7.22 करोड़ रुपये का हर्जाना दिया गया जबकि 1966-67 में 5.45 करोड़ रुपये हर्जाना दिया गया था । मैं समझता हूं कि यह जो हर्जाना दिया गया था यह अधिकतर शीघ्र नाश होने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में दिया गया था । इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे वस्तुओं को लाने और ले जाने के लिये डीजल इंजनों का प्रयोग किया जाना चाहिये ताकि ऐसी वस्तुओं को पहुंचाने में कम से कम देरी हो । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे अधिकारियों को विजयवाड़ा तथा अन्य ऐसे स्टेशनों से बुक की जाने वाली आम जैसी शीघ्र नाश होने वाली वस्तुओं को निर्धारित समय में उनके गंतव्य स्थान में पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिये । इससे उन्हें हर्जाना भी नहीं देना पड़ेगा ।

जहां तक बिना टिकट यात्रा का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि रेलवे अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयत्न ही काफी नहीं हैं उनके अलावा और भी कदम उठाये जाने चाहिये । इस समस्या को हल करने के लिये स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त कर लिया जाना चाहिये ।

प्रत्येक रेलवे जोन के लिये अलग रेलवे सेवा आयोग नहीं है जिसके कारण स्थानीय लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता । इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जोन के सभी एककों में रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिये ताकि लोगों में कोई गलतफहमी और ईर्ष्या की भावना न रहे । केवल मुख्यालय के लोगों को ही अधिकांश हिस्सा नहीं मिल जाना चाहिये । जो कोई भी आन्दोलन किया जाता है उसमें रेलवे की सम्पत्ति नष्ट कर दी जाती है । इसलिये लोगों में ऐसा प्रचार किया जाना चाहिये कि यह राष्ट्रीय सम्पत्ति है और उन्हें उसे नष्ट करने से कोई लाभ नहीं होगा ।

Shri Man Deo Snatak (Hathras) : The Hon. Minister deserves our thanks for presenting this Railway Budget. Just as Railway fare and freight has not been increased this time similarly we hope that while presenting the next Railway budget he would show that a lot of facilities have been provided to the common people during a span of one year.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी कर सकते हैं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

44 वां प्रतिवेदन

श्री भालजीभाई परमार (दोहद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के बिधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 44वें प्रतिवेदन से जो 26 फरवरी, 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 44वें प्रतिवेदन से जो 26 फरवरी, 1969 को सभा में पेश किया गया था सहमत है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

केन्द्रीय सेवाओं के कार्य संचालन के बारे में संकल्प—जारी
RESOLUTION RE : FUNCTIONING OF CENTRAL SERVICES—Contd.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैंने इस संकल्प को 20 दिसम्बर, 1968 को पेश किया था और मैं आज फिर माननीय सदस्यों को उसकी याद दिलाता हूं ।

जब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति में इस प्रश्न पर चर्चा की गई थी तो आपने इस आशय से इस चर्चा के लिये केवल $1\frac{1}{2}$ घण्टा नियत किया था कि जब चर्चा का समय आयेगा तब शायद चर्चा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि तब तक उन सभी लोगों को नौकरी पर बहाल कर दिया जायेगा जिन पर धारा 4 या 5 के अधीन मुकदमे चलाए गए हैं । परन्तु वह आशा तो अब सही सिद्ध नहीं हुई है । धारा 144 के अन्तर्गत लगाये गये प्रतिबन्ध को तोड़ने के लिये धारा 185 के अन्तर्गत दिल्ली तथा अन्य स्थानों में बहुत से मामले अभी अनिर्णीत पड़े हैं तथा उन लोगों को नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जा रही है । बहुत से कर्मचारियों के विरुद्ध अभी विभागीय कार्यवाही नहीं की गई है तथा लगभग 10,000 कर्मचारी अभी मुअत्तिल हैं । उनमें से कुछ एक हजार कर्मचारियों को वापिस ले लिया गया है । माननीय मंत्री उनके बारे में सही-सही आकड़े दे सकते हैं ।

जैसाकि मैंने उस दिन कहा था अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुच्छेद 863 में कहा गया है कि हड़ताल करने का अधिकार मूलभूत अधिकार है और इसे कानूनी तौर पर भी छीना नहीं जा

सकता। इसलिये हमने हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगा कर उस अनुच्छेद का उल्लंघन किया है। इसलिये हमें हड़ताल पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए था तथा उसे अध्यादेश के माध्यम से गैर-कानूनी भी नहीं ठहराना चाहिए था।

कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार का काम है दूसरे कर्मचारियों की मांग भी यह थी कि उन्हें आवश्यकता पर आधारित निम्नतम मजूरी मिलनी चाहिए। वे उस मांग को उसी समय पूरा नहीं कराना चाहते थे। वे चाहते थे कि इस मांग को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंप दिया जाये। परन्तु सरकार ने उनकी इस बात को मानने से इंकार कर दिया। अब आवश्यकता पर आधारित निम्नतम मजूरी सम्बन्धी मामले मूल्यों में हुई वृद्धि के अनुपात से महंगाई-भत्ते में वृद्धि करने के मामले तथा अन्य ऐसे मामले अनिर्णीत पड़े हैं। शायद सरकार यह समझती है कि उनकी मुख्य मांगों को भूलाया जा सकता है। परन्तु मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि यदि वे इस तरह का व्यवहार करते रहे तो उन्हें यह मालूम हो जाना चाहिए कि लोग अब चुपचाप बैठकर यह सब कुछ बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मैं उन्हें यह भी बता देना चाहता हूं कि सभी श्रमिक वर्ग तथा प्रगतिशील विचारों वाले सभी लोग कर्मचारियों का साथ देंगे क्योंकि हड़ताल करने का उनका अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। यदि उन्हें हड़ताल करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनकी उचित मांगों को पूरा कर दिया जायेगा। उनके पास उचित मांगें मनवाने के लिये और कोई तरीका नहीं है। माननीय मंत्री ने कुछ समय पहले कहा था कि इस अधिवेशन में एक व्यापक विधेयक लाया जायेगा जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिये अपनी मांगें मनवाने के अधिकार का पूरा पूरा विवरण होगा। वह भी उसमें यही कह रहे हैं कि उनकी मांगों को मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंप दिया जायेगा। परन्तु उन्होंने यह भी कहा है कि जब एक बार मामले को मध्यस्थ—निर्णय के लिये सौंप दिया गया तो हड़ताल का प्रश्न नहीं उठेगा। मध्यस्थ—निर्णय के पंचाट के बाद क्या होगा यह कोई नही जानता। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि सरकार को वास्तविक स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए। कर्मचारियों ने केवल एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी। उन्हें इस तरह से तंग नहीं किया जाना चाहिए। उनका हड़ताल करने का अधिकार कायम रहना चाहिए तथा जिन लोगों को दण्ड दिया गया था उन्हें उनके पदों पर फिर से वापिस ले लिया जाना चाहिए।

अब मैं धारा 144 लागू करने के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस धारा के अन्तर्गत बहुत से कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। मुझे बताया गया है कि केवल दिल्ली में ही 2000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जिम्मेदारी भी सरकार पर ही आती है क्योंकि उसने हड़ताल के दो दिन पहले कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था जिसके फलस्वरूप कर्मचारी सड़कों पर आ निकले थे। इसके अलावा यह कानून का एक तकनीकी उल्लंघन था और इसमें हिंसा जैसी कोई बात नहीं थी जिसके लिये उन्हें दण्ड दिया जा रहा है। अब इस मामले में और देरी नहीं होनी चाहिए और उन्हें नौकरी पर वापिस ले लिया जाना चाहिए। सामान्य स्थिति लाने के लिये ऐसा करना नितान्त आवश्यक है।

अब मैं कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख करना चाहूंगा जिनसे यह पता लग जायेगा कि अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी से कैसे निकाला गया है। दक्षिण रेलवे में कई सीनियर क्लर्क ऐसे हैं जिनकी 10 से 14 वर्ष की सेवा हो गई है परन्तु वे अभी अस्थायी हैं, उन्हें अस्थायी होने के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। मैं यह समझता हूं कि इसमें सरकार का दोष है कि उन्हें इतने वर्षों में भी स्थायी नहीं किया गया है। इसी प्रकार से त्रिचिनोपल्लि में लगभग 137 निमितिक श्रमिकों के जिनकी 5 से 6 वर्ष की नौकरी हो चुकी है, हड़ताल में भाग लेने के सम्बन्ध में नौकरी से निकाल दिया गया है।

ये व्यक्ति इसी डर से काम पर नहीं आये कि उन्हें उनके साथी तंग करेंगे। अब उनको नौकरी से अलग कर दिया गया है। रेलवे, डाक व तार तथा प्रतिरक्षा विभाग के असैनिक कार्यालय के बहुत से कर्मचारियों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं तथा उनका शोषण किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि उनके मामलों में पूर्व स्थिति लाई जाये तथा उन सबको काम पर वापस लिया जाये।

अभी हाल ही में त्रिचिनोपोली के हल्के शस्त्र कारखाने के कुछ कर्मचारियों को हड़ताल के बारे में जब न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तो न्यायालय ने उन्हें मुक्त कर दिया। परन्तु उन लोगों का किर्की, पूना तथा पूना आदि स्थानों पर तबादला कर दिया गया।

यह सरकारी विभागों का पागलपन है। यह समाप्त होना चाहिए। इस प्रकार क्यों तबादले किये जाते हैं ? इसका अर्थ तो यह है कि आप लोगों को परेशान और भयभीत करना चाहते हैं। ऐसे ही अनेक उदाहरण मेरे पास हैं।

केवल केरल में डाक व तार कर्मचारी बच गये क्योंकि वहां के मुख्यमन्त्री श्री नम्बूदरीपद ने कहा कि वह उन लोगों पर मामले नहीं चलायेंगे। वह उनके मामले वापस लेना चाहते थे। केरल स्थित कर्मचारी केवल राजनैतिक कारणों से बच गये।

सरकार को चाहिए कि वह ऐसे सभी मामले वापस लेले तथा सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करें ताकि गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग भी इससे पाठ सीखें। हड़ताल करना इस देश में एक अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की 19 सितम्बर, 1968 की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के उपरान्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई जा रही दमनकारी नीति से, जिसके परिणाम-स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया है, उनके विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं, सेवा से मुअत्तिल किये जाने के और सेवा में विघ्न के लिये आदेश जारी किये गये हैं, उत्पन्न गम्भीर स्थिति की दृष्टि से, इस सभा की राय है कि कर्मचारियों में तनाव और कटुता के विद्यमान वातावरण में समस्त भारत में केन्द्रीय सेवाओं के सुगम एवं कुशल

कार्यचालन के लिए गम्भीर खतरा पैदा हो गया है और यह सिफारिश करती है कि उपरोक्त सभी दमनकारी कार्रवाइयां तुरन्त वापस ली जायें और सामान्य स्थिति पुनः स्थापित की जाय।"

श्री दामानी (शोलापुर) : सरकारी कर्मचारियों के प्रति पूरी सहृदयता रखते हुए भी मैं माननीय सदस्य द्वारा पेश किये प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्यों कि इस मामले पर पिछले सत्र में भी चर्चा हुई थी तथा अब फिर इस चर्चा को उठाने का कोई कारण नहीं है।

हमारे सरकारी कर्मचारियों ने अपने दायित्व को समझ कर हड़ताल में भाग नहीं लिया परन्तु विपक्षी सदस्य उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिये इस मामले को पुनः उठाना चाहते हैं उनका यह राजनैतिक स्वार्थ है।

दूसरे, हमारा देश कठिनाई के समय से गुजर रहा है। पाकिस्तानी आक्रमण के बाद, फसलों का लगातार नष्ट होने अर्थ व्यवस्था का अवनत होंने तथा कृषि और उद्योग के क्षेत्र में कम उत्पादन होने पर भी सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया। सरकार कर्मचारियों के प्रति बड़ा सहृदय और नम्र रही है। वह उनके हितों पर सहानुभूति से विचार करती है।

इस समय ऐसी कोई गम्भीर स्थिति नहीं है जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया है। मूल्य स्थायी हो गये हैं तथा फसल भी अच्छी होने की आशा है।

सरकार द्वारा शोषण की बात भी गलत कही गई है। सरकार ने बड़ी नर्मी बरती है तथा अनेक प्रकार के अपराधों के मामले वापस ले लिये हैं अन्यथा सरकारी कर्मचारी आचार नियमों के अनुसार बड़ी गम्भीर कार्यवाही की जाती है। जो मामले शेष रह गये हैं वे बहुत थोड़े हैं। वे गम्भीर अपराध के हैं। आखिर सरकार को प्रशासन भी तो चलाना होता है। ऐसे हिंसात्मक अपराध यदि कोई साधारण नागरिक भी करता उसके विरुद्ध भी दण्ड संहिता के अनुसार कार्यवाही की जाती। यदि सरकारी कर्मचारी ऐसा करते हैं तो क्या सरकार को उन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। यदि सरकार ऐसा न करेगी तो देश में अनुशासन कैसे रहेगा? वैसे तो पहले ही देश में अनुशासन हीनता बहुत हो गयी है। दोनों ओर से इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। और फिर ये मामले न्यायालयों में चलाये जा रहे हैं। यदि उन्होंने हिंसात्मक कार्यों में भाग नहीं लिया है तो फिर वे डरते क्यों हैं? वे मुक्त हो जायेंगे। अतः इस प्रस्ताव को पेश करने में कोई तुक नहीं है।

इव शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

डा० मैत्रेयी बसु (दार्जिलिंग) : मैं माननीय श्री नम्बियार से यह जानना चाहती हूं कि क्या चीन तथा चैकोस्लोवाकिया जैसे तानाशाह देशों में भी कर्मचारियों को हड़ताल करने की अनुमति दी जाती है? मैं उनके प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु क्या वह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था

जिसका कि भारत भी सदस्य है, उसमें विश्वास रखते हैं ? आज ही समाचार-पत्रों में छपा है कि चीन में कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : जिस समय माननीया सदस्या ने उनके भाषण में बाधा डालने का प्रयत्न किया था तब भी मैंने कहा था कि हम यहां किसी माननीय सदस्य की वफादारी पर सन्देह नहीं कर सकते इन शब्दों के साथ मैं उनका स्पष्टीकरण स्वीकार करता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह बात इस प्रकार कहना अन्याय है। डा० मैत्रेयी बसु ने माननीय सदस्य की वफादारी पर सन्देह नहीं किया। उन्होंने तो एक साधारण सा प्रश्न पूछा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तो यही समझा था कि उन्हें कोई सन्देह है। अब उनके स्पष्टीकरण से मुझे सन्तोष हो गया है।

डा० मैत्रेयी बसु : मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था। मैंने तो केवल यही पूछा था कि क्या चीन में हड़ताल करने की अनुमति है। इसमें उनकी वफादारी पर शक कैसे होता है ?

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच, चाहे वे रेलवे कर्मचारी हों अथवा डाक तार कर्मचारी अथवा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के कर्मचारी सम्बन्धों के लगातार बिगड़ते रहने के कारण सभी उचित विचारों वाले व्यक्तियों में चिन्ता उत्पन्न होती जा रही है। ये सम्बन्ध इतने खराब हो गये हैं कि दोनों पक्षों की ओर से अत्यन्त उग्रवादी विचार व्यक्त किये जा रहे हैं। यह एक बहुत गम्भीर प्रश्न है और सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। सरकार को यह समझना चाहिये कि मुख्यतया यह प्रश्न कर्मचारियों के साथ सम्बन्धों का प्रश्न है। परन्तु सरकार इस मामले को मालिक और नौकर के बीच के सम्बन्धों का मामला समझ रही है। यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। हमें सरकारी कर्मचारियों को मानवीय दृष्टि से देखना चाहिये। सरकार ने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह 18वीं और 19वीं शताब्दी के सिद्धान्त पर आधारित है और भारत में ब्रिटिश शासकों द्वारा कायम की गई परम्परा के अनुसार है। चाहे किसी समय गुस्से में आकर अथवा बहकाव में आकर कर्मचारियों का व्यवहार कुछ ही रहा हो, सरकार को उन्हें करो या मरो का उग्रवादी दृष्टिकोण अपनाने को मजबूर नहीं करना चाहिये। सरकार का सिद्धान्त अपने कर्मचारियों को सबक सिखाने का नहीं होना चाहिये।

हमें औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में बार-बार उपदेश दिये जाते हैं। योजना आयोग द्वारा इस शब्दावली का प्रयोग किया गया हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र को प्रगति के उच्चतम शिखर पर पहुंचाना है। परन्तु इस समय श्रमिक असंतोष तथा सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच अविश्वास उच्चतम शिखर पर है। मैं समझता हूं कि यदि सरकार सम्बन्धों के बारे में आधारभूत मानवीय सिद्धान्त को स्वीकार करती और यदि वह उन भौतिक, मनोवैज्ञानिक और वातावरण सम्बन्धी परिस्थितियों पर विचार करती जिनके अन्तर्गत कर्मचारियों को विभिन्न

सरकारी विभागों तथा मंत्रालयों में काम करना पड़ता है और यदि वह मानवीय सम्बन्धों के बारे में आधुनिक प्रबन्धक सिद्धान्तों के आधार पर विचार करती तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि वह मामले को निबटाने में विलम्ब न करती तो स्थिति इतनी विकट नहीं होती, जितनी इस समय है।

सरकारी कर्मचारियों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार अच्छे से अच्छा काम करना चाहिये तथा उनकी सरकार में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिये। परन्तु जब तक उचित वातावरण तैयार न किया जाये, तब तक यह कैसे संभव है। यह तभी संभव है जब कि सरकारी कर्मचारी अपने आपको सुरक्षित महसूस करें। परन्तु वर्षों तक उन्हें स्थायी नहीं किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों का पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। मंत्रियों अथवा संसद् सदस्यों का तो ऐसा वर्गीकरण नहीं किया गया है। अतः यह एक गलत दृष्टिकोण है, जो कि पुरानी ब्रिटिश सामान्तशाही की देन है। यदि सरकार उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करना चाहती है तो उसे गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये औद्योगिक सम्बन्धों के सिद्धान्त और व्यवहार के बारे में भाषण देने की अपेक्षा एक आदर्श नियोजक के रूप में काम करना चाहिये। उसे अपने रवैये में सुधार करना चाहिये और 19 सितम्बर, 1968 को जो कुछ हुआ उसकी अनदेखी करनी चाहिये। सरकार को उस दिन की घटनाओं को भूल जाना चाहिये।

जहां तक आवश्यक सेवायें (बनाये रखना) अध्यादेश, 1968 का सम्बन्ध है यह अध्यादेश मूल रूप से अनुचित है। सरकार और उसके कर्मचारियों में विश्वास की भावना पैदा करने की दृष्टि से ऐसे अध्यादेश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं समझता हूं कि इस अध्यादेश को अत्यन्त जल्दबाजी में तैयार किया गया था तथा इसमें मानवीय सम्बन्धों के सिद्धान्तों की उपेक्षा की गई थी। सरकार मानवीय सम्बन्धों को हल करने में पूर्णतया असफल रही थी। सरकार ने जीतो या हारो का रवैया अपना कर बहुत से सरकारी कर्मचारियों को सताया है। मैं एक अथवा दो उदाहरण देना चाहता हूं। वह ऐसा समय था जब कि बहुत से कर्मचारियों के बच्चे स्कूलों में शिक्षा के सत्र के बीच में थे। सरकार कर्मचारियों को सबक सिखाना चाहती थी इसलिये रेलवे, डाक तथा तार और कुछ अन्य विभागों के कर्मचारियों का तुरन्त तबादला किया गया। यदि सरकारी कर्मचारियों ने कोई गलती भी की थी तो सरकार को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिये। कर्मचारियों के तुरन्त तबादले किये जाने के कारण उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था का अस्तव्यस्त होना, नये स्थानों पर आवास की समस्या तथा अन्य कठिनाइयों का पैदा होना स्वाभाविक था। इसलिये यह कर्मचारियों को सबक सीखाने का प्रश्न नहीं है, परन्तु ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से हम सबको सबक सीखना चाहिये।

जब पश्चिम बंगाल में पहली बार संविद सरकार बनी थी, तो कुछ गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यापारियों ने जानबूझ कर कानून तोड़ना आरम्भ कर दिया था। वह अपने कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन नहीं देते थे। इसलिये इसके परिणामस्वरूप घेराव इत्यादि की घटनायें हुई तथा

श्रमिक असंतोष फैला । जब सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के नियोजक जिम्मेदारी पूर्वक काम नहीं करते तो ऐसी घटनायें होना स्वाभाविक है । मैं घेराव इत्यादि अथवा 19 सितम्बर को जो कुछ हुआ उसकी वकालत नहीं कर रहा हूं, अपितु मेरे कहने का अर्थ है कि यदि कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाये, तो ऐसी गंदी स्थिति को पैदा होने से बचाया जा सकता है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को अपने कर्मचारियों का मनोवैज्ञानिक ढांचा तैयार करना चाहिये और उनकी काम करने की परिस्थितियों में सुधार करना चाहिये, ताकि उनकी निष्ठा पर सन्देह न किया जा सके । उसे अपने विभागीय प्रबन्धकों और कर्मचारियों को स्वयं कार्मिक संघों के रचनात्मक नेता बनने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये । सरकार को अपने कर्मचारियों के मामलों के सम्बन्ध में एक नया विभाग खोलना चाहिये । सरकार को रचनात्मक नीति अपनानी चाहिये तथा अपनी इस पुरानी नीति को छोड़ देना चाहिये ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Speaker, we all are human beings—whether one is an employer or an employee, whether one is a master or a servant, whether one is a ruler or a ruled, after all irrespective of one's social status, every one is a human being. So we should view this problem with human angle. At present there is wide spread unemployment in our country. The situation is so bad that if you want to recruit a peon, hundreds of graduates apply for this petty post. Even graduates and those who are having the highest academic degrees like Ph. D. and D. Litt are willing to serve as clerks. In such hard circumstances when lakhs of people are already out of employment, is it proper to throw so many persons out of employment. It is pitiable that in the prevailing conditions of wide spread unemployment, thousands of people who were in employment have been thrown on the streets.

Moreover if you analyse the situation the Government servants are not so much to be blamed. They have been misled by certain political parties, particularly the opposition parties in order to achieve their political end. For instance the policemen of Delhi became paws in the hands of political parties. Now they are repenting. Thousands out of them have been thrown out of service and prosecutions have been launched against them. Many of them are now in jails and their cases are pending in courts of law. Their houses have been ruined. Not only those who have been thrown out of employment, but their dependents too, whose number is much more are also in great difficulty. They are finding it difficult to get two ends meet. I think the responsibility for all this suffering and misfortune rests with the political leaders. They have misled them and aroused their feelings. If you want to punish them you should punish those who have misled them.

I would request the Home Minister that he should be tender hearted. After all it is a question of their livings. They are also our brothers and we should have full sympathy with them. The Government should realise that such a large number of people can not be kept suspended from service. The Government should take initiative by reinstating them so that the interested political parties are not able to make polical capital out of it. The present state of indecision must end. Even the cases of many Delhi Policemen are still pending though so much time has elapsed. We should have sympathy for the employees and I am sure that the Government has more sympathy towards their employees than the opposition parties who are

pretending to be their defenders. This Resolution is only a stunt and has been moved in order to show false sympathy towards Government servants. I would request the Hon. Mover of the Resolution to withdraw it and at the same time I would request the Government to upheld the spirit of this Resolution.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, I rise to support the Resolution moved by my Hon. friend Shri Nambiar.

[श्री रा० दो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

It is a matter of deep regret that justice has not so far been given to the employees even after the lapse of such a long time since 19th September. Though I am not going into the details of the circumstances in which the strike was organised yet it is clear and we should not forget this fact that it was only a token strike of one day, meant to draw the attention of the Government and the people of the country towards the genuine demands of the employees. So it was not proper and in the interest bringing normalcy to dismiss them for one day's strike, to create a break in their continuity of service and to prosecute them on false charges.

It is surprising that the decision taken by the Cabinet as far back as 4th January, 1969 that those who have not been charged with violence and sabotage should be taken back in service is not being implemented honestly. It is not all. False cases of violence are being framed against the employees and they are being prosecuted. The officers have been given unlimited powers which are being misused by them. If Government is honest in its decision and wants to implement it honestly, then unlimited powers should not be given to officers. A number of Government employees have not so far been taken back in service. I do not think there is any justification for keeping them out of service, when Government have already taken a decision in this regard. In order to restore normal conditions, it is necessary that cases pending against the employees should be withdrawn, so that a new chapter of employee-employer relationship may be started.

It is surprising that on one hand Government are saying that disputes should be solved by bilateral talks or by arbitration and on the other hand they are snatching away the right to strike of the employees. In a democratic set up it is not proper to take away the right to strike. If Government want that there should be no strike they should create an atmosphere under which the employees may not have to go on strike. If the employees have got the right to work, they have also got the right not to work. They should not be deprived to their this right, but Government should create such conditions that they may not deem it necessary to excercise this right. If Government is sincere that there should be no strikes in future then they should be prepared to refer all the disputes to arbitration. We should have a system of compulsory arbitration and if the Government finds it difficult to implement any decision given by an arbitrator, they could come before Parliament with valid reasons. But it is not proper to say that this matter can be referred to arbitration and that matter cannot be referred to arbitration. In order to bring normalcy in the relations of the Government and its employees, Government should withdraw the cases pending against the employees and they should discuss the problem with the representatives of the employees and find out a permanent solution.

Shri Sheo Narain (Basti) : I would request the Home Minister to consider the cases of the employees very sympathetically.

अन्ततः सरकार क्या है । वास्तव में सरकारी कर्मचारी ही सरकार हैं । यदि आप देश में ईमानदारी कायम रखना चाहते हैं, तो आपको एक आदर्श पेश करना होगा । मैं पश्चिम बंगाल सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह घोषणा की है कि वे केवल 500 रुपये वेतन लेंगे । हमारे मंत्रियों तथा प्रधान मंत्री को भी केवल 500 रुपये वेतन लेना चाहिये । पश्चिम बंगाल सरकार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसका अनुसरण किया जाना चाहिये ।

हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरकार को अपने निर्णय पर सहानुभूतिपूर्ण पुनर्विचार करना चाहिये तथा बर्खास्त किये गये और निलम्बित किये गये कर्मचारियों को पुनः नौकरियों पर ले लिया जाना चाहिये । सरकारी कर्मचारियों को अधिक वेतन की मांग करने का अधिकार है, परन्तु उन्हें हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे स्वयं सरकार हैं । इसलिये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे पुनः अपने पदों को संभालें और सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार किया जाये ।

सरकार को करांची संकल्प को क्रियान्वित करना चाहिये और यदि वह ऐसा करती है तो मुझे विश्वास है कि विपक्षी दल भी उसका साथ देंगे । हमारा देश एक गरीब देश है । इसलिये किसी को भी 500 रुपये से अधिक वेतन नहीं लेना चाहिये ।

I would request the Home Minister that there should be a ratio of 1 to 10 between the lowest and the highest paid employee irrespective of his caste, creed, religion and official status. There should be good relations between the Government and its employees. We are a poor country and the Government and its employees should make a united effort to solve the problems of the country. The Government should understand that it is their primary duty to provide food and clothing not only to the Government employees, but to the entire nation.

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : मैं श्री नम्बियार के संकल्प का समर्थन करता हूं । यदि माननीय सदस्य के भाषणों से इस बात का अनुमान लगाया जाय कि सभा इसके पक्ष में है अथवा विपक्ष में तो माननीय सदस्यों के भाषणों से संकेत मिलता है कि इस संकल्प को पूर्णरूप से स्वीकार किया जाना चाहिये । सरकार का यह बहाना विचित्र है कि हम कठिन समय से गुजर रहे हैं । हम वर्ष 1947 से सरकार से यही सुनते आये हैं कि हम कठिन समय से गुजर रहे हैं । अखिर यह कठिन समय कभी समाप्त होगा भी या नहीं । सरकारी पक्ष के सदस्यों ने भी इस संकल्प का समर्थन किया है, इसलिये इसको स्वीकार किया जाना चाहिये ।

तामिल भाषा में एक कहावत है कि रोते हुए बच्चे को ही दूध पिलाया जाता है । यही हाल इस सरकार का है । यह सरकार जब तक आन्दोलन नहीं किये जाते, तब तक किसी मांग को स्वीकार नहीं करती । श्री स० मो० बनर्जी ने एक बहुत साधारण मांग की है कि राजधानी एक्सप्रेस को कानपुर पर भी रोका जाये, परन्तु यह सरकार निर्णय तब ही लेगी जब उसे वहां बलपूर्वक रोक लिया जायेगा । यह सरकार केवल दबाव पड़ने पर ही काम करती है ।

यदि सरकार इस बारे में अपने निर्णय पर दृढ़ रहती है तो सरकार को अपने को लोक-तन्त्रात्मक या समाजवादी सरकार कहने का कोई अधिकार नहीं। अतः सरकार को इस निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिये। सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से अपने प्रतिनिधि को वापिस बुला लेना चाहिये।

तकनीकी तथा सांवैधानिक तौर पर सरकार अध्यादेश पर दृढ़ रह सकती। इसके साथ-साथ यदि राज्य सरकारें यह अनुभव करती हैं कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें चल रहे हैं वे वापिस ले लिये जायें, तो उनको इसका अधिकार है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अध्यादेश के कारण ही राज्यों में भी कठिनाइयां उत्पन्न हुई। केन्द्रीय सरकार को अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्य सरकारों से सलाह लेनी चाहिये थी। अब राज्य सरकारों से यह कहना कि वे कर्मचारियों के खिलाफ चल रहे मुकदमें वापिस न लें, उचित नहीं। यदि महाराष्ट्र या आन्ध्र या अन्य राज्य एक ऐसे अपराध के लिये अपने कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाती हैं, जिस अपराध के लिये केरल और पश्चिम बंगाल में सरकार अपने कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलातीं, तो इसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों में बहुत असमानता हो जायेगी इससे कर्मचारियों के बीच असन्तोष उत्पन्न हो जायेगा। सरकार को गैर-सरकारी मालिकों और पूंजीपतियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये।

यदि सरकार कर्मचारियों को हड़ताल करने के अधिकारों से वंचित रखती है तो कर्मचारी चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हों, या गैर-सरकारी क्षेत्र के, चाहे वे उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी हों या सरकारी विभागों में, वे सरकार पर जोर डालकर अपनी मांगों को स्वीकार करने के अपने वैधिक अधिकारों से वंचित रह जायेंगे। अतः सरकार को देश में शान्ति बनाये रखने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल से बहुत गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हड़ताल के कारण 50,000 से अधिक कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, लेकिन सरकार की सहानुभूतिपूर्ण नीति के कारण यह संख्या केवल 10,000 रह गई है।

बहुत से लोगों को कुछ सीमा तक पथ-भ्रष्ट किया गया गया है। इन सब मामलों पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जाना चाहिये। सरकार को मुअत्तिल करने के मामलों में ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिये कि यह सोचा जाये कि कुछ प्राधिकारी या विभाग सरकार को उदारता की नीति न अपनाने और कर्मचारियों को तंग करने की नीति अपनाने के लिये उकसा रहे हैं।

सरकार को सब कर्मचारियों को छोड़ देना चाहिये और उनके खिलाफ चलाये जा रहे मुकदमें वापिस लेने चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरे पास रक्षा, डाक-तार, रेलवे तथा अन्य मंत्रालयों के उन कर्मचारियों की सूची है जिन्हें मुअत्तिल कर दिया गया था या जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था और जिन्हें 18 अक्तूबर,1969 के निर्णय के बाद भी नौकरी पर नहीं बुलाया गया था। माननीय मंत्री को इस बात का अवलोकन करने के लिये कि 18 अक्तूबर के निर्णय को पूरी तौर पर क्रियान्वित किया गया है अथवा नहीं किसी अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिये। उन सब कर्मचारियों को जिनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था या जिन्हें एक महीने का नोटिस दिया गया था या जिन्हें इसके बजाय एक महीने का वेतन दिया गया था, सबको वापिस नौकरी पर बुलाया जाना चाहिये। 42,000 कर्मचारियों को नौकरी पर वापिस बुलाया गया है। लेकिन जिन कर्मचारियों की सेवाएं एक महीने का नोटिस देकर समाप्त कर दी हैं, उन्हें इस कारण से नौकरी पर वापिस नहीं बुलाया गया है कि उन्होंने न केवल हड़ताल में भाग लिया था बल्कि इसके लिये भड़काया भी था। कुछ कर्मचारियों को तीन महीने तक नौकरी पर रखा गया और उसके बाद फिर उन्हें हड़ताल के लिये भड़काने के लिये जिम्मेदार ठहराकर नौकरी से निकाल दिया गया है।

शिलांग में वायु सेना में काम करने वाले 200 सिविल कर्मचारियों में 117 कर्मचारियों पर भड़काने के आरोप लगाये गये हैं। यह बहुत असमान्य-सी बात है।

जनवरी, 1969 में प्रधान मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि सरकारी कर्मचारियों, विशेष कर उन कर्मचारियों के प्रति उदारता बरती जायेगी जिनको बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसा निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुये लिया गया था कि इससे किसी कर्मचारी को लाभ नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि जनवरी, 1969 के निर्णय के बाद कितने मामले वापिस लिये गये। 55,000 कर्मचारियों, जिनकी सेवाएं समाप्त की गई थीं, ने कोई भी हिंसात्मक कार्यवाही नहीं की। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को, कर्मचारियों के विरुद्ध वापिस लिये गये मुकदमों के लिये, मैं बधाई देता हूं। मैं पंजाब सरकार को भी इसके लिए बधाई देता हूं। श्री नम्बूदरिपाद भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

देश में शान्ति बनाई जानी चाहिए और कर्मचारियों के विरुद्ध सब मुकदमें वापिस लिए जाने चाहिए। दिल्ली में भी धारा 188 के अन्तर्गत आने वाले मामले वापिस नहीं लिए गये हैं। स्थानीय प्रशासन को यह अधिकार दिये गये हैं कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध नैतिक नीचता का मुकदमा न हो, तो उसे मुअत्तिल नहीं किया जाएगा। इस अधिकार का सरकारी कर्मचारियों के अहित में प्रयोग किया गया है।

अभी भी लगभग 18 अक्तूबर, 1968 और जनवरी, 1969 के निर्णय के बाद 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है। वे आज सड़कों पर घूम रहे हैं। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि सरकार को सब कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमें वापिस लेने चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न संस्थाओं और संघों की मान्यता को समाप्त किये जाने के बारे में वर्ष 1960 में भी श्री गोविन्द बल्लभ पन्त ने, जो उस समय गृह-मंत्री थे अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ, डाक-तार कर्मचारियों का राष्ट्रीय संघ, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संगठन, जो कि कर्मचारियों का वास्तविक रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं की मान्यता को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इनको बाद में मान्यता दे दी गई थी। मुझे दुःख है कि इतने अनुरोध के बाद जे० सी० एम० को बैठक 27 दिसम्बर को बुलाई गई थी और उसमें उन्हीं प्रतिनिधियों को बुलाया गया था जिन्हें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। अखिल भारतीय रेलवे संगठन के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया था। अतः उन्हें अवश्य मान्यता दी जानी चाहिए।

हड़ताल किये जाने के अधिकार को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को कर्मचारियों के हड़ताल को करने के अधिकार को समाप्त करने सम्बन्धी विधेयक नहीं लाना चाहिए। इसका विरोध किया जाएगा।

जिन कर्मचारियों की नौकरियां समाप्त कर दी गई हैं उन्हें फिर से नौकरी पर रखा जाना चाहिए और उनके विरुद्ध मुकदमें वापिस लिए जाने चाहिए। कर्मचारी संघों और संगठनों को मान्यता दी जानी चाहिए।

अस्थायी मंत्रियों द्वारा स्थायी कर्मचारियों के भाग्य का निबटारा करना कहां तक उचित है ?

Shri S. M. Joshi (Poona) : Sir, I will not take more time as all things which I wanted to say have been referred to by my colleagues in this House. We have been advised by some Members that we should be considerate ; we should introspect and we should see our mistakes along with the mistakes committed by others. Repeating the same logic I would like to advise the Government to see also the mistakes on their part while condemning the opposition. I would like to ask whether the Government committed no mistakes. People may accuse us for inciting the workers to do wrongful deeds. But it is not a fact. We were not included in the machinery constituted after 1960 strike. Workers themselves were included in that machinery which proved itself futile. Moreover, the agreement reached in machinery was not implemented by Government.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

On August 30 during discussion the Minister said that this matter was not arbitrable. But he did not tell the other alternative to resolve the dispute. After getting no answer from the Minister, the workers served the notice of strike. If they think that we mislead the workers we should be punished, we should be put behind the bars. But the Deputy Prime Minister did not want to punish us because, if punished we would get publicity. On the other hand he wanted to punish those who committed mistakes i. e. workers. I think it is nothing but victimization. If victimization will exceed its limits we will have to adopt preventive measures.

Government often ask for cooperation from opposition. But if Government are not prepared to cooperate with the opposition, how can the other parties cooperate with the Government, particularly in view of the fact that they are firm on their stand and do not want to accommodate the view points of others. The Government should also see whether they have committed some mistakes or not. If there is some mistake on their part also then victimization should forthwith be stopped. All those workers arrested, should be released. Whenever we try to create an atmosphere conducive to peaceful settlement of the problem, the actions of Government go against our efforts. To find solution of such problems is not the duty of ours alone. The responsibility for it goes to Government also. I appreciate Sarvashri Randhir Singh, Panigrahi, Sheo Narain and others, who have supported our stand.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् (विशाखापत्तनम्) : श्रीमन्, कर्मचारी संघ आन्दोलन का उसी प्रकार से एक अनिवार्य अंग है जैसे सामूहिक रूप से सौदा करने का अधिकार है। यदि कर्मचारियों से यह अधिकार छीन लिया जाता है तो उन्हें उसके विकल्पस्वरूप कोई अन्य अधिकार दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में एक यह सुझाव देना चाहता हूं कि जब भी कर्मचारी अपनी कुछ मांगें प्रस्तुत करते हैं तो सरकार को उन पर एक महीने की अवधि में ही विचार कर लेना चाहिए और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर देना चाहिए अथवा उन्हें पंच निर्णय के लिए सौंप दिया जाना चाहिए। आप उनसे बातचीत करने का अधिकार भी छीनना चाहते हैं। आप उन्हें उत्पात मचाने के लिए बाध्य करना चाहते हैं। सरकार को कर्मचारियों की समस्या को बातचीत के माध्यम से, संसद् में या विधान सभाओं में बैठकर सुलझाने की प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए अन्यथा देश में अराजकता की स्थिति बढ़ती जाएगी।

जिस अध्यादेश को जारी करके 19 सितम्बर की हड़ताल को अवैध घोषित किया, मेरे विचार से वह अध्यादेश ही अनैतिक और निराधार था। रात भर में ही वैध हड़ताल को अवैध बना दिया गया। इस प्रकार मेरे विचार से सरकार ने उन्हें अवैध काम करने के लिए बाध्य किया। अतः मैं सरकार से यह अपील करता हूं कि वह इस मामले में विस्तृत दृष्टिकोण से विचार करे।

सेवा में व्यवधान किया जा रहा है, अस्थायी कर्मचारियों को सेवा से हटाया जा रहा है। कुछ कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। इस प्रकार से उन्हें तंग किया जा रहा है, उनसे बदला लिया जा रहा है। सच तो यह है कि अध्यादेश जारी करके एक तकनीकी अपराध की उत्पत्ति कर दी गई है। अध्यादेश अपने आपमें अनैतिक आधार पर स्थित था इसलिए उसके अन्तर्गत की गई सम्पूर्ण कार्यवाही भी अनैतिक ठहरती है। अतः मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह इस प्रकार की कार्यवाही से देश की समस्याओं को न बढ़ाए। देश में शान्ति बनाये रखने का यही एक उपाय है कि अराजकता का अवसर ही न आने दिया जाये। सरकार को अपने कर्मचारियों की मांगों पर विचार करना चाहिए अथवा उन्हें पंच निर्णय के लिए सौंपा जाना चाहिए। पंच निर्णय के लिए समय निर्धारित किया जाना चाहिए और पंच निर्णय को सरकार को भी मानना चाहिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में सरकार ने लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति के बजाय एक दलवादीय प्रवृत्ति का परिचय दिया। इस प्रकार से सरकार ने भारतीय लोकतंत्र के रूप को कलंकित किया है। एकदलवादी या सर्वसत्तात्मक विचारधारा वाले देशों में श्रमिकों को हड़ताल का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है जब कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में श्रमिकों को हड़ताल का अधिकार मिला होता है। हमारे देश में सरकार को हड़ताल को लोकतंत्रीय आदर्श को ध्यान में रखते हुए ही देखना चाहिए था। सरकार ने हाल ही में जो हड़ताल हुई थी उसको इस दृष्टि से नहीं देखा और हड़तालियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसा एकदलवादी प्रणाली की सरकारें करती हैं। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों को हतोत्साहित किया गया है बल्कि शासनतंत्र में असंतोष व्याप्त किया गया है।

यद्यपि जनवरी में यह कहा गया था कि सरकार हड़तालियों के साथ नर्मी से बर्ताव करेगी परन्तु अभी भी लगभग 10,000 कर्मचारी सेवा से निलम्बित हैं। जिन कर्मचारियों की 10 से 15 वर्ष तक की सेवा हो चुकी है उन्हें अस्थायी बनाकर बर्खास्त कर दिया गया, कुछ का तबादला ऐसे स्थानों पर किया गया जहां पदोन्नति के अवसर नहीं हैं, कुछ कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ समाप्त कर दिये गये हैं। डाक तथा तार विभाग और रेलवे विभाग के हड़ताली कर्मचारियों के लिए दो भिन्न-भिन्न प्रकार के सिद्धान्त अपनाये गये हैं यह विषमता का एक बड़ा उदाहरण है। केरल, पश्चिमी बंगाल और पंजाब राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की है, केन्द्रीय सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने हड़ताल में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध चल रहे मुकदमों को वापस ले लिया है। दुर्भाग्य से जो कर्मचारी अभी तक निलम्बित हैं या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं उनमें से अधिकांश दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के हैं। इस सम्बन्ध में गैर-कांग्रेसी सरकारों का व्यवहार कर्मचारियों के प्रति सद्भावपूर्ण रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि जिन राज्यों में कांग्रेस सरकारें हैं उन्हें भी पश्चिमी बंगाल, पंजाब और केरल सरकारों के निर्णयों का अनुसरण करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ चल रहे मुकदमों को कांग्रेसी सरकार को वापस ले लेने चाहिए। उनके विरुद्ध जारी किये गये तबादले के आदेश, निलम्बन आदेश और बर्खास्ती के आदेश सरकार को वापस लेने चाहिए जिन कर्मचारी संघों की मान्यता समाप्त कर दी गई है उन्हें पुनः मान्यता दी जाये। हमारी सरकार को बदलती हुई परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। उसे जन-साधारण के हित को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हड़ताल सम्बन्धी मामलों में सरकार को लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करना चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, my friend Shri Nambiar has raised a very important point today but unfortunately the Minister of Labour and Employment is not present here. This matter not only concerns with the Ministry of Home Affairs but it involves some principles which are closely related with the labour policy. In this connection I want to raise one point. The Indian Labour Conference constituted with the representatives of workers, employees including Government and Governments, is always consulted while making the laws relating to labour. This practice has been followed for the last ten or twelve years.

Last year Government, in violation of this practice, did not follow this policy and made three laws namely, Banking Amendment Bill, Railway ordinance and Railway Act and Essential Services Ordinance and Essential Services Act. They all strike at the interests of workers and employees.

Sir, I donot want to comment on the victory or defeat of political parties in the mid-term elections, but I would like to point out that the people have voted against the existing policies of the present Government.

I request you to consider these matters seriously and the three laws passed by Government should be withdrawn. This matter should be brought before the three party conference for discussion. Decision taken therein should be implemented. That procedure will be beneficial to the nation as a whole.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : इस समय सभा के समक्ष जो संकल्प है, मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूं ।

सरकार ने अपने नीति वक्तव्य में कहा था कि उन कुछ लोगों को, जिन पर हिंसात्मक कार्यवाही करने के आरोप हैं, छोड़कर शेष सभी लोगों को वापस काम पर ले लिया जायेगा । यह भी कहा गया था कि कर्मचारियों के प्रति नम्रतापूर्ण रवैय्या अपनाया जायेगा । परन्तु अनेक कर्मचारी जिनको अभी तक काम पर वापस नहीं लिया गया है और कि जिन पर मुकदमा चल रहा है स्वयं यह नहीं जानते कि उन्होंने एक दिन की अनुपस्थिति के अतिरिक्त अन्य क्या अपराध किया है । उनको कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया है । यदि सभी मामलों की अच्छी तरह छानबीन की जाये तो पता चलेगा कि 10,000 लोगों में से 9,000 लोग निर्दोष हैं । इन मामलों में विलम्ब करने से सरकार द्वारा निर्धारित अपनी ही नीति का उद्देश्य नष्ट हो जाता है । मेरी अपील है कि आप सभी मंत्रियों को प्रत्येक मामलों की स्वयं जांच करने के लिये कहें ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सरकार कर्मचारियों के प्रति आरम्भ से ही समझौते वाले रवैया अपना रही है । सरकार का पहले से ही यह विचार था कि संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के अन्तर्गत आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी तथा वेतन के साथ महंगाई भत्ते का मिलाये जाने के प्रश्न पर मध्यस्थता नहीं कराई जा सकती । इसके बावजूद हमने उप-प्रधान मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा श्रम मंत्री पर आधारित मंत्रिमण्डल की उप-समिति से बातचीत करने के लिए कर्मचारियों के नेताओं द्वारा इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया गया था ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम ने कहा है कि अध्यादेश का जारी किया जाना एक अनैतिक कार्य था क्योंकि हड़ताल का नोटिस दिया गया था । मेरा निवेदन है कि वर्तमान श्रम कानूनों के अन्तर्गत भी या जो कर्मचारी हड़ताल का नोटिस वापस ले लेते हैं अथवा हड़ताल की जाती है तो कानून को भी अपना काम करना पड़ता है । केवल इतनी बात के लिए अध्यादेश अनैतिक नहीं हो जाता कि जब हड़ताल का नोटिस दिया गया था उस समय कोई अध्यादेश विद्यमान नहीं

था। अध्यादेश के जारी किये जाने के पश्चात अनेक कार्मिक संघों ने हड़ताल सम्बन्धी अपने नोटिस वापस ले लिए थे। सरकार का रवैया अपने कर्मचारियों की ओर सदा सहानुभूतिपूर्ण रहा है। हम सदा मामले पर विचार करना तथा उस पर समझौता करना चाहते थे। हमने इस बात के लिये भरसक प्रयत्न किया कि कर्मचारी हड़ताल न करें। परन्तु जब उन्होंने हड़ताल कर दी तो सार्वजनिक सेवाओं को बनाये रखना हमारा कर्तव्य था। प्रश्न यह नहीं था कि हड़ताल एक दिन के लिए है अथवा अनिश्चित काल के लिए है क्योंकि सभी जानते थे कि इस सांकेतिक हड़ताल के पश्चात पूर्ण हड़ताल होगी। कार्मिक संघ के पत्र में भी ऐसा प्रकाशित हुआ था। अतः हड़ताल के बाद अध्यादेश के अनुसरण में कुछ कार्यवाही की गई। परन्तु सरकार ने 500 के लगभग कर्मचारियों को छोड़कर जिन पर हिंसा तथा लोगों को उकसाने आदि के आरोप हैं, शेष सभी लोगों को दिये गये नोटिस वापस ले लिए हैं। अतः कर्मचारियों को तंग करने का कोई प्रश्न नहीं है। हो सकता है कुछ मामलों में विभाग प्रमुखों ने आपसी मतभेद के कारण कार्यवाही की हो। परन्तु यदि ऐसे मामले सरकार के समक्ष लाये जाते हैं तो हम उन लोगों की शिकायतों को दूर करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। 2,658 कर्मचारियों को एक महीने के वेतन के साथ नोटिस दिये गये हैं। अध्यादेश की धारा 4 के अन्तर्गत कुल 9,996 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन मामलों में भी हमने केवल इसी धारा के अन्तर्गत नौकरी से निकाले गये व्यक्तियों को वापस काम पर लेने के अनुदेश जारी किये हैं। जिन कर्मचारियों पर लोगों को भड़काने अथवा हिंसा आदि के अपराध हैं, उन पर ये अनुदेश लागू नहीं होंगे।

श्री समर गुह : 'अन्य भड़काने वाली बातों' का अर्थ क्या है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने यह कहा कि यदि किसी कर्मचारी ने हड़ताल में भाग लेने के अतिरिक्त अन्य कोई भड़काने वाली कार्यवाही नहीं की है तो उसको वापस नौकरी पर ले लिया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस निदेश के अनुसार कितने कर्मचारियों को वापस काम पर लिया गया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने क्या किया है और फिर मैं बताऊंगा कि उसका क्या प्रभाव हुआ है।

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order under rule 369. The circular from which the Hon. Minister is reading now should be placed on the Table of the House. It is an official document.

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर बाद में विचार किया जायेगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन निदेशों के अतिरिक्त हम कर्मचारियों को पुनः काम पर बुलाने के लिए और भी कार्यवाही कर रहे हैं। जब हम यह महसूस करते हैं कि वे दोषी नहीं हैं, तो हम उनको और भी सुविधायें देंगे।

जहां तब इन अनुदेशों के प्रभाव का सम्बन्ध है विभिन्न सरकारी विभागों से जानकारी एकत्र करने में कुछ समय लगेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The matter pertaining to the Gole Post office has not yet been decided.

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब तक मुझे कोई विश्वासनीय सूचना नहीं मिलती तब तक मैं उसके बारे में सभा में कुछ नहीं कह सकता । श्री बनर्जी ने मुझे कुछ मामले बताये हैं जोकि उनके कहने के अनुसार इन अनुदेशों के अन्तर्गत आने चाहिए । हम इन मामलों की जांच करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, सभा की एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। हम उसमें यह सिद्ध कर देंगे कि आदेशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसाकि मैंने पहले कहा कि कर्मचारियों के प्रति सरकार का रवैया सहानुभूतिपूर्ण है । उनको परेशान करने का कोई प्रश्न नहीं है। हम नहीं चाहते कि सरकार और उसके कर्मचारियों के विवाद का लाभ राजनैतिक दल उठायें । हम इन मामलों को किसी के हित के आधार पर नहीं बल्कि उनके गुणोंदोष के आधार पर निपटाना चाहते हैं ।

जहां तक अनुदेशों को क्रियान्वित करने का प्रश्न है मैं कहूंगा कि इनको क्रियान्वित किया जा रहा है और यह बात इससे सिद्ध हो जाती है कि हमने अनेक मामलों को वापस ले लिया है । अनेक कर्मचारियों को पुनः काम पर लगा लिया गया है। आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं । इनके मिलते ही मैं इन आंकड़ों के बारे में सभा को सूचित करूंगा ।

इस मामले को कभी भी श्रम का मामला नहीं समझा गया है ।

श्री नन्दकुमार सोमानी : उनके बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और परीक्षायें अभी नहीं हुई हैं । अतः कुछ समय के लिए अंक स्थानान्तरण को रोक दिया जाना चाहिये ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि माननीय सदस्य कोई मामला विशिष्ट बतायें तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : अपने भाषण के आरम्भ में उन्होंने कहा था कि उकसाने, भड़काने के वर्ग में केवल 400 अथवा 500 कर्मचारी आते हैं । क्या शेष सभी कर्मचारियों को पुनः काम पर लगा दिया गया है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने यह कहा था कि 44666 कर्मचारियों में से जिनको सेवामुक्ति के नोटिस दिए गए थे, केवल 500 कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे किये गये हैं । हमारे विचार में आठ अथवा नौ हजार कर्मचारियों में से लगभग आधे कर्मचारियों को हमारे अनुदेशों से लाभ होगा ।

Shri Suraj Bhan (Ambala) : He has stated that Government will adopt the attitude of sympathy towrads the employees. Court has evicted the P. A. D. T. and railway employees.

Shri Vidya Charan Shukla : You bring them to my notice, I will look into them.

श्री रणधीर सिंह : श्री बलराज मधोक ने जो कुछ कहा उसमें कुछ सार नहीं है। कसौटी निर्धारित कर दी गई है। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में 150 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। मैंने इनके बारे में गृह-कार्य तथा संचार मंत्री को भी लिखा है, इन लोगों को पुनः काम पर लगाया जाना चाहिये। ऐसे व्यक्तियों पर से मुकदमें हटाने के लिए एक तारीख नियत की जानी चाहिए।

डा० मैत्रेयी बसु (दार्जिलिंग) : गृह-कार्य मंत्री यह नहीं जानते कि कर्मचारी तथा श्रमिक दोनों कर्मकारों की परिभाषा के अन्तर्गत ही आते हैं। उनका कहना है कि कर्मचारियों को श्रमिक नहीं समझा गया है। मंत्री महोदय की इस अज्ञानता को सहन नहीं किया जा सकता।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) मैं अपने प्रस्ताव के द्वारा जो आश्वासन माननीय मंत्री जी से प्राप्त करना चाहता था, वह नहीं दिया गया है। मेरी यह प्रार्थना थी कि कर्मचारियों का शोषण नहीं होना चाहिये और उनके विरुद्ध दायर किये गये मुकदमें वापस ले लिये जाने चाहिये। मैं उनके इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हूं कि आधे कर्मचारियों को नौकरी में ले लिया जायेगा। लेकिन शेष कर्मचारियों का क्या होगा जिनकी संख्या 4,000 से 5,000 तक है। अतः मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री इस मसले पर नये सिरे से विचार करें ताकि सामान्य स्थिति लाई जा सके। इस बारे में सारी सभा एकमत है। संसद् के इतिहास में पिछले कुछ वर्षों में ऐसा मतैक्य कभी नहीं हुआ। मंत्रिमंडल और माननीय सदस्य इस सभा की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और इस बारे में कोई ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय के अनुच्छेद 863 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार है और सरकार इसको समाप्त नहीं कर सकती। इसके अनुसार कुछ मामलों में सेना और पुलिस आदि के कर्मचारियों को भी हड़ताल करने का अधिकार है।

माननीय मंत्री कहते हैं कि यह श्रमिकों का मामला नहीं है। परन्तु मैं कहता हूं कि यह एक श्रम सम्बन्धी मामला है। उनका मंत्रालय श्रम मंत्रालय की सहायता ले।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की 19 सितम्बर, 1968 की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के उपरान्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई जा रही दमनकारी नीति से, जिसके परिणाम-स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया दिया गया है, उनके विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं, सेवा से मुअत्तिल किये जाने के और सेवा में विघ्न के लिये आदेश जारी किये गये हैं, उत्पन्न गम्भीर स्थिति की दृष्टि से, इस सभा की राय है कि कर्मचारियों

में तनाव और कटुता के विद्यमान वातावरण में समस्त भारत में केन्द्रीय सेवाओं के सुगम एवं कुशल कार्यचालन के लिए गम्भीर खतरा पैदा हो गया है और यह सिफारिश करती है कि उपरोक्त सभी दमनकारी कार्यवाइयां तुरन्त वापस ली जायें और सामान्य स्थिति पुनः स्थापित की जाय।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

राज्यों के ऋणों के परिशोधन के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : AMORTISATION OF DEBTS OF STATES

श्री पी० पी० एस्थोस (मुवत्तुपुजा) : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"सभी राज्यों के समक्ष गम्भीर वित्तीय संकट और इस तथ्य की दृष्टि से कि राज्यों के विशाल ऋण प्रभार विकास योजनाएं आरम्भ करने की उनकी क्षमता को क्षीण बना रहे हैं, यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह राज्यों के परामर्श से ऋणों के परिशोधन की एक योजना तुरन्त बनाये और उसे कार्य रूप दे।"

उस दिन प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में कहा कि वह इस बात को नहीं मानती कि केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध हाल में और बिगड़ गये हैं। उन्होंने राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया है कि वे अपने तरीके से नहीं चल सकतीं। मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की बात वास्तविक मामले को टालने की है और यह इस बात की कोशिश है कि सब काम ठीक चल रहा है।

प्रादेशिक स्वायत्तता की बात हमारे देश में केवल एक ढकोसला है। यह स्वायत्तता केवल शब्दों तक ही सीमित है। केन्द्रीय सरकार के राज्यों के प्रति दृष्टिकोण की तुलना विश्व बैंक का अविकसित देशों के प्रति जो दृष्टिकोण है। उससे की जा सकती है। केरल सरकार ने पांचवें वित्त आयोग को दिये गये ज्ञापन में कहा है कि राज्यों की केन्द्र पर बढ़ती हुई निर्भरता एक ओर तो नये राज्य मंत्रिमंडल को अपने विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायित्व पर विपरीत प्रभाव डाल रही है और दूसरी ओर यह उनके प्रशासन में उत्तरदायित्व की अधिक भावना के विकास के मार्ग में बाधास्वरूप हो रही है। ज्ञापन में आगे कहा गया है :

> "जब तक राज्य अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिये केन्द्र पर काफी सीमा तक निर्भर करेंगे, तब तक वे अपने अर्थोपाय कार्यों को स्वयं नियंत्रित और समन्वित नहीं कर पायेंगे।"

केन्द्र सरकार एक राजनैतिक हथियार के रूप में वित्तीय सहायता का प्रयोग करके राज्य सरकारों को ब्लैक मेल कर रही है। विभिन्न राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों का यही अनुभव है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुद्रा और वित्त सम्बन्धी 1967-68 के प्रतिवेदन से पता चलता है कि समस्त राज्य सरकारों के पूंजी और राजस्व के बजट की 3871 करोड़ रुपये की

राशि में से करों, अनुदानों और ऋणों आदि के रूप में केन्द्र से 1530 करोड़ रुपया मिला। 1966-67 में से सरकार ने राज्य सरकारों को 918 करोड़ रुपये के ऋण दिये। इसके बावजूद राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाइयां बढ़ती ही जा रही हैं।

राज्य सरकारों के कुल ऋण जो 1952 में 445 करोड़ रुपये थे, 1968 में बढ़कर 6629 करोड़ रुपये हो गये हैं। इसमें से केवल केन्द्रीय सरकार ने 5148 करोड़ रुपये दिये हैं। 1968-69 में राज्य सरकारों को ऋण के ब्याज के रूप में 455 करोड़ रुपये देने पड़े।

प्रतिवेदन में आगे कहा गया है :

"संसाधनों की कठिन स्थिति के संदर्भ में, राज्यों को अपने विकास कार्यों में कटौती करनी पड़ी। 1967-68 के लिये राज्य वार्षिक योजना पर परिव्यय पुनरीक्षित प्राक्कलनों में 1041 करोड़ रुपये के बजट स्तर से घटाकर 1013 करोड़ रुपये किया गया।"

इसके कारण उद्योग की प्रगति मंद पड़ गई है और देश का आर्थिक विकास रुक गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 28 फरवरी, 1969/9 फाल्गुन, 1890 (शक) के 5 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Seventeen of the Clock on Friday, February 28, 1969/ Phalguna 9, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow 13-6-69—600.